नाईलिट २०१३-१४

नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

डिजिटल आधारिक संरचना

शासन व सेवाएं

डिजिटल भारत

भारत को डिजिटल सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की दिशा में एक कार्यक्रम

१९वां वार्षिक प्रतिवेदन

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

१९वां वार्षिक प्रतिवेदन

विषय-वस्तु

सन्देश 04

अधिशासी परिषद 08

परिदृश्य 15

पहल 20

केन्द्र 28

लेखा–परीक्षक 70

लेखा 74

संक्षिप्ताक्षर 119

रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

सत्यमेव जयते

मंत्री
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार

MINISTER
COMMUNICATIONS & IT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) का 19वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 2013–14 की लेखाओं का सम्परीक्षित विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

भारत सरकार ने जनसांख्यिकीय विभाजन को दूर करने के लिए कुशलता विकास को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना है, क्योंकि देश की लगभग पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिक भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और मुझे यह नोट करते हुए खुशी हो रही है। कि नाइलिट ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, ई–शासन तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में सही कदम उठाया है।

आय तथा अतिशेष के साथ–साथ वास्तविक उपलब्धियों की दृष्टि से नाइलिट की महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है, जिसमें प्रशिक्षण तथा कुशलता विकास के लक्ष्य शामिल हैं। कुशलता विकास तथा डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक की विशेषज्ञता के कारण नाइलिट ग्रामीण भारत तथा डिजिटल भारत के बीच अन्तराल को पूरा करने में नाइलिट पूरी तरह सक्षम है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के आरम्भ होने के फलस्वरूप, एक डिजिटल क्रान्ति शीघ्र ही शुरू होने वाली है। 'डिजिटल' भारत कार्यक्रम की अवधारणा में एक ऐसा समय–काल शामिल है, जब एक साधारण मनुष्य सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का अभिगम तथा खोज, यहाँ तक कि मोबाइल फोन के माध्यम से भी, आसानी से कर सकेगा। देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान करने के प्रयोजन से एक नए डिजिटल युग का प्रारम्भ करने के लिए नाइलिट सहित सभी पणधारियों द्वारा प्रतिबद्ध रूप में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जो मुझे विश्वास है कि कुशलता विकास तथा डिजिटल साक्षरता के प्रयासों को देश के कोने–कोने में पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा।

डिजिटल भारत के अतिरिक्त, जो भारत को विश्व स्तरीय सेवाएँ प्रदान करने वाली एक सम्पर्कित ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की प्रतिश्रुति देता है, सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के कुछ उपायों की घोषणा की है। मुझे यह नोट करते हुए भी खुशी हो रही है कि नाइलिट ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), मल्टीमीडिया एवं एनिमेशन, ई–शासन, साइबर सुरक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशलता विकास को बढ़ावा देकर बदलते समय के अनुकूल बनने के प्रयास किए हैं।

मैं इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशलता विकास के कार्यक्रम को आगे ले जाने में नाइलिट के प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

(रवि शंकर प्रसाद)

Room No. 105, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi-110 001
Phone : 91-11-23739191,23372177 Fax : 91-11-23723330

आर एस शर्मा, सचिव
RS Sharma, Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
Government of India
Ministry of Communications &
Information Technology
Department of Electronics &
Information Technology (DeitY)

संदेश

जनसांख्यिकीय विभाजन का लाभ उठाने के लिए, एक–छोर–से–दूसरे–छोर–तक एक व्यापक सांस्थानिक एवं प्रचालनात्मक प्रदायगी मॉडल का विकास करने और उसके बाद कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा तेजी से उनका स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड में प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी तथा सेवा प्रदायगी का महत्व बहुत अधिक हो जाता है।

मुझे यह नोट करते हुए खुशी हो रही है कि नाइलिट ने, जो कुशलता विकास तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक अंग है, पीपीपी मोड में एक सांस्थानिक मॉडल के जरिए इस देश के युवाओं के लिए एक सुदृढ़ योजना के माध्यम से उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। नाइलिट ने, मूल्यांकन एवं प्रमाणन की एक सम्पूर्ण प्रणाली स्थापित करने के अलावा, देश के 31 शहरों में अपने केन्द्रों तथा लगभग 850 प्रत्यायित प्रशिक्षण भागीदारों की दृष्टि से पूरे भारत में अपनी उपस्थिति से दूर–दराज के क्षेत्रों में मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चय करने और प्रशिक्षार्थियों के सामाजिक संघटन के लिए अपने आप को एक अग्रणी संगठन के रूप में स्थापित कर लिया है।

किसी देश को प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत बनने के लिए ई–शासन एक प्रमुख आवश्यकता है। लेकिन ई–शासन का तात्पर्य केवल नागरिकों, व्यवसायों तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की प्रदायगी में सुधार करना ही नहीं है। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के मिश्रण के साथ–साथ सरकार को अधिक कुशल बनाने, लागत को कम करने तथा सरकारी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशासनिक सुधार भी निहित है। इसमें भारत के सेवाएँ नहीं प्राप्त होने वाले वर्गों तथा कम सेवाएँ प्राप्त होने वाले क्षेत्रों के लिए एक सम्पत्ति बनने की क्षमता है।

विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के जरिए अपने प्रदायगी मॉडल में और अधिक सुधार करने की दिशा में नाइलिट के प्रयास सराहनीय हैं। मुझे यह नोट करते हुए खुशी हो रही है कि नाइलिट ने अपने विद्यार्थियों के डेटाबेस को आधार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को कुशलता विकास पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने की सुविधा प्राप्त होगी। मुझे यह नोट करते हुए भी खुशी हो रही है कि नाइलिट ने डीबीटी योजना को कार्यान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जा रही है।

मैं नाइलिट के भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

(आर.एस. शर्मा)

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 / Electronics Niketan,6, C.G.O. Complex, New Delhi-110003
Tel. : 011-24364041 o Fax : 24363134 o email : secretary@mit.gov.in

रा.इ.सू.प्रौ.सं
NIELIT

डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक, नाईलिट

Dr. Ashwini Kumar Sharma
Managing Director, NIELIT

संदेश

भारत सरकार ने जनसांख्यिकीय विभाजन का लाभ उठाने के लिए कुशलता विकास को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना है क्योंकि, लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग आधुनिक भारत की सफलता की एक कहानी रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता विकास के लिए कई योजनाएँ तैयार की हैं और क्षमता निर्माण तथा कुशलता विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः नाइलिट द्वारा किया जा रहा है।

नाइलिट ने उच्च विकास को न केवल कायम रखा है बल्कि सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास दर्ज करके पिछले रिकार्डों को पीछे छोड़ दिया है। नाइलिट का कारोबार 155.45 करोड़ रु. से बढ़कर 240.48 करोड़ रु. हो गया है (एनपीआर को छेड़कर) और इस प्रकार 54 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई और अतिशेष में भी 87 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 9.6 लाख विद्यार्थियों को कुशल बनाया गया, जो पिछले वर्ष 4.5 लाख था।

नाइलिट 'डिजिटल भारत' तथा 'भारत में निर्मित' कार्यक्रमों की दिशा में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समान रूप से तैयार है। चूँकि भारत सूचना प्रौद्यिगिकी क्रांति के शीर्ष पर बैठा है, इसलिए ई–शासन, ई–वाणिज्य तथा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए 'डिजिटल भारत' को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

कई नए प्रयास शुरू किए गए हैं, जिनमें क्षमता निर्माण के उपाय तथा आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना शामिल है। 'भारत में निर्मित' तथा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच अन्तर को दूर करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, नाइलिट को भी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम प्रबंध एकक (पीएमयू) के रूप में ईएसडीएम में कुशलता विकास को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। नाइलिट ने अपने कार्यकलापों को भी विविध बनाया है और अब एक प्रमुख संस्थान बन गया है, जो एक तृतीय पक्षकार के रूप में तकनीकी जनशक्ति की भर्ती के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। इसके साथ ही, जीआईएस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, विश्लेषण, साइबर सुरक्षा आदि जैसे उदीयमान क्षेत्रों को भी क्षमता निर्माण तथा देश में युवाओं के कुशलता विकास के लिए चुना गया है। नाइलिट ने विद्यार्थी समुदाय सहित सभी पणधारियों के लाभार्थ प्रौद्योगिकी तथा वेब आधारित सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। भविष्यगामी दृष्टिकोण के साथ, परम्परागत क्लासरूम प्रशिक्षण को ई–सूचना सामग्री से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 'किसी भी स्थान पर – किसी भी समय' अधिगम का समर्थन करने के लिए सभी प्रमुख नाइलिट केन्द्रों में आभासी क्लासरूम भी शुरू किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि नाइलिट ने राज्य सभा के माननीय सदस्यों के लिए ई–सूचना सामग्री आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया है।

नाइलिट में हमने न केवल ऑनलाइन तथा परम्परागत दोनों ही पद्धतियों से राष्ट्रव्यापी परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए सांस्थानिक मॉडल तैयार करने का प्रयास किए हैं, बल्कि सहक्रिया तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान–प्रदान करने के माध्यम से देश के कोने–कोने में कुशलता विकास के प्रयासों को पहुँचाने में भी अत्यधिक योगदान दिया है।

अंग्रेजी के 3एस अर्थात 'स्किल', 'स्केल' और 'स्पीड' पर आधारित नया मंत्र दूसरे देशों के समतुल्य बनने और गौरव के शिखर पर पहुँचने के लिए भारत के विकासात्मक प्रस्ताव को परिभाषित करता है, जो भारत को वस्तुतः वैश्विक शक्ति बनाता है। नाइलिट ने भी अपने दृष्टिकोण को '3एस' के साथ मिलाया है। प्रचालनों की मात्रा को क्षमता विकास के प्रयासों से बढ़ाया गया तथा नए प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में कुशलता की संभावनाओं का पता लगाया गया है। नाइलिट ने अपनी प्रतिबद्धताओं को अधिक गति से कार्यान्वित करने का भी प्रयास किया है।

Ashwini

(अश्विनी कुमार शर्मा)

रा.इ.सू.प्रौ.सं
NIELIT

स्किल

डिजिटल साक्षरता– कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) एवं आधारभूत कंप्यूटर पाठ्यक्रम (बीसीसी)

औपचारिक क्षेत्र के पाठ्यक्रम– एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए, डिप्लोमा आदि।

मानकीकृत अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीसी) में ई–शासन, सूचना सुरक्षा, साइबर–लॉ, जीआईएस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, ईएसडीएम आदि।

अनौपचारिक क्षेत्र– सूचना प्रौद्योगिकी /हार्डवेयर/ जैवसूचना/मल्टीमीडिया एवं एनीमेशन आदि में 'ओ', 'ए', 'बी' एवं 'सी' स्तरीय पाठ्यक्रम।

स्केल

- राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, एआईसीटीई, सीएससी–एसपीवी, आईआरडीए, डीजीई एवं टी, सीबीएससी, टीसीआईएल, ईएसएससीआई, टीएसएससी आदि के साथ समझौता–ज्ञापन।
- जनशक्ति की संख्या 2700 से अधिक हो गयी है।
- नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण क्षमताओं का उपयोग करना जैसेकि साइबर क्राइम, ई–शासन, आईपीवी6, जीआईएस, क्लाउड कम्प्यूटिंग इत्यादि।
- 81 मॉड्यूलों की ई–सामग्री विकास के माध्यम से शिक्षा कभी भी , कहीं भी (प्रगति पर है)
- सूचना प्रौद्योगिकी में 30 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में 35 अल्पावधि पाठ्यक्रमों का मानकीकरण।
- उत्तर–पूर्वोत्तर राज्यों में क्षमता निर्माण।
- 17 राज्यों एवं 2 संघ राज्यों हेतु एनपीआर का डाटा डिजिटाईजेशन ।
- ऑनलाइन परीक्षा एवं तृतीय–पार्टी भर्ती परीक्षा (डीईआईटीवाई, एनआईसी, एसटीक्यूसी, सीईआरटीआईएन आदि)

स्पीड

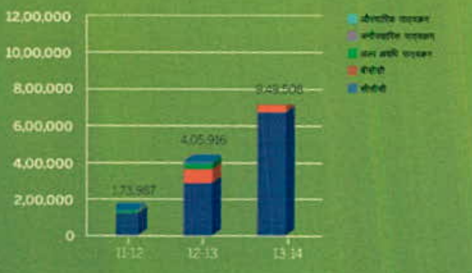

अभ्यर्थियों का कौशल विकास

शुल्क, सेवाओं एवं परियोजनाओं से आय (एनपीआर के अतिरिक्त)

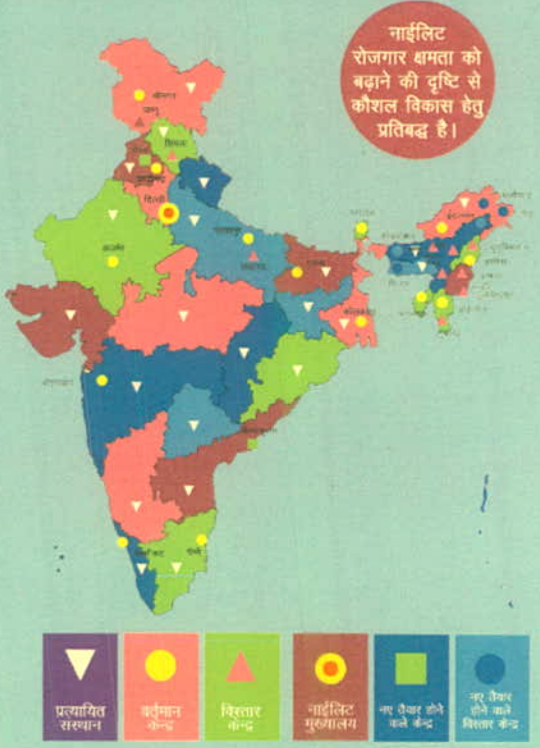

अधिशासी परिषद

अध्यक्ष

श्री रवि शंकर प्रसाद
अध्यक्ष
माननीय संचार और सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्री

सदस्य

डॉ. एस.एस. मन्था
सदस्य
अध्यक्ष, अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद

श्री जे.बी. महापात्र
सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय
सलाहकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना
प्रौद्योगिकी विभाग

श्री आलोक कुमार
सदस्य
संयुक्त सचिव एवं
महानिदेशक, श्रम एवं
रोजगार मंत्रालय

श्री आर.के. गोयल
सदस्य
संयुक्त सचिव
इलेक्ट्रॉनिकी और
सूचना प्रौद्योगिकी
विभाग

सदस्य

श्री प्रवीण प्रकाश
सदस्य
संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास
मंत्रालय

श्री आर. चन्द्रशेखर
सदस्य
प्रेसीडेंट, नैसकॉम

डॉ. जसपाल सिंह संधु
सदस्य
सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग

डॉ. सुरेन्द्र पाल
सदस्य
पूर्व प्रेसीडेंट
इलेक्ट्रॉनिकी एवं
दूरसंचार इंजीनियरिंग
संस्थान

अधिशासी परिषद

31वीं बैठक 08 अक्तूबर, 2013 को आयोजित की गई

उपाध्यक्ष

श्री आर.एस. शर्मा
उपाध्यक्ष
सचिव,
इलेक्ट्रॉनिकी और
सूचना प्रौद्योगिकी
विभाग

सदस्य

प्रो. एन.जे. राव
सदस्य
पूर्व अध्यक्ष, सीईडीटी
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलूरू

श्री विजय थडाणी
सदस्य
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
एनआईआईटी लि.

श्री लक्ष्मीनारायणन
सदस्य
उपाध्यक्ष
कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी
सल्यूशन्स

श्री पीवीजी मेनन
सदस्य
प्रेसीडेंट एवं मुख्य
कार्यकारी अधिकारी
वीएएनएन कंसल्टिंग
प्रा. लि.

सदस्य

श्री दीपक पुरी
सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मोसर बेयर इण्डिया लि.

सदस्य सचिव

डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा
सदस्य सचिव
प्रबंध निदेशक,
नाइलिट

प्रबंध मण्डल

8वीं बैठक 5 मार्च, 2014 को आयोजित की गई

अध्यक्ष

श्री आर.एस. शर्मा, भाप्रसे
अध्यक्ष
सचिव
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना
प्रौद्योगिकी विभाग

सदस्य

डॉ. एस.एस. मन्था
सदस्य
अध्यक्ष, अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद

श्री आर.के. गोयल, भाप्रसे
सदस्य
संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

श्री जे.बी. महापात्र, भारासे
सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय
सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी
और सूचना प्रौद्योगिकी
विभाग

श्री आर. चन्द्रशेखर
सदस्य
प्रेसीडेंट, नैसकॉम

सदस्य सचिव

डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा
सदस्य सचिव
प्रबंध निदेशक, नाइलिट

वित्त एवं लेखा समिति

28 वीं बैठक 25 फरवरी, 2014 को आयोजित की गई

अध्यक्ष

डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा
अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक, नाइलिट

सदस्य

श्री आर.के. गोयल, भाप्रसे
सदस्य
संयुक्त सचिव,
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना
प्रौद्योगिकी विभाग

श्री जे.बी. महापात्र, भारासे
सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय
सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी
और सूचना प्रौद्योगिकी
विभाग

श्री आर.के. अरोड़ा
सदस्य
निदेशक एवं प्रभाग प्रमुख
(मानव संसाधन विकास)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना
प्रौद्योगिकी विभाग

सदस्य सचिव

श्री हिमानीश राय
सदस्य सचिव
मुख्य वित्त अधिकारी, नाइलिट

केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी निदेशक

डॉ. ए.के.डी. द्विवेदी
राजस्थान, गुजरात

श्री ए.एच. मून
जम्मू और कश्मीर,
उत्तराखण्ड

श्री टी.पी. सिंह
पश्चिम बंगाल, ओडिशा,
नागालैण्ड, सिक्किम,
मणिपुर, झारखण्ड

डॉ. रंजन माहेश्वरी
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं
दीव, दादरा एवं नागर
हवेली

डॉ. समशेर
उत्तर प्रदेश

डॉ. एम.पी. पिल्लै
केरल, कर्णाटक, लक्षद्वीप

श्री के. बरुआ
असम

श्री वी.के. जैन
पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश

सुश्री रीता अरोड़ा
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र

श्री वी. कृष्णमूर्ति
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश

श्री एन. देबचन्द्र
मिज़ोरम

श्री गुरजीत सिंह
अरुणाचल प्रदेश

श्री मानब कालिता
मेघालय

श्री अनुराग माथुर
त्रिपुरा

डॉ. डी.के. मिश्र
लखनऊ
(नाइलिट गोरखपुर का
शाखा कार्यालय)

श्री आलोक त्रिपाठी
बिहार

श्री मनीष अरोड़ा
शिमला
(नाइलिट चण्डीगढ़ का
शाखा कार्यालय)

नाइलिट
की पूरे भारत में उपस्थिति

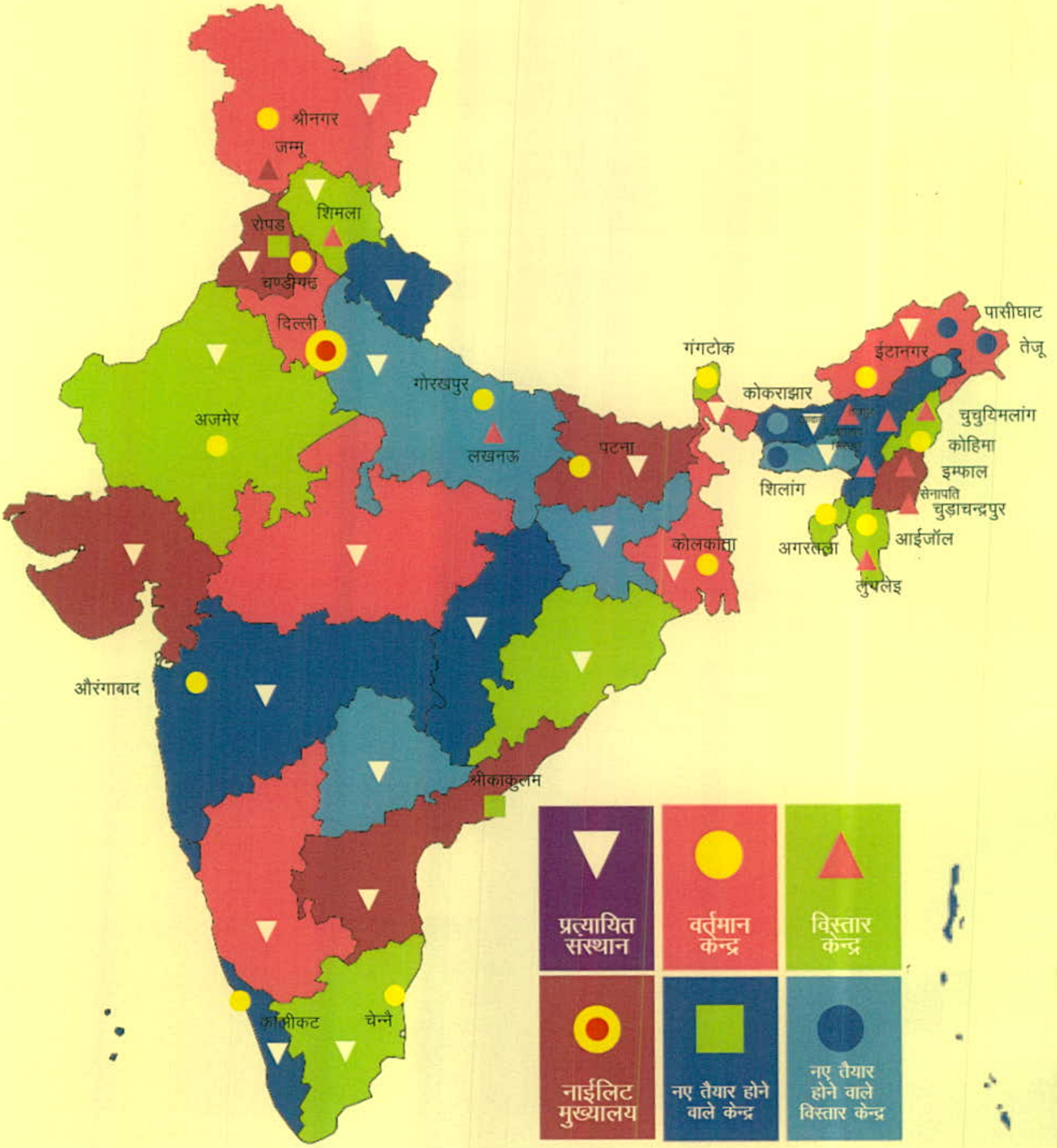

प्रत्यायित संस्थान अण्डमान एवं निकोबार 2 । आंध्र प्रदेश 10 । अरुणाचल प्रदेश 2 । असम 29 । बिहार 20 । चण्डीगढ़ 6 । छत्तीसगढ़ 6 । दिल्ली 107 । गुजरात 50 । हरियाणा 19 । हिमाचल प्रदेश 9 जम्मू तथा कश्मीर 86 । झारखण्ड 18 । कर्णाटक 4 । केरल 33 । मध्य प्रदेश 19 मणिपुर 4 । मेघालय 3 । मिज़ोरम 3 । नागालैण्ड 1 । ओडिशा 40 । पंजाब 16 राजस्थान 111 । सिक्किम 2 । तमिलनाडु 5 । उत्तर प्रदेश 199 । उत्तरांचल 43 । पश्चिम बंगाल 43

परिदृश्य

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) जोकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन है, सूचना प्रौद्योगिकी; इलेक्ट्रॉनिकी; संचार प्रौद्योगिकियों; हार्डवेयर; साइबर कानून; साइबर सुरक्षा; आईपीआर; जीआईएस; क्लाउड कम्प्यूटिंग; ई–शासन तथा संबद्ध क्षेत्रों में कुशवता विकास एवं मानव संसाधन विकास से सबंधित कार्यकलापों में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। अपने कर्मचारियों के लिए तथा जनसामान्य में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कार्यक्रमों को चलाने के लिए कई राज्य सरकारों ने नाइलिट को तरजीह दी है।

विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों का सृजन करने के उद्देश्य से, नाइलिट पर आईसीटी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें रोजगार तथा स्व–रोजगार से जुड़े कम कीमत वाले अच्छी क्वालिटी के शिक्षण/प्रशिक्षण का डिजाइन एवं आयोजन और साथ ही विशेष रूप से देश के ग्रामीण/अविकसित क्षेत्रों के जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

पिछले **20** वर्षों में नाइलिट ने स्वयं को एक अग्रणी संगठन के रूप में स्थापित कर लिया है और अपने 31 केन्द्रों के नेटवर्क और लगभग 900 प्रत्यायित संस्थानों तथा लगभग 6000 सीसीसी सुविधा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में इसकी उपस्थिति है। नाइलिट के अपने केन्द्र अगरतला, आईजॉल, अजमेर, औरंगाबाद, कालीकट, चण्डीगढ, चेन्नै, चुचुयिमलांग, चुड़ाचाँदपुर, दिल्ली, गंगटोक, गोरखपुर, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, जोरहाट, कोहिमा, कोलकाता, कोकराझार, लेह, लखनऊ, लुंगलेई, पटना, राँची, सेनापति, शिलांग, शिमला, सिलचर, श्रीनगर, तेजपुर में स्थित हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाइलिट ने हालही में झारखण्ड के राँची में एक नया केन्द्र खोला है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में नया केन्द्र खोला है। नाइलिट पंजाब के रोपड़ में एक नया केन्द्र खोलने की कार्रवाई कर रहा है।

नाइलिट पाठ्यक्रमो के व्यापक परिक्षेत्र में ये शामिल हैं : (क) औपचारिक क्षेत्र के पाठ्यक्रम, जिनका संचालन नाइलिट केन्द्रों द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्डो के सहयोग से किया जा रहा है; (ख) अनौपचारिक क्षेत्र के पाठक्रम, जिनका संचालन नाइलिट केन्द्रों तथा इस प्रयोजन से प्रत्यायित अन्य प्रशिक्षण संस्थानो द्वारा किया जा रहा है; (ग) क्षेत्रीय माँग के आधार पर नाइलिट केन्द्रों द्वारा चलाए जाने वाले अल्पावधि कुशलता उन्मुखी पाठ्यक्रम; तथा (घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विशेष रूप से निर्मित कार्यक्रम हैं।

नाइलिट **अधिशासी परिषद** के समग्र नियंत्रण एवं दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। **माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं**। परिषद के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों/संगठनों के प्रतिनिधि हैं जैसे कि सरकारी विभाग, उद्योग, शैक्षिक संस्थान तथा विभिन्न व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि।

संस्थान का एक **प्रबंध मण्डल** भी है, जिसके अध्यक्ष **सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार** हैं। मण्डल तथा परिषद के निर्णयों का कार्यान्वयन प्रभावी रूप में करने के लिए प्रत्येक नाइलिट केन्द्र की एक कार्यकारी समिति है जिसमें संबंधित राज्य सरकारों,

शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

प्रबंध निदेशक, नाइलिट की अध्यक्षता में **वित्त एवं लेखा समिति** संगठन के बजट अनुमान/संशोधित अनुमानो तथा वित्तीय मुद्दो/समाधानों की सिफारिश करके अधिशासी परिषद को सहायता प्रदान करती है। इस समिति को संस्थान की सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं को अधिशासी द्वारा पारित किए जाने के प्रयोजन प्रस्तुत करने से पहले उनकी जाँच करने का दायित्व भी दिया गया है। वित्त एवं लेखा समिति विभिन्न वित्तीय मामलों में तथा संस्थान के लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में समय–समय पर सलाह भी देती है।

नाइलिट के रोजमर्रा के कार्यकलापों का प्रबंध **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** द्वारा किया जाता है जिन्हें **प्रबंध निदेशक पदनामित किया गया है**।

नाइलिट के सतर्कता संबंधी कार्यकलापों की अध्यक्षता **मुख्य सतर्कता अधिकारी** द्वारा की जाती है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रत्येक केन्द्र तथा नाइलिट मुख्यालय के सतर्कता अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नाइलिट में सतर्कता संबंधी कामकाज में निरोधक उपाय शामिल हैं जो एक स्वस्थ एवं पारदर्शी वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक हैं।

नाइलिट के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही के लिए संस्था में जुलाई, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया है। मुख्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा संस्थान के सभी केन्द्रों में सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए आन्तरिक कार्यविधियाँ तैयार की गई हैं और अनिवार्य सूचना नाइलिट की वेबसाइट (www.nielit.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संगठन में एक पारदर्शिता अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है।

हिन्दी के प्रयोग के संबंध में संवैधानिक अनुदेशों का अनुपालन नाइलिट केन्द्रों में क्षेत्रवार प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। हिन्दी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने, हिन्दी में विभागीय पत्र व्यवहार को बढ़ावा देने, कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने आदि के माध्यम से रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन से, कई कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और उन्हें संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किए गए। नाइलिट मुख्यालय तथा इसके केन्द्रों में 13 सितम्बर, 2013 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा कर्मचारियों को समुचित रूप में पुरस्कृत किया गया। हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों ने भी कई कार्यकलापों में भाग लिया और उन्हें अपने रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

रिकार्ड के अनुसार 31.03.2014 तक नाईलिट के रोल पर **653** कर्मचारी हैं जिनमें से 5 कर्मचारी पर्सनस विद डिसेबलिटीज (PwDs) की श्रेणी में आते हैं तथा जिनका प्रतिशत **0.76** है।

जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी)	मूलभूत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (बीसीसी)
लक्षित प्रशिक्षार्थी	विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, गृहवधु, उद्यमकर्ता, सरकारी कर्मचारी	विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी
पाठ्यक्रम का उद्देश्य	सीसीसी को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित व्यक्ति कम्प्यूटर का प्रयोग व्यावसायिक तथा रोजमर्रा के कार्यकलापों के लिए कर सके। इसमें सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ सॉटवेयर/पैकेजों का गहन ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरान्त संबंधित व्यक्ति कम्प्यूटर साक्षर हो जाएगा और निम्नलिखित कार्य कर सकेगा : • प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कम्प्यूटर तकनीकों का प्रयोग करने का आत्मविश्वास प्राप्त करना • कम्प्यूटर के मूलभूत घटकों तथा शब्दावली की पहचान करना • डेटा, सूचना तथा फाइल प्रबंध को समझना • शब्द संसाधक, स्प्रेडशीट तथा प्रस्तुतीकरण सॉटवेयर का प्रयोग करके दस्तावेज तैयार करना • कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट को समझना • इंटरनेट, सूचना–सामग्री ढूँढ़ना।	बीसीसी एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो सीसीसी से नीचे के स्तर का है। बीसीसी को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित व्यक्ति को रोजमर्रा के कार्यकलापों के लिए कम्प्यूटर प्रचालन एवं अनुप्रयोगों का मूलभूत ज्ञान उपलब्ध कराया जाए और यह एक व्यवहार उन्मुखी पाठ्यक्रम है जिसमें कम्प्यूटर सॉटवेयर पैकेजों का प्रचालनात्मक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरान्त संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित को समझ सकेगा : • कम्प्यूटर तथा इसके गुण जो कम्प्यूटर को एक उत्कृष्ट मशीन बनाते हैं • कम्प्यूटरों का मूलभूत प्रचालन • मूलभूत प्रचालन प्रणाली की विशेषताओं का प्रयोग • दस्तावेज तैयार करने के लिए शब्द संसाधक का प्रयोग • उदाहरण तैयार करने के लिए ग्राफिक पैकेज का प्रयोग • सूचना की खोज करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग।
परीक्षा की पद्धति	ऑनलाइन	ऑनलाइन
अधिगम सामग्री	नाइलिट की वेबसाइट पर भारत की 25 स्वीकृत भाषाओं में उपलब्ध।	अंग्रेजी में उपलब्ध। अन्य भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

मान्यता

• अपने कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। महाराष्ट्र राज्य सरकार कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार, पदोन्नति के प्रयोजन से तथा किसी भी एमपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए सीसीसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। • गुजरात सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. GS/39/2005/CRR/ 102003/ 672(I)/ PART-II/G-2 के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती तथा पदोन्नति के प्रयोजनों सीसीसी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है। • लेखा महानियंत्रक ने अपनी अधिसूचना सं.a-34012/2306/2006/ Computer Exam/ MF CGA (E)/95 दिनांक 04.09.2006 के जरिए कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा के लिए सीसीसी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है। • उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 107/22-1-2007-107/97 दिनांक 14.02.2007 के जरिए आशुलिपिक ग्रेड–II पद पर भर्ती तथा पदोन्नति के लिए सीसीसी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है।

उपर्युक्त के अलावा, कई अन्य सरकारी विभाग भी सीसीसी प्रमाण–पत्र को एक अर्हता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं (स्वतः आधार पर) जिससे विभिन्न पदो तथा सेवाओं में भर्ती के लिए कम्प्यूटर प्रवीणता का सुनिश्चय किया जा सके। • झारखण्ड, उत्तर प्रदेश

• नाइलिट के बीसीसी पाठ्यक्रम तथा प्रमाण–पत्र को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अपनी अधिसूचना सं. DGE&T-19(19)2010-CS दिनांक 15.10.2010 के जरिए सीटीएस के अन्तर्गत आईटीआई/आईटीसी के प्रशिक्षार्थियों के लिए एक अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता पाठ्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। • बिहार राज्य सरकार ने अपने कुछ काडरों/विभागों के कर्मचारियों को वेतन–वृद्धि तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बीसीसी को स्वीकृति प्रदान की है। • सिक्किम राज्य सरकार ने वेतन बैण्ड (5200–20200), ग्रेड वेतन 2000 तथा इससे ऊपर की पदों की अतिरिक्त पात्रता की शर्त के रूप में बीसीसी प्रमाण–पत्र को अनुमोदित किया है। जिन आवेदकों ने दर्जा 10 बोर्ड परीक्षा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/ डिग्री में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया है उनके मामले में यह शर्त लागू नहीं है।

जनसामान्य के लिए नए पाठ्यक्रम का प्रारम्भ

पाठ्यक्रम का नाम	कम्प्यूटर अवधारणा प्लस पाठ्यक्रम (सीसीसी प्लस)	विशेषज्ञ कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (ईसीसी)
पात्रता	दसवीं दर्जा उत्तीर्ण	बारहवीं दर्जा उत्तीर्ण
लक्षित प्रशिक्षार्थी	विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, उद्यमकर्ता, सरकारी कर्मचारी	विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, उद्यमकर्ता
पाठ्यक्रम का उद्देश्य	126 घंटे की अवधि का यह कार्यक्रम एक सर्टिफिकेट स्तर का पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले/कार्यरत कार्मिकों को महत्वपूर्ण कुशलता प्रदान करना है जो सूचना प्रौद्योगिकी के निरन्तर परिवर्तनशील परिदृश्य का सामना करने के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह किसी व्यक्ति को केवल मूलभूत कुशलता की शिक्षा ही नहीं देता है बल्कि गतिशील सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए परिवर्तनों को आसानी से समझने में संबंधित व्यक्ति की क्षमता में भी बढ़ोतरी करता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनसामान्य, विद्यार्थियों, व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत मध्यम स्तर के कर्मचारियों में कुशलता का विकास करना है। इस पाठ्यक्रम को किसी व्यक्ति की कुशलता में अभिवृद्धि करने तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति का ज्ञान दिलाने के एक आदर्श पाठ्यक्रम के रूप में भी विचार किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात, संबंधित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकती है कि उसे न केवल कार्यालय स्वचालन की कुशलता प्राप्त है बल्कि उसे अद्यतन प्रौद्योगिकियों तथा ई–शासन अनुप्रयोगों की भी जानकारी है	200 घंटे की अवधि के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रोफेशनल स्ट्रीम में भावी प्रवेशकर्ताओं को आज के प्रतिस्पर्धी परि.श्य के लिए आवश्यक अपेक्षित कुशलता एवं ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना है। इस पाठ्यक्रम के फोकस को निम्नलिखित 4 आयामों में विभाजित किया गया है : 1 कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉटवेयर तथा इसके अनुरक्षण का ज्ञान 2 कार्यालय स्वचालन–कार्यालय स्वचालन उपकरणों का प्रयोग करके रोजमर्रा के नैमित्तिक कार्यों का निपटारा 3 ऑनलाइन सेवाओं तथा ई–शासन अनुप्रयोगों में विश्वव्यापी इंटरनेट तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों की खोज 4 संव्यवहार कुशलताओं द्वारा व्यक्तित्व विकास इस पाठ्यक्रम में कुशलता विकास तथा प्रौद्योगिकीय विश्व में अद्यतन प्रगतियों पर जोर दिया गया है जो किसी व्यक्ति को कुशलता तैयार करने और उसका स्तर बढ़ाने में सहायता करेगा और इस प्रकार प्रौद्योगिकीय अन्तराल को कम करेगा।

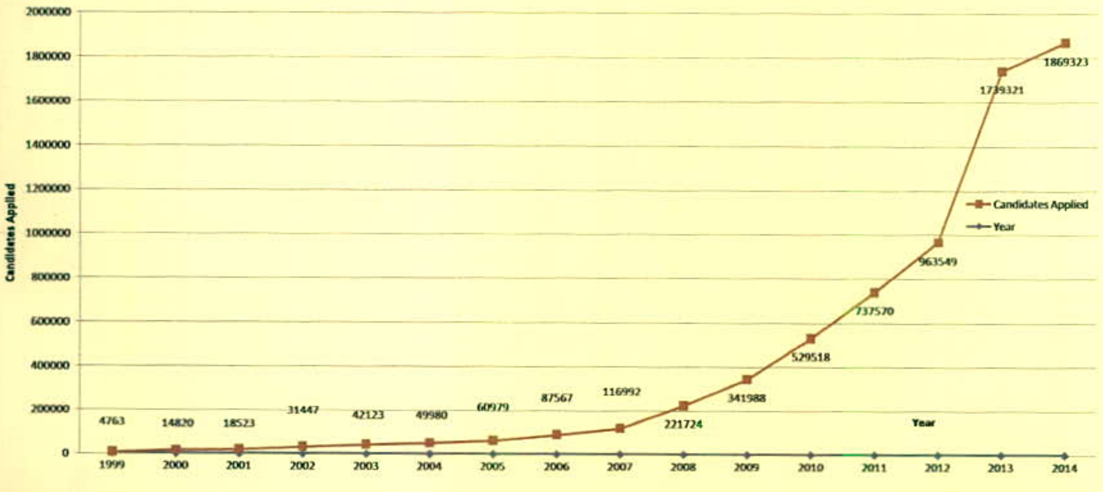

कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएँ तथा उपलब्धियाँ

परियोजनाएँ

• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला लाभग्राही सहित अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (लक्ष्य 48000 अभ्यर्थी)	₹ 14.40 करोड़
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला लाभग्राही सहित अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत एवं अनुरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (लक्ष्य 32400 अभ्यर्थी)	₹ 9.72 करोड़
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला लाभग्राही सहित अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए आईटीईएस–बीपीओ (ग्राहक सेवा एवं बैंकिंग) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (लक्ष्य 9000 अभ्यर्थी)	₹ 11.70 करोड़
• ग्रामीण भारत में कम्प्यूटर शिक्षण पर पाठ्यक्रम (100000 ग्रामीण स्तर के उद्यमकर्ताओं का प्रशिक्षण)	₹ 7.50 करोड़
• डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण भारत की महिलाओं की अधिकारिता योजना (लक्ष्य रू 25000 महिलाएँ)	₹ 2.88 करोड़
• भारत के सभी राज्यों में 25000 पंचायती राज कार्यकर्ताओं का बीसीसी प्रशिक्षण	₹ 5.00 करोड़
• श्रीकाकुलम में नाइलिट केन्द्र की स्थापना	₹ 19.78 करोड़
• पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजाति के युवाओं तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों में ई–तैयारी का सृजन करने के लिए नाइलिट कोहिमा में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	₹ 1.53 करोड़
• जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सूचना प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक कुशलता में अभिवृद्धि करने के प्रयोजन से महिला उद्यमकर्ताओं का सृजन करने/ डेटा प्रविष्टि प्रचालनों के लिए टैली पर प्रशिक्षण सहित दिल्ली में महिलाओं का प्रशिक्षण तथा जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम निगरानी एकक (पीएमयू) की स्थापना	₹ 2.21 करोड़
• भारत के महापंजीयक एवं जनसंख्या आयुक्त (आरजीआई) ने 15 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों के सामान्य निवासियों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के लिए जनसांख्यिकीय डेटा अंकीयकरण का कार्य इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा है जिसने इस कार्य को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाइलिट को सौंपा है। डेटा अंकीयकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और डेटा की आखिरी किश्त आरजीआई को अक्तूबर 2013 में सौंप दी गई है।	₹ 571.00 करोड़

1	परीक्षा आवेदन फार्म भरने तथा प्रस्तुत करने और भुगतान गेटवे आदि के माध्यम से परीक्षा फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा (student.nielit.gov.in) आरम्भ की गई है।
2	नाइलिट के वेब पोर्टल (nielit.gov.in) को वेबसाइटों के संबंध में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया गया है। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ आरम्भ की गई हैं।
3	नाइलिट ने फाइल प्रबंधन तथा फाइल संचलन के लिए एनआईसी के ई–कार्यालय सूट का कार्यान्वयन किया है।
4	नाइलिट मुख्यालय तथा नाइलिट दिल्ली केन्द्र में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है। यह सभी नाइलिट केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी तथा छुट्टी आवेदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगी।
5	nielit.gov.in मेल डोमेन के लिए एनआईसी मेल सेवाओं का सृजन किया गया है और लगभग सभी नाइलिट केन्द्रों के लिए चालू किया गया है।
6	नाइलिट मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण–पत्रों (डीएससी) का सृजन प्रमाणीकरण एवं ई–फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया है।
7	नाइलिट द्वारा प्लेसमेंट पोर्टल (placement.nielit.gov.in) आरम्भ किया गया है जिससे अपने विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
8	नाइलिट शिक्षण तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में कार्रवाई कर रहा है और इसलिए एक सुदृढ़ एव विश्वसनीय ऑनलाइन सुविधा (onlineaccr.nielit.gov.in) स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
9	नाइलिट के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए ऑनलाइन कुशलता अभिरुचि परीक्षा पद्धति तैयार की गई है।
10	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी के रूप में नाइलिट के लिए सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन/प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सेवा (rtionline.gov.in) प्रारम्भ की गई हैं।
11	सभी नाइलिट केन्द्रों की वेबसाइटों के डोमेन नामों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, सभी नाइलिट केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों के लिए चौथे स्तर का डोमेन तैयार किया गया है और इनकी मैपिंग <CentreName>.nielit.gov.in के रूप में की गई है।
12	किसी भी नाईलिट केन्द्र का कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना स्थानांतरण आवेदन भेज सकता है।
13	नाइलिट अपने मुख्यालय में आईबीएम अन्तिम छोर प्रबंध समाधान कार्यान्वित करने की कार्रवाई कर रहा है जिससे कोर प्रोटेक्शन, पैच प्रबंध आदि की सुविधा प्रदान की जा सके।
14	सीसीसी/बीसीसी पाठ्यक्रमों के लिए मई, 2014 तक लगभग 6000 संस्थान सुविधा केन्द्र या प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में पंजीकृत हैं।
15	'ओ/ए/बी/सी' स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 800 संस्थान प्रत्यायित हैं।
16	प्रत्यायित संस्थानों के लिए कार्य कर रहे सीएससी/एसपीवी के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो सीएससी किऑस्क के रूप में कार्य करेंगे।
17	क्षमता निर्माण पर भागीदारों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 2013 आयोजित की गई।

18	नाइलिट ने सभी नाइलिट केन्द्रों के सभी नियमित कर्मचारियों का सरकारी ईमेल–आईडी भारत सरकार के gov.in पोर्टल पर nielit.gov.in के रूप में तैयार किया है।
19	नाइलिट ने मल्टीटास्किंग, वीडियो कान्फरेंसिंग आदि करने के लिए 7 नाइलिट केन्द्रों अर्थात अगरतला, आइजॉल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल तथा गुवाहाटी में वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा सहित स्मार्ट आभासी क्लासरूम तथा नाइलिट मुख्यालय नई दिल्ली में टेली–उपस्थिति समाधान स्थापित किया है।
20	नाइलिट 100 एमबीपीएस की दर से गति पर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) परियोजना का एक अंग है और इसे 12 नाइलिट केन्द्रों अर्थात श्रीनगर, तेजपुर, कोहिमा, शिलांग, इम्फाल, ईटानगर, गुवाहाटी, गंगटोक, गोरखपुर, औरंगाबाद, कालीकट तथा कोलकाता में चालू किया गया है।
21	ईएसडीएम कुशलता विकास योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों/बेरोजगार युवाओं की रोजगार योग्यता में सुधार करने के लिए 06 (छह) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करके ईएसडीएम के क्षेत्र में 90000 व्यक्तियों के लिए कुशलता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अब तक केरल, उत्तराखण्ड तथा पंजाब के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
22	प्रथम चरण में, नाईलिट विभिन्न पाठयक्रमों के लिए ई–विषय वस्तु का कुशल कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है तथा ई–विषय वस्तु के वितरण हेतु वेब पोर्टल शुरूआत के लिए तैयार है।
23	नाईलिट ने माननीय राज्य सभा सदस्यों के लिए दो पाठ्यक्रमों जैसे (i) आईसीटी में भारत सरकार की पहल पर जागरूकता (ii) आधारभूत अवधारणा की विषय वस्तु, को विकसित भी किया है।
24	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में 12 सीटर कम्प्यूटर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

आय व व्यय

एन पी आर के अतिरिक्त

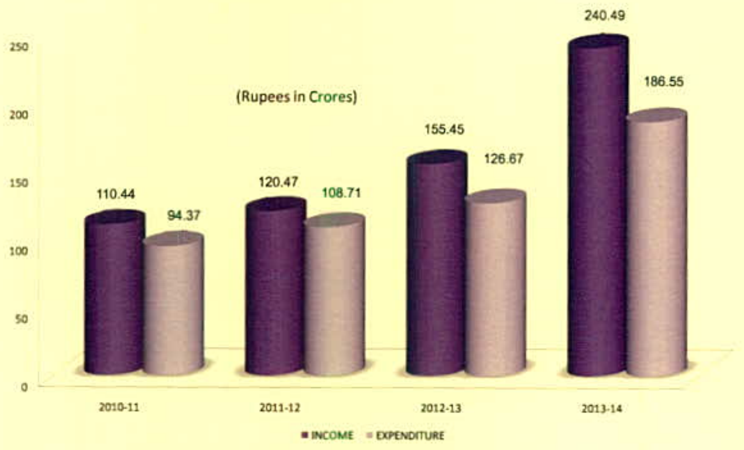

अधिशेष

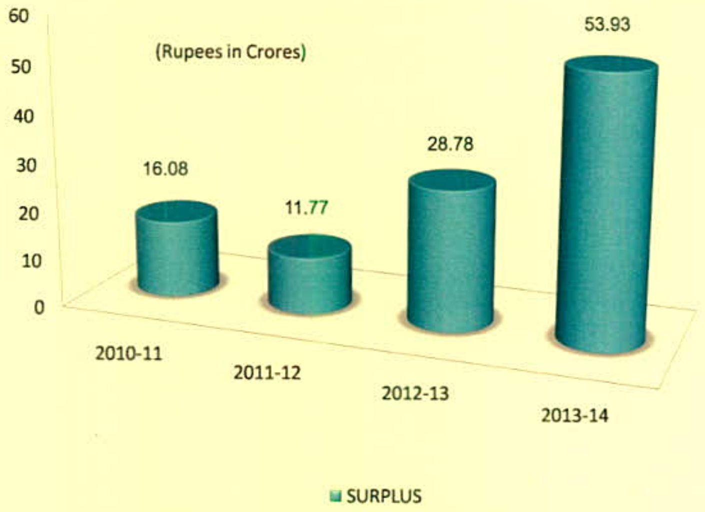

वित्तीय विकास

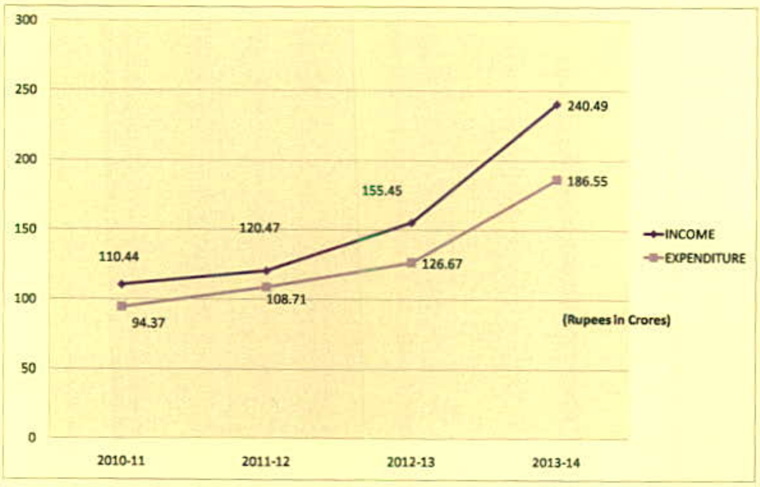

अंतिम पांच वर्षों में आन्तरिक संसाधनों, परियोजनाओं, जीआईए व अर्जित ब्याज से प्राप्त आय तथा उत्पन्न अधिशेष का विवरण

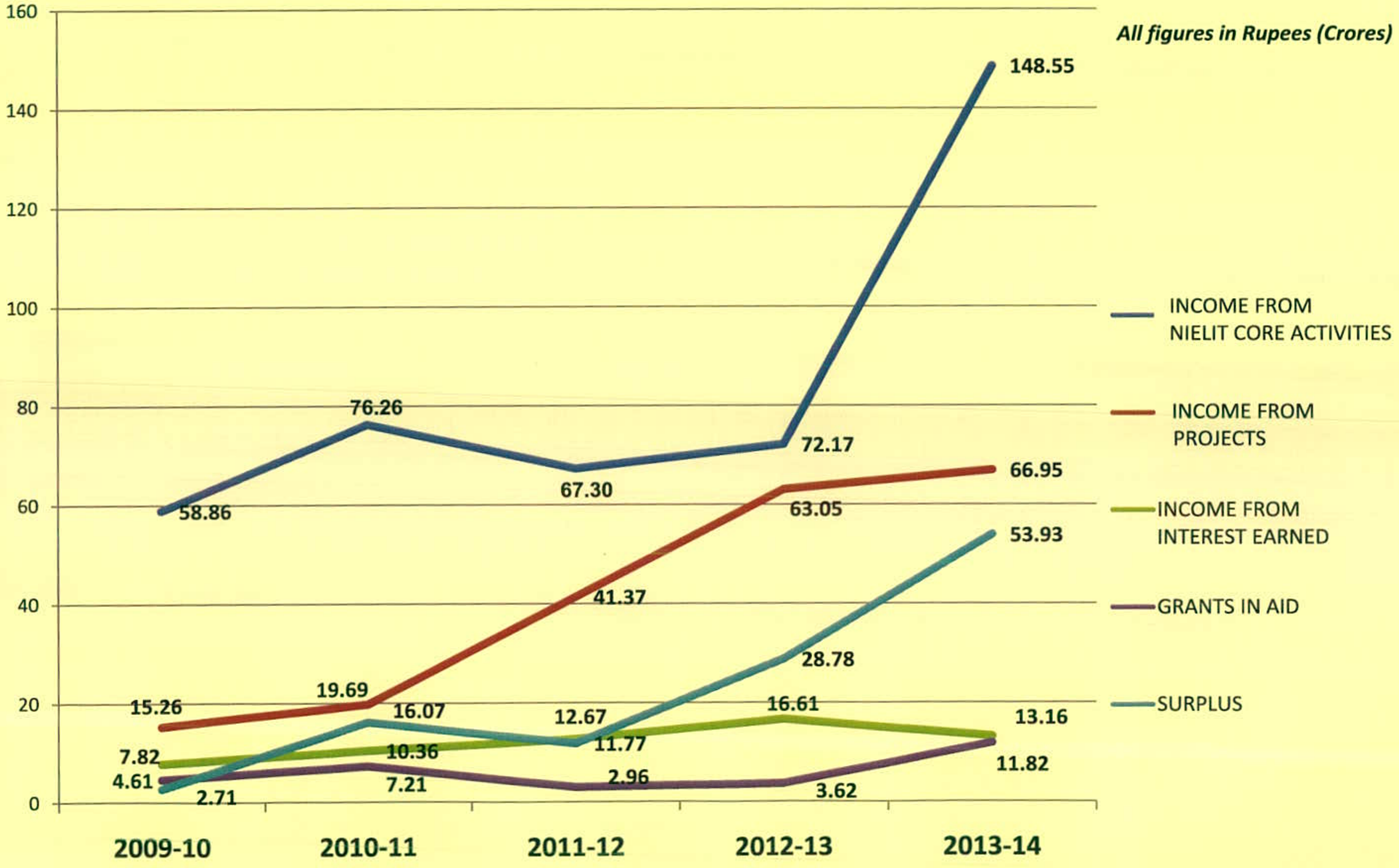

आय व व्यय

एनपीआर के साथ

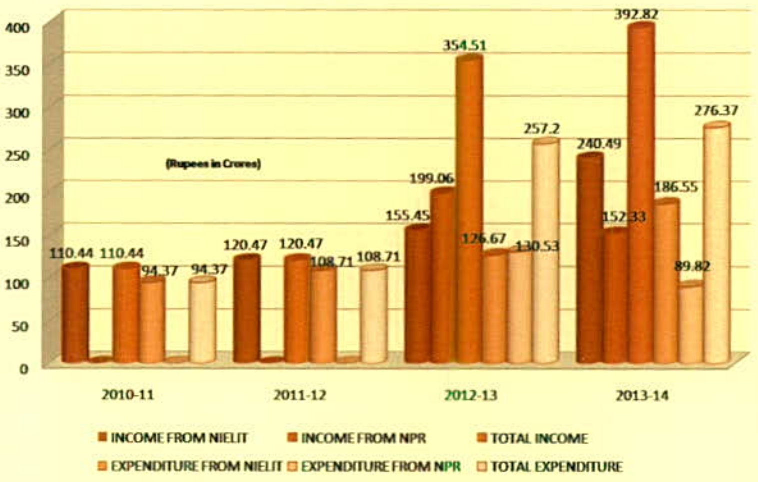

अधिशेष

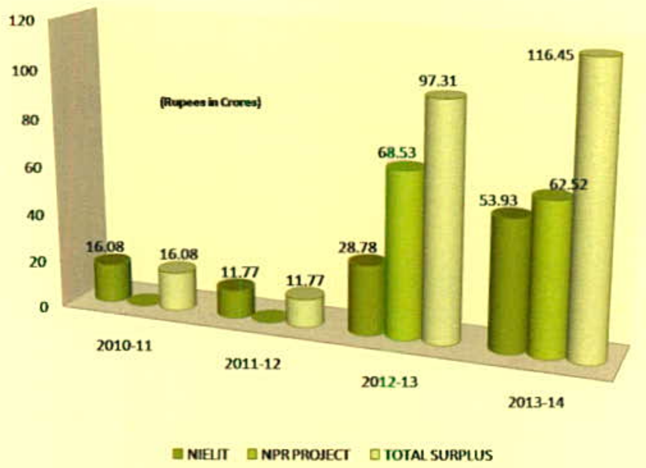

वित्तीय विकास

एनपीआर के साथ

नये पंजीकरण

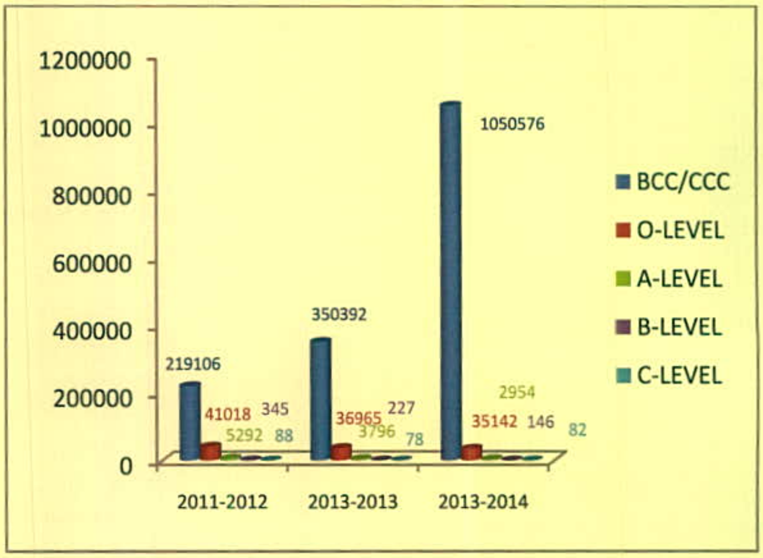

कर्मचारियों की संख्या

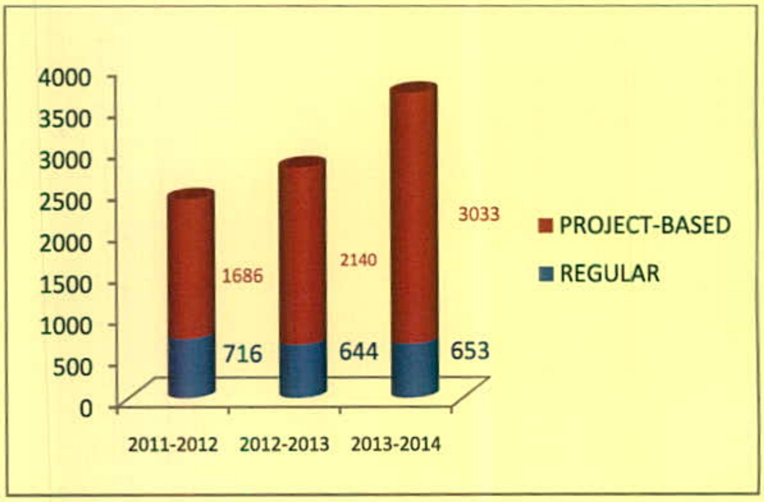

नाईलिट कार्यालय

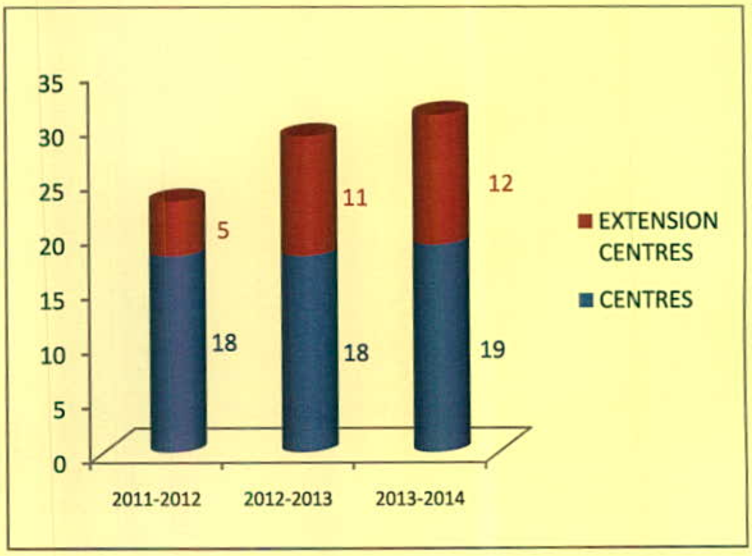

नाईलिट

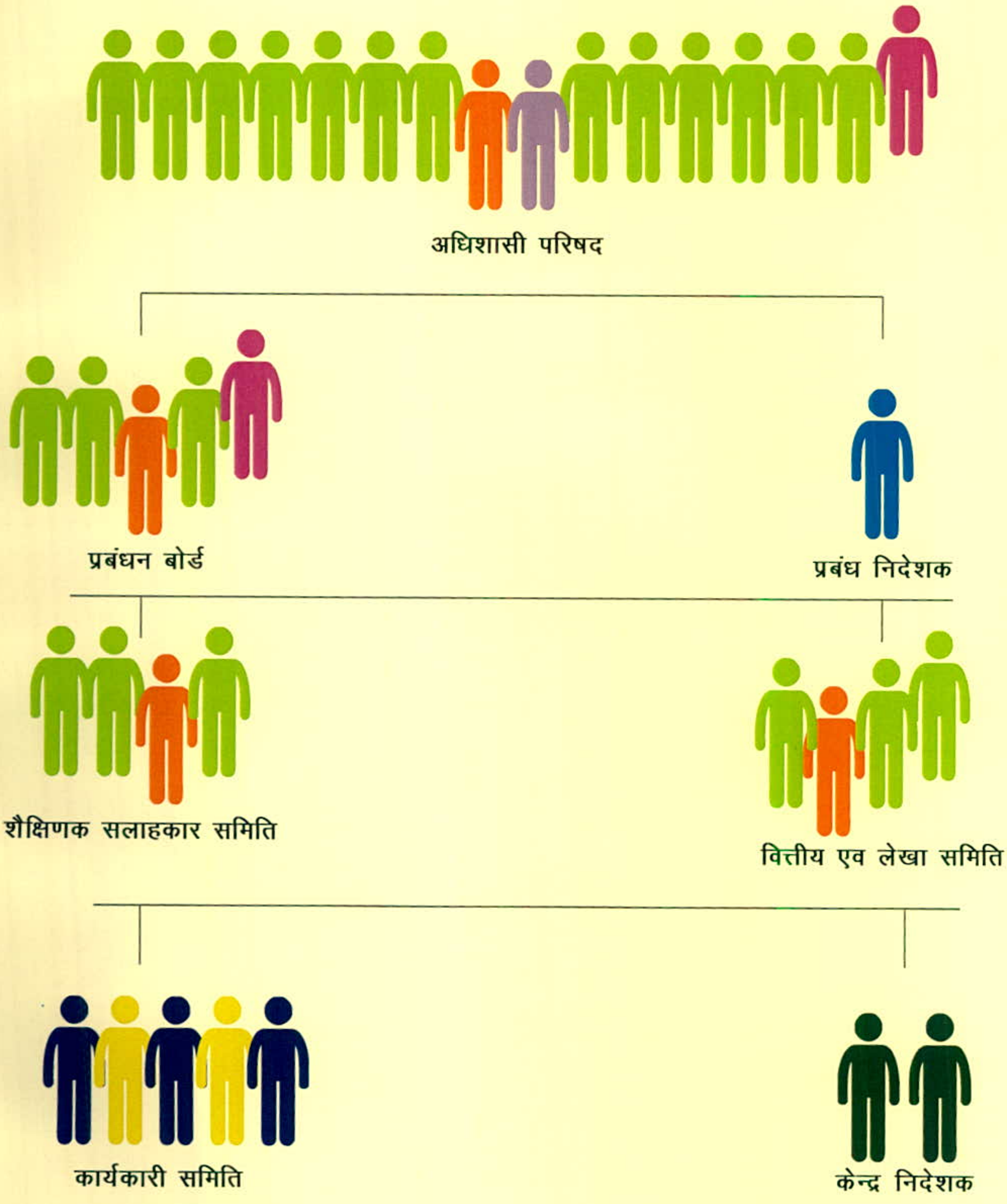
अधिशासी परिषद
प्रबंधन बोर्ड
प्रबंध निदेशक
शैक्षिणक सलाहकार समिति
वित्तीय एव लेखा समिति
कार्यकारी समिति
केन्द्र निदेशक

अगरतला

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
---	16 नियमित, **23** परियोजना आधारित	रु. 537.17 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री अनुराग माथुर	नाइलिट, अगरतला, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय (त्रिपुरा सरकार) परिसर आईटीआई रोड, इन्द्रनगर अगरतला – **799 006** पश्चिम त्रिपुरा	0381-2350010 dir-agartala@nielit.gov.in	त्रिपुरा

विशेषताएं एवं उपलब्धियाँ

- केन्द्र द्वारा मिज़ोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में समुचित प्रशिक्षण तथा अभियान तंत्रों के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा जागरूकता के सृजन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- नाइलिट अगरतला केन्द्र ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार के अन्तर्गत छह डिग्री कॉलेजों में स्तर–I ;नाइलिट बीसीसी, सॉट–स्किल एवं अंग्रेजी) तथा स्तर–II ;नाइलिट सीसीसी, सॉट–स्किल एवं अंग्रेजी) आरम्भ किया है। इस परियोजना को अगले वित्तीय वर्ष 2014.15 से राज्य के शेष 18 डिग्री कॉलेजों में शुरू किया जाएगा।
- ओरेल टेक्नो सिस्टम्स, नई दिल्ली द्वारा नाइलिट अगरतला केन्द्र की सॉटवेयर प्रयोगशालाओं की 33 प्रणालियों में अंग्रेजी डिजिटल भाषा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने तथा सॉट स्किल में प्रवीणता हासिल करने के लिए सक्षम बनाना है।
- नाइलिट अगरतला केन्द्र ने वर्ष 2013.14 के दौरान 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जैसे कि सीएजी ऑनलाइन परीक्षा, केआईआईटीईई–2013 ऑनलाइन प्रवेश परीक्षआ, विभिन्न आईबीपीएस नियंत्रित परीक्षाएँ।
- त्रिपुरा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 1500 एकड़ जमीन (राधा किशोर नगर मौज़ा अगरतला में औद्योगिक विकास केन्द्र के पास) पर स्थायी भवन/परिसर के निर्माण का कार्य मार्च, 2013 में आरम्भ किया गया और परियोजना प्रबंध परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति/अनुबंध से 18 (अठारह) महीनों के अन्दर इसे पूरा किया जाएगा।
- नाइलिट अगरतला केन्द्र ने त्रिपुरा के माननीय मंत्रियों के लिए 10 जून, 2013 से बीसीसी पर प्रशिक्षण आरम्भ किया। इस प्रशिक्षण को त्रिपुरा के सिविल सचिवालय भवन स्थित सभी 12 मंत्रियों के कमरों में आयोजित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
- यह केन्द्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहा है (सीआईडी, डीजीईएण्डटी, एसडब्ल्यूएसई, एनआईसी, आरडी, वन विभाग, एनवाईकेएस, एससीईआरटी, डीएचई, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आदि)
- केन्द्र ने बीसीए प्रथम सेमेस्टर के नए बैच के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त, 2013 से छात्रावास सुविधा (बालिका एवं बालक) आरम्भ की है।
- यह केन्द्र नाइलिट बीसीसी में पंचायत सचिवों तथा पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

आईजॉल

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)
30 मई, 2013 को आयोजित एवं
12 मई, 2014 को आयोजित

कार्मिक
22 नियमित, 36 परियोजना आधारित

कारोबार
रु. 812.07 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री एन. देबचन्द्र सिंह	नाइलिट, आइजॉल औद्योगिक एस्टेट, जुलांगतुई, आइजॉल–796017	0389–2350581 dir-aizawl@niefit.gov.in	मिजारेम

- शासकीय हृांगबाना महाविद्यालय, शासकीय आइजॉल महाविद्यालय, औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के अध्ययन केन्द्रों में सीसीसी तथा अल्पावधि पाठ्यक्रम। डीआईईटी सरछिप में शीघ्र ही एक और अध्ययन केन्द्र शुरू किया जाएगा।
- एनएसडी के अन्तर्गत मिज़ोरम के ग्रामीण युवाओं को आईईसीटी में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से मिज़ोरम के लुंगलेई जिले में पूर्ण स्तरीय विस्तार केन्द्र स्थापित किया गया।
- केन्द्र द्वारा मिज़ोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में समुचित प्रशिक्षण तथा अभियान तंत्रों के माध्यम से स्कूली बच्चों, महाविद्यालयों के छात्रों तथा जनता में बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा जागरूकता के सृजन पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक 1700 से ज्यादा विद्यार्थियों तथा 50 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला की स्थापना तथा मिज़ोरम राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकीय एवं परा–चिकित्सकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 15 परा–चिकित्सकीय कार्मिकों, 34 अस्पताल तकनीशियनों/डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। अस्पतालों को चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर समर्थन सेवाएँ भी प्रदान की जा रही हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए ई–शासन में क्षमता निर्माण सर्टिफिकेट कार्यक्रम पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मिज़ोरम तथा इम्फाल में साधारण जनता तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। जिनमें 400 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। 2 माह की अवधि का एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- 3 तथा 4 अक्तूबर, 2013 के दौरान आईआईटी कानपुर के टेक–कृति 2013 के सहयोग से आई3 इण्डिया टेक्नोलॉजीज़ द्वारा संचालित सूचना सुरक्षा "Access Denied v.1.4" पर दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 19 दिसम्बर, 2013 को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, मिज़ोरम विश्वविद्यालय के सहयोग से 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)' पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गयाः
  - इलेक्ट्रॉनिक्स परिवेश में आईपीआर तथा प्रतिलिप्याधिकार से संबंधित मुद्दे
  - आईपीआई, प्रतिलिप्याधिकार तथा इसके अनुप्रयोग
- केन्द्र ने अपने विद्यार्थियों को रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुछ कम्पनियों के साथ गठबंधन किया है।
- पुलिस विभाग को साइबर फोरेंसिक तथा साइबर अपराधों के क्षेत्र में परामर्श सेवाएँ प्रदान की गईं। राज्य में साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख मामलों को सुलझाने के लिए सहायता भी प्रदान की गई।
- संस्थान में आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, सीएजी, आरबीआई, यूपीएससी आदि के संस्थानों के लिए टीसीएस के सहयोग से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया।
- केन्द्र द्वारा विभिन्न दीर्घावधि/अल्पावधि पाठ्यक्रमों जैसे कि एमसीए, बीसीए, डिप्लोमा तथा ओ/ए स्तर के पाठ्यक्रमों, बीसीसी/सीसीसी में लगभग 2500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- 3 तथा 4 अक्तूबर, 2013 के दौरान आईआईटी कानपुर के टेक–. ति 2013 के सहयोग से आई3 इण्डिया टेक्नोलॉजीज़ द्वारा संचारित सूचना सुरक्षा "Access Denied v.1.4" पर दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 110 विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने भाग लिया ।
- मिज़ोरम विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में कम्प्यूटर सेंटर के सहयोग से कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम शुरू करने के कार्य में प्रगति हो रही है।
- केन्द्रीय साइबर सुरक्षा वेब पोर्टल तैयार करने का कार्य पूरा किया गया तथा अगरतला एसडीसी में होस्ट किया गया।

लुंगलेई में विस्तार केन्द्र

अजमेर

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
---	16 नियमित, 23 परियोजना आधारित	रु. 537.17 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
डॉ. ए.के.डी. द्विवेदी	नाइलिट अजमेर जैन पैलेस, स्पन्दा रोड, केकड़ी, अजमेर–305404	01467-220500 dir-ajmer@nielit.gov.in	राजस्थान, गुजरात

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- कोहडा गाँव में परिसर के निर्माण का कार्य पूरे जोर से चल रहा है और दिसम्बर, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।
- प्रबंध निदेशक, नाइलिट ने 13 जनवरी 2014 को नाइलिट अजमेर का दौरा किया और कोहड़ा गाँव में परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा नाइलिट अजमेर के विद्यार्थियों औरप शिक्षकों के साथ बातचीत भी की।
- वर्ष 2013–14 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी तथा मल्टीमीडिया में दीर्घावधि अनौपचारिक पाठ्यक्रमों क लिए लगभग 60 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया।
- राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के लगभग 47500 विद्यार्थियों के लिए ऑन–लाइन सीसीसी, बीसीसी, डब्ल्यूडीएलपी, वीएलई परीक्षा का प्रबंध एवं संचालन किया।
- राजस्थान राज्य में 'रोजगारयोग्यता के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण' पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2450 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के लिए 'ओ' स्तर सॉटवेयर एवं हार्डवेयर पर लगभग 400 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया।

औरंगाबाद

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
10.4.2013 को का.स. की 15वीं बैठक 25.3.2014 को का.स. की 16वीं बैठक	39 नियमित, 20 परियोजना आधारित	रु. 973.48 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
डॉ. रंजन माहेश्वरी	नाइलिट औरंगाबाद, सीईडीटीआई कॉम्प्लेक्स विश्वविद्यालय परिसर औरंगाबाद - 431 004	0240-2982050 dir-aurangabad@nielit.gov.in	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा दमन/दीव नगर एवं हवेली

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रयोजनमूलक एवं तात्कालिक उत्पादन तकनीशियनों का सृजन करके इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन एवं अनुरक्षण में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित छह सेमेस्टर (तीन वर्ष) डिप्लोमा (डीईपीएम)।
- इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन इंजीनियर तैयार करने के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित चार सेमेस्टर (दो वर्ष) इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी में एम.टेक।
- राष्ट्रीय नीति के अनुसार योजनाएं अर्थात 1995 में हार्डवेयर तकनीकी परामर्श योजना (एचटीसीएस), 1996 में सॉटवेयर तकनीकी परामर्श योजना (एसटीसीएस), 1999 में सीईडीटीआई फ्रैंचाइज़ योजना (सीएफएस) तथा सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट, 2003 में जैव–सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, 2005 में एमएआईटी के साथ मिलकर संयुक्त रूप में हार्डवेयर पाठ्यक्रमों पर डीओईएससीसी योजना (डीएसएचसी), 2007 में क्षेत्र में कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) तथा 2009 में आईआईबीएफ, मुम्बई के साथ मिलकर संयुक्त रूप में आईटीईएस–बीपीओ (बैंकिंग) पाठ्यक्रम पर डीओईएससीसी योजना।
- बी.टेक (ईई) पाठ्यक्रम जुलाई, 2013 से आरम्भ किया गया है।
- अंशकालिक एम.टेक (ईटीडी) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- डीईपीएम में उत्तीर्ण उन विद्यार्थियों को छोड़कर जिन्होंने उच्चतर शिक्षा को चुना है, डीईपीएम तथा एम.टेक (ईडीटी) में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का लगभग 100% प्लेसमेंट/रोजगार।
- औपचारिक पाठ्यक्रमों अर्थात डीईपीएम, बी.टेक तथा एम. टेक (ईडीटी) के माध्यम से 274 विद्यार्थियों को 3288 मानव–महीनों का प्रशिक्षण दिया गया।
- डॉ. बी.ए.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के मान्यताप्राप्त अनुसंधान केन्द्र के रूप में नाइलिट, औरंगाबाद के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम में कुल बत्तीस (32) विद्यार्थियों ने दाखिला लिया तथा अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से, छह विद्यार्थियों को डॉ. बी.ए.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है।
- अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कुल 03 पाठ्यक्रमों में 55 विद्यार्थियों को 134 मानव–सप्ताहों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- पश्चिमी क्षेत्र (आरसी औरंगाबाद) के लगभग 78,888 विद्यार्थी वर्तमान वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित 41वीं तिमाही परीक्षा तथा ईएमईसी – 38,39,40,41,42,43 कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) परीक्षाओं में बैठे।
- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान हार्डवेयर पाठ्यक्रमों पर डीओईएससीसी योजना के अन्तर्गत सीएचएम ओ तथा सीएचएम ए स्तर के लिए 17 प्रत्यायन प्रदान किए गए जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2014 तक कुल संख्या 231 हो गई है। इस वित्त वर्ष में सीएचएम ओ तथा सीएचएम ए स्तर के लिए कुल 1394 विद्यार्थीयों ने पंजीकरण करवाया, जिसके परिणामस्वरुप विद्यार्थियों की कुल संख्या 13293 हो गई है। इस वित्त वर्ष में आयोजित योजना के 14वीं तथा 15वीं परीक्षाओं में 11246 माड्यूल विद्यार्थी बैठे।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से आईईसीटी में मूल्य संवर्धित कुशलता विकास के माध्यम से महिला अधिकारिता परियोजना चल रही है। 31.03.2014 तक 259 महिला विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- वीएलएसआई डिजाइन, अतर्निर्मित प्रणाली डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी में मैट्रिकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर इंजीनियरी कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं।
- 550 अनुसूचित जाति/जनजाति रोजगार अभ्यर्थियों को क्षेत्र में ओ स्तर पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- नाइलिट, औरंगाबाद में सोमवार, 3 जून, 2013 को बौद्धिक सम्पदा अधिकार' पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग तथा शैक्षिक संस्थानों के 125 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना के लिए केन्द्र में एक अलग एनपीआर प्रकोष्ठ तैयार किया गया।
- क्षेत्र के 550 अनुसूचित जाति/जनजाति रोजगार अभ्यर्थियों के लिए 'ओ' स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया, जिसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली ने प्रायोजित किया।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बम्बई, मराठवाड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी), औरंगाबाद, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्था (आईआईबीएफ), मुम्बई तथा मराठवाड़ा उद्योग एवं कृषि चेम्बर (सीएमआईए), औरंगाबाद के साथ सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

कालीकट

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
3 जुलाई, 2013 को आयोजित एवं 22 नवम्बर, 3013 (परिचालन द्वारा)	44 नियमित, 14 परियोजना आधारित	रु. 888.69 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
डॉ. एम.पी. पिल्लै	नाइलिट कालीकट पोस्ट बॉक्स नं. 5, एनआईटी परिसर कालीकट – 673 601	0495-2287123 dir-calicut@nielit.gov.in	केरल, कर्णाटक, लक्षद्वीप

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- यह केन्द्र कार्यरत प्रोफेशनलों तथा नवागतों के लिए आईईसीटी के अग्रणी क्षेत्रों में दीर्घावधि तथा अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता है।
- आयोजित किए जाने वाले औपचारिक पाठ्यक्रमों में ये शामिल हैं : (क) अन्तर्निमित प्रणालियां (ख) इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी में एम.टेक, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात (एमसीए)। ये पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तथा कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। यह केन्द्र आईएसओ 9001. 2008 प्रमाणित है।
- केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) पर राष्ट्रीय स्तर की कुशलता विकास योजना तथा वीएलएसआई, अन्तर्निर्मित प्रणालियों पर अखिल भारतीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा 8 फरवरी 2014 में शुरू किया गया।
- 'अल्ट्रासाउण्ड स्कैनर प्रोटोटाइप (बी मोड)' के विकास के लिए जुलाई, 2013 के दौरान नाइलिट कालीकट तथा निरंजन अल्ट्रासाउण्ड इण्डिया के बीच एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- केरल तथा कर्णाटक राज्यों में सीसीसी में 426 विद्यार्थियों के लिए तथा बीसीसी में 61546 विद्यार्थियों के लिए प्रमाणन परीक्षा 1.24 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से आयोजित किया गया।
- वर्ष के दौरान 'डीएसपी का प्रयोग करते हुए प्रणाली डिजाइन एवं माइक्रोप्रोसेसर' तथा 'अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन' पर विशेष रूप से तैयार किया गया एक सप्ताह के शिक्षक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कुल 40 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ;प्रत्येक कार्यक्रम में 10 प्रतिभागी)।
- कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में सूचना प्रौद्योगिकी डिप्लोमा (डीडीसीए) तथा कम्प्यूटरीकृत शब्द संसाधन (डीसीडब्ल्यूपी) में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों में 600 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण का कार्यान्वयन। यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित की गई – विद्यार्थियों का प्रशिक्षण 46.32 लाख रु. के कुल राजस्व से पूरा किया गया (लक्ष्य–600 प्रशिक्षित–600 प्रमाणित–95)।
- डॉ. एम. अब्दुल सलाम, उपाचार्य, कालीकट विश्वविद्यालय तथा डॉ. अजय कुमार, भाप्रसे (संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा वीएलएसआई एवं अन्तर्निर्मित प्रणालियों पर कार्यक्रम का शुभारम्भ 08 फरवरी, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे नाइलिट कालीकट में किया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉ. एम. अब्दुल सलाम, उपाचार्य, कालीकट विश्वविद्यालय ने की।
- 18 डीआरडीओ वैज्ञानिकों के लिए अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन पर 10 दिनों (17–28 जून, 2013) के लिए कार्पोरेट प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- आईटी कुशलता तथा आईटीईएस बीपीओ परियोजनाओं का कार्यान्वयन – क्रमशः 5300 तथा 900 उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- चल रहे दो एम.टेक कार्यक्रमों तथा एक एमसीए कार्यक्रम को वर्ष के दौरान जारी रखा गया, तथा कुल 71 एम.टेक विद्यार्थियों तथा 137 एमसीए विद्यार्थियों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किया गया।
- कुल 134 विद्यार्थियों को, स्नातक तथा एम.टेक दोनों ही स्तरों के, क्रमशः 2 तथा 8 महीनों की अवधि के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
- परिसर में साक्षात्कार के माध्यम से कुल 51 विद्यार्थियों को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार प्रदान किया गया (जिनमें स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के 30 विद्यार्थी तथा ए.टेक एवं एमसीए के 21 विद्यार्थी शामिल हैं)।

चण्डीगढ़

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
03 अक्तूबर, 2013 को आयोजित	149 नियमित, 2756 परियोजना आधारित	रु. 6268.66 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री वी.के. जैन	नाइलिट चण्डीगढ़, सी–134, पीसीएल चौक, फेज–8, औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली, चण्डीगढ़–160071	0172-2236453 dir-chandigarh@nielit.gov.in	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- विभिन्न इंजीनियरी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों, रक्षा कार्मिकों को आईईसीटी के क्षेत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। नाइलिट चण्डीगढ़ तथा इसके विस्तार केन्द्र, शिमला में प्रशिक्षित प्रतिभागी नीचे दिए अनुसार हैं :
- 968 विद्यार्थियों ने दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया तथा 1978 विद्यार्थियों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों तथा कार्पोरेट क्षेत्र के लिए विशेष पाठ्यक्रमो में प्रशिक्षित किया गया। 2127 विद्यार्थियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की विभिन्न प्रायोजित योजनाओ के अन्तर्गत दाखिल किया गया, अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला विद्यार्थियों, पंचायती राज कार्यकर्ताओं तथा समाज कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रशिक्षण।
- इंजीनियरी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी पर छह माह का पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। विभिन्न इंजीनियरी महाविद्यालयों के 64 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, 149 विद्यार्थियों को 6 सप्ताह के (अल्पावधि) अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था, के साथ 26 सितम्बर, 2012 को पूरे देश में लगभग 300 एनसीपीयूएल केन्द्रों के लिए एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान वर्ष अर्थात 2013–14 में लगभग 25000 विद्यार्थी पूरे देश के 350 स्थानों पर एक–वर्षीय सीएबीए–एमडीटीपी कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 'इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में कुशलता विकास' शीर्षक से एक परियोजना को अनुमोदित एवं वित्तपोषित किया जिसके अन्तर्गत 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर डिप्लोमा (डीआरईएएम)' शीर्षक पर 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम एनसीपीयूएल तथा नाइलिट चण्डीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना है। यह परियोजना तीन वर्षों के लिए है जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत की कुशलता पर 10000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा दी गई हिमाचल प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियो को सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की परियोजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1600 सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षकों को नियोजित करके 96000 विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- भारी मात्रा में डेटा संसाधन परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है जिसमें पंजाब राज्य विद्युत निगम लि. पटियाला, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि., संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ तथा ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (पंजाब) की बिल निर्माण परियोजनाएँ शामिल हैं।
- पंजाब सरकार ने रोपड़ जिले में आईआईटी परिसर के पास 12.5 एकड़ भूमि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एव सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ को हस्तान्तरित की है। इसका अधिग्रहण करने के पश्चात, नाइलिट एनबीसीसी के साथ सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर करने की कार्रवाई कर रहा है, जिसे रोपड़ में परिसर के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- नाइलिट ने 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना के अन्तर्गत जनसांख्यिकीय डेटा अंकीयकरण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसे भारत के महापंजीयक एवं जनसंख्या आयुक्त, भारत सरकार (ओआरजीएण्डसीसीआई) द्वारा इस केन्द्र को दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 62.5 करोड़ जनसंख्या के आँकड़ों का अंकीयकरण किया जाना था जिसे संबंधित राज्यों के डेटा संचालन निदेशालय को हस्तान्तरित किया गया है।

शिमला में विस्तार केन्द्र

चेन्नै

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
20 सितम्बर, 2013 को आयोजित	**16** नियमित, **8** परियोजना आधारित	रु. 384.95 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री वी. कृष्णमूर्ति	नाइलिट चेन्नै, 25, आईएसटीई परिसर, गांधी मण्डपम रोड, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर चेन्नै – 600 025	044-24421445 dir-chennai@nielit.gov.in	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पाण्डिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार अभ्यर्थियों के लिए डीओईएसीसी 'ओ' स्तर का छठा बैच (220 विद्यार्थी) जुलाई/अगस्त 2013 में आरम्भ किया गया।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार अभ्यर्थियों के लिए सीएचएम 'ओ' स्तर का पहला बैच (100 विद्यार्थी) अगस्त 2013 में आरम्भ किया गया।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार अभ्यर्थियों के लिए डीओईएसीसी 'ओ' स्तर का सातवाँ बैच (420 विद्यार्थी) जुलाई/अगस्त 2014 में आरम्भ किए जाने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गई।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार अभ्यर्थियों के लिए सीएचएम 'ओ' स्तर का दूसरा बैच (110 विद्यार्थी) अगस्त 2014 में आरम्भ किया जाएगा। सीएचएम–ओ स्तर (पीसी वास्तुकला, कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर एलं नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जे, प्रणाली सॉटवेयर डायगनॉस्टिक एवं डिबगिंग टूल्स)
- 'ग्रामीण कुशलता विकास' परियोजना के माध्यम से तमिलनाडु में 7223 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण। (राज्य : तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, श्रीकाकुलम)।
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के 1391 उम्मीदवारों की परीक्षा नाइलिट चेन्नै में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता की ऑनलाइन परीक्षा ली गई।
- बीसीसी की ऑनलाइन परीक्षा में 2439 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई तथा जुलाई, 2014 की परीक्षा के लिए 157 आवेदनों पर कार्रवाई कर ली गई है।
- वीएलएसआई एवं अन्तर्निर्मित प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न अल्पावधि अनुप्रयोग–उन्मुखी एवं कुशलता विकास पाठ्यक्रमों के जरिए 198 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न अनुप्रयोग–उन्मुखी एवं कुशलता विकास कार्यशालाओं के जरिए 213 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण
- सीसीसी की ऑनलाइन परीक्षा में 1143 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय फरवरी, 2014–एनसीवीटी परीक्षा के 362423 ओएमआर पत्रकों की जाँच की गई और उत्तर संबंधित डीईटी के समन्वय से 7 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रकाशित किए गए।
- चेन्नै तथा हैदराबाद के नागर विमानन महानिदेशक के 839 उम्मीदवारों की ऑनलाइन पायलट परीक्षा का आयोजन नाइलिट चेन्नै में किया गया।
- 'इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिजाइन एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण' शीर्षक से एक परियोजना का कार्यान्वयन नाइलिट औरंगाबाद तथा सी–डैक हैदराबाद के साथ मिलकर किया जा रहा है।
- ईपीडीपीटी परियोजना के अन्तर्गत वीएलएसआई प्रयोगशाला का दर्जा प्रोटोटाइपिंग एवं प्रणाली विकास सुविधाओं से किया गया।
- ईपीडीपीटी परियोजना के अन्तर्गत परीक्षण एवं परिमापन प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
- ईपीडीपीटी परियोजना के अन्तर्गत पीसीबी डिजाइन एवं औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई।
- ईपीडीपीटी परियोजना के अन्तर्गत 30 लाख रु. की सहायता से पुस्तकालय का विस्तार किया गया है।
- सीएचएम ओ स्तर प्रत्यायन के 7 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

  नाइलिट केन्द्र चेन्नै के कार्यकलाप चलाने के लिए 5500 वर्ग फुट निर्मित स्थान का प्रयोग करने के लिए आईएसटीई प्रोफेशनल सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर, चेन्नै–25 के साथ किराए के एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए (15 मार्च–14)।

दिल्ली

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
–	29 नियमित, 30 परियोजना आधारित	रु. 2584.62 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
सुश्री रीता अरोड़ा	नाइलिट दिल्ली केन्द्र दूसरी मंजिल, पार्श्वनाथ मेट्रो मॉल, इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, इंद्रलोक, दिल्ली–110052	011-23644149 dir-delhi@nielit.gov.in	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- केन्द्र ने सीसीसी के 6803 विद्यार्थियों तथा बीसीसी के 107 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया तथा इन विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र भी प्रेषित किए गए।
- केन्द्र ने राष्ट्रीय स्तर की योजना में आईटी–'ओ' तथा 'ए' स्तर के पैटर्न पर 'ओ' स्तर पाठ्यक्रम (मैट) आरम्भ किया जिसमें कोलकाता केन्द्र नोडल केन्द्र के रूप में रहा तथा पहले बैच में 16 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया।
- केन्द्र ने नाइलिट –'ओ' स्तर, 'ए' स्तर, मैट– 'ओ' स्तर तथा सीएचएम–'ओ' स्तर तथा 'ए' स्तर में 317 विद्यार्थियों को दाखिला दिया।
- केन्द्र ने एन्ड्रॉएड, J2EE तथा मल्टीमीडिया जैसी उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया। कुल 1222 विद्यार्थियों को विभिन्न अल्पावधि विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।
- केन्द्र ने कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली दूरदर्शन, महिला एवं बाल विभाग, दिल्ली नगर निगम, नवोदय विद्यालय समिति, मीडिया लैब, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के 161 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।
- केन्द्र ने मास्टर ई–शासन योजना के अन्तर्गत दिल्ली, उदयपुर, गोवा तथा कोहिमा में जी1 तथा जी2 कर्मचारियों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा 333 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।
- केन्द्र ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारत सरकार के 1200 कर्मचारियों तथा हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली के 762 उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया।
- केन्द्र ने 'जीआईएस रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस अनुप्रयोगों' पर 15 दिनों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया गया तथा जीआईएस में अनौपचारिक कुशलता उन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से एनआईआईटी जीआईएस लि. (ईएसआरआई इण्डिया) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- प्रतिवर्ष 2 लाख रु. तक की आय वाले परिवारों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर सरकार की योजना के अन्तर्गत, विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रम जावा, नेट तथा मल्टीमीडिया एवं सजीवीकरण पर आयोजित किए गए। कुल 86 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- प्रतिवर्ष 2 लाख रु. तक की आय वाले परिवारों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर सरकार की योजना के अन्तर्गत, विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रम जावा, .नेट तथा मल्टीमीडिया एवं

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

एनिमेशन पर आयोजित किए गए। कुल 86 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

- केन्द्र ने यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जन सामान्य से सूचना प्रौद्योगिकी की सरकारी योजना के अन्तर्गत दिल्ली राज्य की 5 लाख रु. से कम वार्षिक आय की महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से आरम्भ की। इस परियोजना को महिला उद्यमियों का विकास करने तथा आईटी प्रचालनों में उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से शुरू की गई थी। लाभग्राहियों की सुविधा के लिए, निम्न पारिवारिक आय वाली महिलाओं के आसानी से पहुँचने योग्य स्थानों पर विभिन्न केन्द्रों में 5 प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया।
- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति ने 3.12.2013 को नाइलिट दिल्ली केन्द्र का निरीक्षण किया। समिति ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की।
- केन्द्र ने चण्डीगढ़ में आयोजित ई–हरियाणा समारोह में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा सरकार तथा एल्टस इण्डिया, ई–शासन से महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए ई–गॉव पत्रिका का प्रकाशक, द्वारा संयुक्त रूप में किया गया था। दिल्ली केन्द्र ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का प्रदर्शन किया तथा नागरिक सेवा प्रदायगी के लिए समर्थक प्रौद्योगिकी की रुझान पर प्रकाश डाला।
- जापान के एक शिष्टमण्डल ने नाइलिट तथा जापान के बीच अर्हता की प्रति–मान्यता के लिए दिल्ली केन्द्र का दौरा किया। शिष्टमण्डल को नाइलिट पाठ्यक्रमों, उपलब्ध मूलसंरचनात्मक सुविधाओँ तथा केन्द्र के संसाधनों से अवगत कराया गया। यह उपक्रम जापानी कम्पनियों में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कुशल तकनीकी जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था।
- नई दिल्ली नगरपालिका को बिजली तथा जल बिल निर्माण प्रणाली, वेतन पत्रक, आयकर तथा जीपीएफ प्रणाली के अनुप्रयोग सॉटवेयरों के लिए 23 लाख रु. के राजस्व से सॉटवेयर अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराई गई।
- केन्द्र ने ई–शासन तथा अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को परामर्श एवं तकनीकी सहायता सेवा उपलब्ध कराई। वर्ष के दौरान, केन्द्र ने लगभग 400 विभागों को तकनीकी तथा प्रचालन स्तर की सहायता उपलब्ध कराई। हमारी समर्थक सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ प्रतिष्ठित विभागों में सर्ट–इन, क्रिस, दिल्ली जल बोर्ड, कृषि मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम आदि शामिल हैं।
- नाइलिट दिल्ली केन्द्र ने जीआईएस रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस अनुप्रयोगों पर अपना पहला प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। विभिन्न नाइलिट केन्द्रों

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

को 12 मास्टर प्रशिक्षकों ने 3.2.14 से 21.2.14 के दौरान हिस्सा लिया। इस पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया गया तथा सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों के अनुसार भौगोलिक सूचना प्रणाली में अनौपचारिक कुशलता उन्मुखी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की दिशा में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनआईआईटी जीआईएस लि. (ईएसआरआई इण्डिया) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- ई–हरियाणा समारोह का आयोजन चण्डीगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा सरकार तथा एल्टस इण्डिया, ई–शासन से महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए ई–गॉव पत्रिका का प्रकाशक, द्वारा संयुक्त रूप में किया गया था। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के अधिकारियो, सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों तथा विभिन्न राज्यों के अन्य अधिकारी तथा प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के कार्यपालक उपस्थित थे। नाइलिट दिल्ली केन्द्र ने इसमें हिस्सा लिया और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का प्रदर्शन किया तथा नागरिक सेवा प्रदायगी के लिए समर्थक प्रौद्योगिकी की रुझान पर प्रकाश डाला।
- विभिन्न नाइलिट केन्द्रों के 18 मास्टर प्रशिक्षकों ने औद्योगिक डिजाइन केन्द्र (आईडीसी) – आईआईटी बम्बई में 17 से 21 फरवरी 2014 के दौरान मल्टीमीडिया डिजाइन सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग पर पाँच दिवसीय गहन पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पाठ्यक्रम को आईडीसी, आईआईटी–बम्बई द्वारा विशेष रूप तैयार किया गया तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नाइलिट के प्रबंध निदेशक ने प्रो. बी.के. चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष आईडीसी, प्रो. नीना सबनानी, समन्वयकर्ता तथा निदेशक नाइलिट कोलकाता की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया।

गंगटोक

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
-	4 नियमित	रु. 21.26 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री टी.पी. सिंह	नाइलिट गंगटोक इन्दिरा बाइपास रोड, सिचे, केबीटी फ्युअल के पास, (पेट्रोल पम्प) गंगटोक – 737 101	03592-205609 dir-gangtok@nielit.gov.in	सिक्किम

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- नाइलिट, गंगटोक ने सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सिक्किम सरकार के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कई क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त रूप मे आयोजित किए, जो लेखा एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एएटीआई), सिक्किम सरकार के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का नाइलिट बीसीसी तथा सीसीसी में प्रशिक्षण के अतिरिक्त है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सिक्किम सरकार के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सिक्किम सरकार के 06 वरिष्ठ निजी सचिवों, पीएस, पीए, आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें उन्नत एमएस ऑफिस की विशिष्टियों सहित सुरक्षा संबंधी पहलुओं तथा गोपनीय डेटा के संचालन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया गया।
- सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंध एवं विकास विभाग (आरएमडीडी) के अन्तर्गत 118 ग्रामीण विकास सहायकों (आरडीए) को कम्प्यूटर के मूलभूत तत्वों तथा मूलभूत ई–शासन विचारों/अवधारणों पर प्रशिक्षण दिया गया जिससे यह जानकारी निम्नतम स्तर तक पहुँचे क्योंकि आरडीए पंचायतों के घनिष्ठ सम्पर्क में काम करते हैं।
- नाइलिट गंगटोक ने बीसीसी के 310 विद्यार्थियों तथा सीसीसी के 130 विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया। नाइलिट गंगटोक सिक्किस सरकार के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रचालकों के पद के लिए भर्ती परीक्षाओं का भी समय–समय पर आयोजन कर रहा है और हालही में फरवरी, 2014 के दौरान केन्द्र ने पंचायत निदेशालय, सिक्किम सरकार के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया।
- नवम्बर, 2014 के दौरान सी–डैक, हैदराबाद के सहयोग से गंगटोक में सूचना सुरक्षा शिक्षण जागरूकता (आईएसईए) कार्यशाला।
- फरवरी, 2014 के दौरान गंगटोक में राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) सेमीनार।

गोरखपुर

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
02 अक्तूबर, 2013 को आयोजित	34 नियमित, 09 परियोजना आधारित	रु. 4329.13 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
डॉ. समशेर	नाइलिट गोरखपुर एमएमएम इंजीनियरी महाविद्यालय परिसर, देवरिया रोड,गोरखपुर–273010	☎ 0551-2273371 ✉ dir-gorakhpur@nielit.gov.in	उत्तर प्रदेश

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- इस केन्द्र ने 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान 47781 विद्यार्थियों के लक्ष्य की तुलना में कुल 709171 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। 585 प्रतिभागियों को दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित किया गया और 1076 प्रतिभागियों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से, 695798 प्रतिभागियों को आईईसीटी के क्षेत्र में सीसीसी तथा बीसीसी के माध्यम से वर्ष 2013–14 के दौरान प्रशिक्षित किया गया।
  - इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी में एम.टेक।
  - सूचना सुरक्षा में तीन स्तरों पर प्रमाणन योजना।
  - सॉटवेयर व हार्डवेयर तथा जैव–सूचना विज्ञान में नाइलिट 'ओ' तथा 'ए' स्तर।
  - मैट ओ स्तर (मल्टीमीडिया)।
  - आईईसीटी के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सूचना सुरक्षा, साइबर कानून, हार्डवेयर, मल्टीमीडिया एवं एनिमेशन, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, वीएलएसआई डिजाइन तथा अन्तर्निर्मित प्रणाली आदि में अल्पावधि रोजगार सृजनध्व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आईईसीटी के क्षेत्र में कुशलता विकास कार्यक्रम। केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित परियोजनाओं को भी चलाया गया।

1. उन्नत स्तर के सूचना सुरक्षा किट के विकास (अनुसंधान एवं विकास परियोजना) के लिए उन्नत आभासी परिवेश आधारित परस्पर–सक्रिय सूचना सुरक्षा प्रशिक्षण किट।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के 5400 ग्रामीण युवाओं की रोजगार योग्यता में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर मरम्मत एवं अनुरक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के 7200 ग्रामीण युवाओं की रोजगार योग्यता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के 1350 ग्रामीण युवाओं की रोजगार योग्यता में सुधार करने के लिए आईटीईएस–बीपीओ (ग्राहक सेवा तथा बैंकिंग) में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- नाइलिट गोरखपुर द्वारा 22 दिसम्बर, 2013 को आईपीआर पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य आईपीआर कानून और इसके द्वारा आविष्कारों तथा डिजाइनों के संरक्षण की सीमा के बारे जानकारी प्रदान करना था। सेमीनार में कई सत्र थे जिनमें आईपीआर की विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों तथा कार्यरत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किए गए जिसके पश्चात चर्चाएँ हुईं। श्री आर.के. शर्मा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

थे। ग्रुप के 5 सदस्यों तथा 130 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया।

- एम.जे.पी.रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली में नाइलिट गोरखपुर केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में 04.02.2014 से 08.02.2014 तक एक पाँच–दिवसीय शिक्षक विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किया गया। पूरे भारत के 40 प्रतिभागियों ने इस ईडीपी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने टीईक्यूआईपी–II के अन्तर्गत प्रायोजित किया।
- नाइलिट गोरखपुर द्वारा नाइलिट के कर्मचारियों तथा विभिन्न नाइलिट केन्द्रों के शिक्षकों के लिए दो सप्ताह का सूचना सुरक्षा में शिक्षक विकास कार्यक्रमष ;10 मार्च से 21 मार्च, 2014) आयोजित किया गया। लखनऊ (2), अगरतला (2), इम्फाल (1), कालीकट (1), कोलकाता (1), कोहिमा (2), आइजॉल (1) के कुल 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- नाइलिट लखनऊ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित

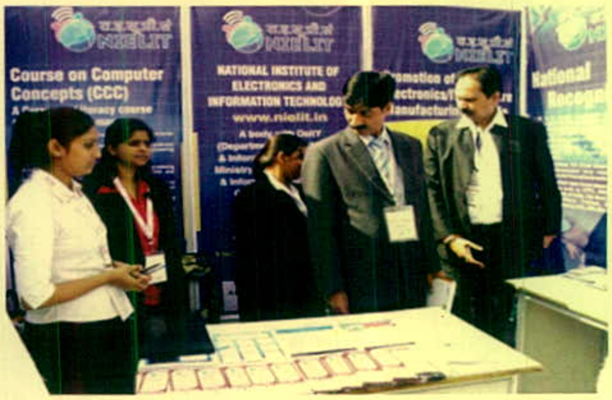

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

ई–उत्तर प्रदेश कार्यशाला में हिस्सा लिया जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह का आयोजन 29 तथा 30 नवम्बर, 2013 को गोमती नगर लखनऊ में ताज के विवान्ता में किया गया।

- नाइलिट लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए यूपीएसआरटीसी, आरटीओ, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, एन.आर.एच.एम आदि के लिए राज्य स्तरीय ई–शासन परियोजना की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- नाइलिट लखनऊ ने डीजीसीए, नाइलिट श्सीसीसीश तथा श्बीसीसीश की ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित कीं।
- नाइलिट लखनऊ ने वर्ष 2013–14 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर 3607 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया।

- नाइलिट लखनऊ ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 242 बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को जावा / .नेट / मल्टीमीडिया पर प्रशिक्षित किया। चण्डीगढ़ की एक टीम ने बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आईटी के प्रभाव मूल्यांकन की दृष्टि से इस केन्द्र का निरीक्षण किया और इस केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
- नाइलिट लखनऊ ने डीजीईटी योजना के अन्तर्गत 100 'ओ' स्तर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया।
- नाइलिट लखनऊ ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत 580 अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया।

गुवाहाटी

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
8 अगस्त, 2013 को तीसरी का.स. बैठक	18 नियमित, 17 परियोजना आधारित	रु. 375.45 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री के. बरुआ	नाइलिट गुवाहाटी पहली एवं दूसरी मंजिल, वित्तीय भवन, एएफसी बिल्डिंग, मो. शाह रोड पल्टन बाजार, गुवाहाटी – 781008	+91-361-2843247 dir-guwahati@nielit.gov.in	असम

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- नाइलिट गुवाहाटी तथा तेजपुर, जोरहाट और सिलचर स्थित इसके तीन विस्तार केन्द्रों तथा गुवाहाटी शहर केन्द्र ने अपने नेमी कार्यकलाप के रूप में केन्द्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।
- अगस्त 2013 में श्री जे. सत्यनारायण, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रबंध निदेशक, नाइलिट तथा अन्यों की उपस्थिति में जोरहाट विस्तार केन्द्र तथा गुवाहाटी शहर केन्द्र का उद्‌घाटन किया। सिलचर विस्तार केन्द्र का उद्‌घाटन भी सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंध निदेशक, नाइलिट तथा अन्यों की उपस्थिति में किया गया।
- जोरहाट (6,450 वर्ग फुट) तथा सिलचर (6,250 वर्ग फुट) विस्तार केन्द्रों की अस्थायी प्रशिक्षण सुविधा क्रमशः आईएसबीटी जोरहाट तथा आईएसबीटी सिलचर में स्थापित की गई।
- दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए अपने विस्तार के कार्यकलापों के एक भाग के रूप में, नाइलिट गुवाहाटी ने असम के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों (विद्यालय एवं महाविद्यालय) स्थित विस्तारित प्रशिक्षण स्थलों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कार्यालय स्वचालन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण आरम्भ किया (सूचना प्रौद्योगिकी में मूलभूत प्रशिक्षण, नाइलिट का मानक पाठ्यक्रम)।
- कोकराझार में अस्थायी प्रशिक्षण सुविधा शुरू करने के लिए लगभग 4000 वर्ग फुट का एक निर्मित स्थान किराए पर लिया गया है।

तेजपुर, जोरहाट, सिलचर, कोकराझार में विस्तार केन्द्र तथा गुवाहाटी **शहर केन्द्र**

इम्फाल

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
31/5/2013 को 10वीं का.स. बैठक	44 नियमित, 14 परियोजना आधारित	रु. 540.66 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री टी.पी. सिंह	नाइलिट इम्फाल, आकम्पट, पोस्ट बॉक्स नं.104 इम्फाल – 795 001. मणिपुर	0385-2454109 dir-imphal@nielit.gov.in	मणिपुर

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- इस केन्द्र ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के वित्तपोषण से 'ई–शासन अनुप्रयोगों में क्षमता निर्माण पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण' पर एक परियोजना के अन्तर्गत मणिपुर के 458 अनूसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है।
- केन्द्र ने 10 जुलाई 2013 को सेनापति विस्तार केन्द्र खोला है और 209 विद्यार्थियों को दीर्घावधि तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया।
- चुड़ाचाँदपुर विस्तार केन्द्र का उद्‌घाटन श्री जे. सत्यनारायण, भाप्रसे, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त, 2013 को वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से किया गया। विस्तार केन्द्र 625 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया।
- केन्द्र ने वर्ष 2012–13 के 151.41 लाख रु. के राजस्व की तुलना में 206.45 लाख रु. के राजस्व का सृजन किया।
- केन्द्र ने 1607 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया (683 विद्यार्थियों को दीर्घावधि पाठ्यक्रमों तथा 924 विद्यार्थियों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से)।
- केन्द्र ने विश्वविद्यालय की पाठचर्या के अनुसार 27–29 फरवरी 2014 के दौरान विद्यार्थियों के तीन–दिवसीय खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्री आर.के. निर्मल सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, युवा कार्य एवं खेल–कूद, मणिपुर सरकार एवं मणिपुर के राज्यपाल के सचिव मुख्य अतिथि थे।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), आकम्पट, इम्फाल में 29 जनवरी, 2014 को 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर)' पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन नाइलिट इम्फाल द्वारा मास्टेक, इम्फाल तथा एनआईटी, मणिपुर के सहयोग से किया गया।
- डॉन बॉस्को कॉलेज, मारम, मणिपुर में एक–दिवसीय आईएसईए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे सी–डैक, हैदराबाद ने प्रायोजित किया। प्रतिभागियों की संख्या 170 थी (कॉलेज के प्राध्यापक सहित)

सेनापति, चुड़ाचाँदपुर में विस्तार केन्द्र

ईटानगर

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	04 नियमित, 06 परियोजना आधारित	रु. 140.71 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री गुरजीत सिंह	नाइलिट, ईटानगर शिव मन्दिर रोड, ई–सेक्टर, नहुरलागुन, ईटानगर – 791 110 अरुणाचल प्रदेश	0360 - 2351854 dir-itanagar@nielit.gov.in	अरुणाचल प्रदेश

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- नाइलिट विस्तार केन्द्र, पासीघाट (अस्थायी भवन) का उद्घाटन तथा नाइलिट विस्तार केन्द्र (स्थायी परिसर) का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार, श्री नबम तुकी ने 01.03.2014 को किया।

- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अब रोजगार तथा क्षमता निर्माण के प्रयोजन से नाइलिट ईटानगर द्वारा चलाए जाने वाले सीसीसी, बीसीसी डीओईएससी ष्ओ॰ स्तर तथा डीओईएससी 'ए' स्तर के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है। कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) को अब पीबी–2 या उससे उच्च स्केल उच्च श्रेणी लिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य बना दिया गया है और मूलभूत कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (बीसीसी) अब पीबी–1 स्केल–निम्न श्रेणी लिपिक वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार की नौकरियों के लिए पूर्व–अपेक्षा है।

- केन्द्र ने कुल 567 विद्यार्थियो को प्रशिक्षित किया जिनमें से 110 विद्यार्थियों को विभिन्न दीर्घावधि तथा 457 विद्यार्थियों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

- केन्द्र ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के 11 पीआरआई कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

- केन्द्र ने एसएसए, राज्य सभा, ईटानगर के सहयोग से 128 एसएसए शिक्षकों के लिए सीएएल (कम्प्यूटर साधित अधिगम) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक चलाया।

- एसएसए, अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिए 20.09.2013 को एक दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

- नाइलिट ईटानगर में 08.03.2014 को आईपीआर जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

- दिनांक 28.3.2014 को सूचना सुरक्षा शिक्षा व जागरूकता (आईएसईए) पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

- केन्द्र को विधायी मेट्रोलॉजी एवं उपभोक्ता कार्य, अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वेबसाइट विकास पर एक परियोजना दी गई।

कोहिमा

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	57 (कोहिमा तथा चुचुयिमलांग)	रु. 353.14 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री टी.पी. सिंह	नाइलिट कोहिमा मेरेइमा, नए उच्च न्यायालय परिसर के नीचे, पोस्ट बॉक्स नं. 733 कोहिमा – 797 001	0370-2806181 dir-kohima@nielit.gov.in	नागालैण्ड

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- नाइलिट कोहिमा समुचित प्रशिक्षण तंत्रों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान सृजित करने की एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। साइबर सुरक्षा की पहलुओं पर जागरूकता साइबर संबंधी आचार को बढ़ाला देने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम करने का एक अभिन्न अंग है। इस परियोजना में समाज के अत्यन्त कमजोर खण्ड अर्थात स्कूल तथा कॉलेज मे पढ़ने वाले बच्चों तथा सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। अब तक 20 स्कूलों तथा 12 कॉलेजों को शामिल किया गया है जिसमें 4000 से ज्यादा विद्यार्थी, शिक्षक तथा व्याख्याता शामिल हैं।
- नाइलिट कोहिमा को ई–शासन परियोजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, नागालैण्ड सरकार के सहयोग से ई–शासन क्षमता निर्माण कार्यक्रम की नागालैण्ड में एक नोडल एजेंसी बनने का गौरव प्राप्त है, जिसका पूर्ण वित्तपोषण एवं प्रायोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नाइलिट कोहिमा को नागालैण्ड सरकार द्वारा संस्थान भागीदार पदनामित किया गया है और सरकारी कर्मचारियों को आईईसीटी तथा ई–शासन के क्षेत्र में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों के साथ इसका सम्पर्क है।
- राज्य सरकार के अब तक 75 वरिष्ठ अधिकारियों तथा 126 मध्यम स्तर के अधिकारियों को कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों के माध्यम से ई–शासन में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 800 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–शासन अनुप्रयोगों में 90 घंटे की अवधि के कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।
- शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार उच्चतर शिक्षा निदेशालय, नागालैण्ड सरकार द्वारा सुश्री इमलिबेनला लोंगुकुमेर को नागालैण्ड विश्वविद्यालय में बीसीए का शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया।
- एलईए, नागालैण्ड द्वारा प्रस्तुत हार्ड डिस्कों, मोबाइल फोनों का फोरेंसिक विश्लेषण साइबर अपराध से संबंधित है।
- स्कूल तथा कॉलेज दोनों के लिए ही साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के माड्यूल विकसित किए गए।
- महालेखा परीक्षक कोहिमा नागालैण्ड के लिए पदोन्नति संबंधी तथा नियमित करने से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
- महिला विकास निदेशालय, नागालैण्ड सरकार द्वारा गैर–सरकारी संगठनो के लिए आयोजित प्रशिक्षण के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए।
- चिकित्सा विभाग, नागालैण्ड सरकार के अन्तर्गत नागालैण्ड राज्य एड नियंत्रण सोसायटी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
- आईबीपीएस तथा एसबीआई परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
- तकनीकी शिक्षा, नागालैण्ड सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीआईटी) के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
- जनगणना सूचना प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।

कोलकाता

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	54 नियमित, 40 परियोजना आधारित	रु. 1191.85 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री टी.पी. सिंह	नाइलिट कोलकाता, जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर, कोलकाता – 700032	033-24146081 dir-kolkata@nielit.gov.in	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- झारखण्ड सरकार के कर्मचारियो के लिए विशेष रूप से निर्मित ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन के लिए 5 अप्रैल, 2013 को दिल्ली में नाइलिट तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार के बीच एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

- एक तीन–दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नाइलिट कोलकाता में 3 से 5 अप्रैल, 2013 के दौरान आयोजित की गई जिसमें पूरे देश के 17 नाइलिट केन्द्रों की प्रतिभागिता थी। श्री सुशान्त मजुमदार, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यक्रम का उद्‌घाटन किया।

- नाइलिट केन्द्र कोलकाता ने 5–7 दिसम्बर, 2013 के दौरान मिलन मेला, कोलकाता में आयोजित भारत की बृहत्तम प्रदर्शनी, इन्फोकॉम 2013 में हिस्सा लिया, जिसमें डिजिटल साक्षरता के माध्यम से नागरिकों को अधिकारिता प्रदान करने में नाइलिट द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रदर्शन किया गया।

- नाइलिट कोलकाता में 14 दिसम्बर, 2013 को बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्‌घाटन प्रो. पी. ईश्वर भट, उपाचार्य, राष्ट्रीय जुरिडिशियल विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रो. रंजन भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, श्री कमल दासगुप्ता, केन्द्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता तथा सम्मानित अतिथि श्री अर्जुन दत्ता, व्यापार आयुक्त, कनाडा व्यापार कार्यालय की उपस्थिति में किया।

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (जेएसएलपीएस), झारखण्ड सरकार तथा नाइलिट कोलकाता के बीच 21 फरवरी, 2014 को ऐतिहासिक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य राष्टर्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता निर्माण करना है।

- केन्द्र के अधिकारियों तथा विद्यार्थियों के लिए 26 फरवरी, 2014 को आईईईई एक्सप्लोर पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। श्री धानु पट्टनशेट्टी, आईईईई क्लायंट सर्विसेज़ / विश्वविद्यालय भागीदारी कार्यक्रम प्रबंधक ने प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता की तथा आईईईई एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के परिदृश्य पर प्रकाश डाला।

- नाइलिट के वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारियों के राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एक–दिवसीय कार्यशाला 13 मार्च 2014 को कोलकाता में आयोजित की गई।

- वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित पश्चिम बंगाल, झारखण्ड तथा ओडीशा राज्यों के 2279 परीक्षार्थी श्सीसीसीश परीक्षा तथा 23283 परीक्षार्थी 'बीसीसी' परीक्षा के लिए बैठे।

- कोलकाता, राँची तथा ओडीशा में अनुसूचित जातिध्जनजाति के 300 रोजगार अभ्यर्थी डीओईएसीसी 'ओ' स्तर कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 रोजगार अभ्यर्थी सीएचएम 'ओ' स्तर कार्यक्रम में कोलकाता तथा ओडीशा में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

- झारखण्ड मे 488 पंचायत कार्यकर्ताओं तथा चुने हुए प्रतिनिधियों को डीओईएसीसी 'बीसीसी' में प्रशिक्षित किया गया, जिसे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रायोजित किया।

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक युवाओं तथा महिलाओं के 7805 कम सुविधा प्राप्त युवाओं को झारखण्ड तथा ओडीशा के विभिन्न जिलों में 3 योजनाओं के अन्तर्गत 18 सूचना प्रौद्योगिकी कुशलताओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने प्रायोजित किया।

- आठवीं कृषि जनगणना 2010–11 तथा इनपुट सर्वेक्षण 2011–12 पर 14.2 करोड़ रु. की परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। पशुधन गणना 2013 की 1ण13 करोड़ रु. की परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का 80% कार्य निष्पादित कर लिया गया है।

- एनपीआर परियोजना – झारखण्ड राज्य के शहरी तथा ग्रामीण भाग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा आँकड़े आरजीआई को सौंप दिए गए है।

- भारी संख्या में भर्ती परीक्षा का संसाधन एवं मूल्यांकन। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, नगरपालिका सेवा आयोग आदि की विभिन्न श्रेणी की पदों के लिए भारी मात्रा में भर्ती परीक्षाओं का संसाधन कर रहा है।

पटना

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	06 नियमित, 08 परियोजना आधारित	रु. 276.00 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री आलोक त्रिपाठी	नाइलिट पटना 13वीं मंजिल, ए–5, बास्कोमन टावर, गांधी मैदान, पटना	0612-2219134 patna@nielit.gov.in	बिहार

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- नाइलिट पटना के स्थायी परिसर की आधारशिला स्थापना समारोह 03/07/2013 को आयोजित किया गया जिसकी स्थापना श्री कपिल सिब्बल, माननीय केन्द्रीय मंत्री, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री नीतिश कुमार, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने श्री पी.के. साही, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, बिहार सरकार, श्री रंजन प्रसाद यादव, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा, श्री एन.के. सिन्हा, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, श्री राज कुमार गोयल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, श्री अश्विनी कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक, नाइलिट की उपस्थिति में की।
- कम्प्यूटर प्रवीणता में प्रमाणन योजना।
- कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार के श्रेणी ग कर्मचारियों तथा सचिवालय के सहायकों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन।
- सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कार्यक्रम (सीसीसी/बीसीसी)/बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
- बिहार राज्य के महादलित/अलंपसंख्यक/महिलाओं तथा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का आईसीटी अवधारणा में कुशलता अभिवृद्धि।
- सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नाइलिट–ओ स्तर का प्रशिक्षण।
- पंचायती राज के पीआरआई कार्यकर्ताओं को बीसीसी प्रशिक्षण।
- क्षेत्र के नाइलिट द्वारा प्रत्यायित संस्थानो तथा विद्यार्थियों के बीच सम्पर्क के रूप में कार्य किया।
- प्रत्यायन, पंजीकरण, परीक्षा तथा अन्य संबद्ध मामलों में सुविधा प्रदान करने के लिए नाइलिट परामर्श का कार्य शुरू किया।
- नाइलिट पटना ने रविवार, 2 फरवरी, 2014 को आईपीआर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री अतुल सिन्हा, प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- नाइलिट पटना ने 20 फरवरी, 2014 को आयोजित ई–बिहार सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री नीतिश कुमार, बिहार के मुख्य मंत्री मुख्य अतिथि थे तथा श्री शाहिद अली खान, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सम्मानित अतिथि थे।
- स्थायी परिसर तथा बिस्कोमॉन टावर की 11वीं मंजिल पर अस्थायी स्थान के निर्माण का कार्य एनबीसीसी को दिया गया।
- सांस्थानिक क्षेत्र के लिए चाहरदीवारी के निर्माण का कार्य पूरा किया गया।

शिलांग

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	1 नियमित, 07 अनुबंध आधार पर	रु. 142.76 लाख

प्रभारी निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री मानब कालिता	नाइलिट शिलांग, दूसरी मंजिल मेघालय राज्य आवास वित्त सहकारी संस्था (एमएसएचएफसीएस) लिमिटेड बिल्डिंग, बेथाने अस्पताल के पीछे, नॉनग्रिम हिल्स शिलांग – 793003, (मेघालय)	0364-2520166 dir-shillong@nielit.gov.in	मेघालय

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- कृषि विभाग, मेघालय सरकार के 30 अधिकारियों के लिए 'आईसीटी कुशलता तथा सूचना सुरक्षा' पर 22 अप्रैल 2013 से 27 अप्रैल, 2013 तक छह (6) दिनों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ओडीशा के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन से एडुक्विटी केरियर प्रा. लि., बंगलौर को मूलसंरचनात्मक सुविधाओँ तथा तकनीकी युक्तियों से सुविधा प्रदान की गई।
- मेघालय पुलिस विभाग के 15 अधिकारियों को लिए 6 मई, 2013 से 10 मई, 2013 तक साइबर फोरेंसिक उपकरणों का प्रयोग करके साइबर अपराध की जाँच–पड़ताल पर पाँच (5) दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- मेघालय की आजीविका सुधार वित्त कम्पनी को 16.5.2013 तथा 28.5.2013 को उनकी विभागीय भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की गई।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन नाइलिट शिलांग में 30 दिसम्बर, 2013 में किया गया जिसमें 86 (छियासी) प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- राष्ट्रीय स्मार्ट आभासी क्लासरूम परियोजना के अन्तर्गत वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा सहित 4 एमबीपीएस के सम्पर्क से केन्द्र में स्मार्ट आभासी क्लासरूम स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत 100 एमबीपीएस फाइबर ऑप्टिक लिंक के जरिए इंटरनेट। बाहरी एफसी लिंक टर्मिनेशन पूरा किया गया है।
- नाइलिट शिलांग ने अपने परिसर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 577 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया और सेंट माइकेल वोकेशनल स्कूल तथा रामकृष्ण मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे प्रत्यायित केन्द्रों के माध्यम से 51 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया।
- मेघालय राज्य में नाइलिट सीसीसी / बीसीसी पाठ्यक्रम के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप मे, केन्द्र ने नाइलिट बीसीसी में 156 विद्यार्थियो तथा नाइलिट सीसीसी पाठ्यक्रम में 102 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए।
- लाबन प्रेसबिटेरियन उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 मार्च, 2014 को सी–डैक, हैदराबाद तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आईएसईए कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विद्यालय के 51 विद्यार्थियों तथा 2 शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

श्रीनगर

कार्यकारी समिति की बैठक(कें)	कार्मिक	कारोबार
--	59 नियमित, 30 परियोजना आधारित	रु. 973.46 लाख

निदेशक	पता	सम्पर्क	क्षेत्राधिकार राज्य
श्री ए.एच. मून	नाइलिट जम्मू तथा कश्मीर सिडको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुराना एअरपोर्ट रोड, रंगरेथ श्रीनगर – 191132	0194-2300501, 2300502 dir-srinagar@nielit.gov.in	जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखण्ड

विशेषताएं एवं उपलब्धियां

- श्री ए.एच. मून, निदेशक नाइलिट, जम्मू तथा कश्मीर ई–शासन फोरम में आईसीटी में क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2013 के लिए जम्मू तथा कश्मीर राज्य के माननीय मुख्य मंत्री से 23 मई, 2013 को एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉ. (श्रीमती) किल्ली क्रुपारानी, केन्द्रीय राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) तथा श्री फिरोज़ अहमद खान, जम्मू तथा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री उपस्थित थे।
- डॉ. अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक, नाइलिट ने लेह में नाइलिट उप–केन्द्र स्थापित करने के लिए श्री मोहम्मद शफी लास्सू, कार्यकारी काउंसिलर, उच्चतर शिक्षा, एलएएचडीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उप–केन्द्र ने नवम्बर, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया है।
- नाइलिट जम्मू तथा कश्मीर में आईसीटी के विभिन्न क्षमता निर्माण तथा कुशलता विकास कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के पंजीकरण/प्रमाणन की संख्या 18000 से बढ़कर 20000 से ज्यादा विद्यार्थी हो गए है।
- जम्मू तथा कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापित 20000 से ज्यादा उम्मीदवारों की कम्प्यूटर आधारित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। इसी प्रकार की परीक्षाएँ रेलवे भर्ती बोर्ड, राज भवन कार्यालय, जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय तथा सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी आयोजित की गईं।
- कृषि गणना विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार के 5.18 लाख कृषि गणना रिकार्डों का अंकीयकण किया गया। इसी प्रकार, स्कूल ऑफ डिजाइन (चरण–2), हस्तशिल्प विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार की आर्टिफेक्ट्स दस्तावेज तैयार करने का कार्य भी पूरा किया गया।
- समाज कल्याण विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार के लिए 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)' नामक वेब अनुप्रयोग का विकास करके होस्ट किया गया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य सेवा प्रदायगी गेटवे (एसएसडीजी) पर होस्ट किए गए इस अनुप्रयोग का उपयोग जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विभिन्न जिलों में लाभग्राहियों को प्रत्यक्ष बैंकिंग अन्तरण (डीबीटी)/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अन्तरण (ईबीटी) के जरिए निधियों का वितरण करने के लिठए किया जाता है।
- एसएमएचएस अस्पताल, श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर सरकार के 250 से ज्यादा नोड परिसर एरिया नेटव्रर्क (सीएएन) का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के बीच प्रकाशिक फाइबर बैकबोन सम्पर्क के साथ किया गया। इस नेटवर्क का प्रयोग एसएमएचएस अस्पताल के अन्दर ई–अस्पताल अनुप्रयोग चलाने के लिए किया जा रहा है। नाइलिट ने नागरिक सहकारी बैंक, जम्मू की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का भी कार्यान्वयन किया।
- सूचना विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर के केन्द्रीय पुस्तकालय के वायरलेस नेटवर्क के विस्तार का कार्यान्वयन किया गया।
- नकली औषधि घोटाला मामले में जम्मू तथा कश्मीर पुलिस द्वारा जब्त किए गए हार्ड डिस्कों के फोरेन्सिक डिस्क इमेज तैयार करने में साइबर फोरेन्सिक प्रकोष्ठ जम्मू को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
- डॉ. (श्रीमती) किल्ली क्रुपारानी, केन्द्रीय राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी), श्री जे. सत्यनारायण, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्री आर. के. गोयल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा डॉ. अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक नाइलिट ने 23 मई, 2013 को नाइलिट श्रीनगर का दौरा किया।
- श्री फिरोज़ अहमद खान, जम्मू तथा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा प्रायोजित अस्पताल उपस्करों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को जम्मू तथा श्रीनगर में क्रमशः 05.09.2013 तथा 24.09.2013 को प्रमाण–पत्र वितरित किए।

विस्तार केन्द्र : नया परिसर, जम्मू विश्वविद्यालय
उप केन्द्र : स्कालजांगलिंग एअरपोर्ट रोड, लेह

संस्था के लेखा–परीक्षक

क्र.सं.	फर्मों के नाम	नाइलिट केन्द्र
1.	मेसर्स चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस डॉ. पी.एन. बहल हाउस, दूसरी मंजिल, 13, दरिया गंज, नई दिल्ली – 110 002	मुख्यालय एवं दिल्ली
2.	मेसर्स डे एण्ड दत्ता स्टेशन रोड सिलचर–788003	आइजॉल
3.	मेसर्स जैन एण्ड गंगवार चन्तामणि 5.5.37/1, जुबिली पार्क औरंगाबाद–432001	औरंगाबाद
4.	मेसर्स पवित्रन एण्ड मुरली 11/266 एफ, भारत पेट्रोलियम पम्प के सामने, चेरोती रोड कालीकट–673032	कालीकट
5.	मेसर्स जे.एल. जैन एण्ड कं. 1582, सेक्टर–34डी चण्डीगढ़–160022	चण्डीगढ़
6.	मेसर्स हबीबुल्ला एण्ड कं. एचवी हाउस, 10 पार्क रोड गोरखपुर–273001	गोरखपुर/लखनऊ
7.	मेसर्स कुंजोबी एण्ड कं वांगखेई खुनो, चेकॉन इम्फाल–795001	इम्फाल
8.	मेसर्स एन. सरकार एण्ड कं 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता–700072	कोलकाता
9.	मेसर्स एस. देबराय एण्ड एसोसिएटस माइक्रो वर्ल्ड कार्यालय परिसर दूसरी मंजिल, राझु प्वाइंट विजया बैंक के सामने कोहिमा–797001	कोहिमा
10.	मेसर्स धर टिकू एण्ड कं. एसडीए कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल कोर्ट रोड, लाल चौक श्रीनगर कश्मीर श्रीनगर–190001	श्रीनगर/जम्मू
11.	मेसर्स जी. तोशनीवाल एण्ड कं. प्रबीर मार्केट, दूसरी मंजिल पल्टन बाजार, ए.टी. रोड गुवाहाटी–781008	तेजपुर/गुवाहाटी
12.	मेसर्स रतन कुमार दास एण्ड कं रामनगर रोड नं.1 (अन्त) अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा पिन– 799001	अगरतला
13.	मेसर्स ए. पाल एण्ड कं निओ होटल बिल्डिंग जी.एस.रोड, पुलिस बाजार शिलांग–793001	शिलांग
14.	मेसर्स सौन्दरराजन एण्ड कं. भूतल – पीछे, एमेराल्ड एस्टेट नया नं. 6/3, सेकंड कनाल क्रॉस रोड, गांधीनगर, अडयार चेन्नै–600020	चेन्नै
15.	मेसर्स रामअवतार गुप्ता एण्ड कं. जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट सीमेंट हाउस के सामने, पहली मंजिल पुरानी मिल चौराहा, अजमेर–305801	अजमेर
16.	मेसर्स एन. मार्डा एण्ड एसोसिएटस गंगटोक–737101	गंगटोक
17.	मेसर्स आर.ए. गड़ोदिया एण्ड कं एक्स–पुलिस लाइन्स तेजपुर–784001	ईटानगर
18.	मेसर्स चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस डॉ. पी.एन. बहल हाउस, दूसरी मंजिल, 13, दरिया गंज नई दिल्ली – 110 002	दिल्ली केन्द्र

चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस
शासपत्रित लेखाकार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

अध्यक्ष, अधिशासी परिषद

1. हमने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था, की 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा इसी वर्ष में समाप्त अवधि के आय तथा व्यय लेखाओं की जाँच कर ली है जिसमें दूसरे लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षित नाइलिट योजना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तथा 18 केन्द्रों – आइजॉल, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, श्रीनगर एवं जम्मू, तेजपुर/गुवाहाटी, कोलकाता, चण्डीगढ़ कोहिमा, चेन्नै, अगरतला, शिलांग, गंगटोक, अजमेर, पटना तथा ईटानगर और हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित नई दिल्ली केन्द्र के विवरण शामिल किए गए हैं, जिनकी प्रमुख टिप्पणियों पर समुचित रूप में विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है।
2. हमने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम अपनी लेखा–परीक्षा इस प्रकार की योजना बनाकर करें जिससे हमें उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गंभीर असत्यता से मुक्त है। लेखा–परीक्षा में, परीक्षण के तौर पर, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशि के समर्थन में दस्तावेजों की जाँच शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रबंध वर्ग द्वारा प्रयोग में लाए गए लेखांकन के सिध्दान्तों तथा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की जाँच करना तथा समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का आंकलन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों का पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
3. हम आगे नीचे दिए अनुसार रिपोर्ट करते हैं :
   - i) नाइलिट, चण्डीगढ़ केन्द्र के शाखा लेखा–परीक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार :

     8 जून, 2014 को एक भीषण अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें एससीओ 114–16 स्थित भवन पूरी तरह नष्ट हो गया है और एससीओ 117–18 स्थित भवन को असुरक्षित तथा प्रवेश के अयोग्य घोषित किया गया है। इस कारण, पूरी मूलसंरचना तथा लेखा एवं प्रशासन से संबंधित रिकार्ड पूरी तरह नष्ट हो गए/प्राप्त करना संभव नहीं है। नाइलिट, चण्डीगढ़ के वर्ष 2013–14 की अन्तिम लेखाओं को उपलब्ध टैली बैकअप के आधार पर तैयार किया गया है, जो वित्त विभाग के अधिकारियों के पास उपलब्ध पेन ड्राइव में भण्डारित किया गया बताया गया, तथा कुछ रिकार्ड बाहरी पार्टियों जैसे कि बैंकों से प्राप्त किए जा सके।

     चूँकि हमारी जाँच के लिए कोई लेखा बही नहीं उपलब्ध कराई जा सकी, इसलिए हमने अपनी लेखा–परीक्षा का कार्य हमें उपलब्ध कराए गए बैकअप आंकड़ों तथा जो भी रिकार्ड हमें उपलब्ध कराए जा सके उनके आधार पर किया। सभी वाउचर, बैंक बही, लेखा बहियाँ लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, क्योंकि वे अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गए हैं।

     नाइलिट, चण्डीगढ़ में 8 जून, 2014 को हुई अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति के कारण एएस–4 के अनुसार वित्तीय प्रभाव/हानि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, हम एएस–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
   - ii) पार्टी की लेखाओं की पुष्टि नहीं हुई है।
   - iii) दिल्ली केन्द्र (पहले चण्डीगढ़ केन्द्र का एक भाग) के मामले में संदिग्घ ऋण का प्रावधान 1,88,22,885/– रु. के कुल ऋण के विरुद्ध लेखा बहियों मे 30,45,795/– रु. मात्र किया गया है और चण्डीगढ़ केन्द्र की बहियों में 216.44 लाख रु. के कुल ऋण के विरुद्ध बहियों में 25,66,574/– रु. मात्र का प्रावधान किया गया है, जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं।
   - iv) परामर्शदाताओ को नियोजित करने में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.08.2006 के जरिए जारी परामर्शदाताओं के नियोजन की नीति एवं कार्यपद्धति मैनुअल में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है।
4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में हमारी टिप्पणियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट देते हैं कि :
   - क. लेखा परीक्षा के प्रयोजन से हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार जरूरी थे।
   - ख. हमारी राय में, जहाँ तक लेखा बहियों की जाँच से हमें पता चला है, संस्था द्वारा रखी गई लेखा बहियाँ कानून की अपेक्षाओं के अनुसार हैं।
   - ग. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा संबंधित केन्द्रों में रखी गई लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
   - घ. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और आय तथा व्यय लेखा भारतीय शाससत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
   - ङ. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलन–पत्र और आय तथा व्यय लेखा और उसके साथ पठित टिप्पणियाँ निम्नलिखित के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं :
     - i) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्था के कार्य की स्थिति।
     - ii) जहाँ तक आय तथा व्यय लेखे का संबंध है, 31 मार्च 2014 को समाप्त लेखांकन वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय।
     - iii) जहाँ तक प्राप्ति तथा भुगतान लेखे का संबंध है, 31 मार्च 2014 को समाप्त लेखांकन वर्ष के लिए प्राप्ति तथा भुगतान की स्थिति।

चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस
शासपत्रित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000082एन

(भारत भूषण)
भागीदार
सदस्यता सं. 087365

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2014

डॉ. बहल हाउस, दूसरी मंजिल, 13, दरिया गंज, नई दिल्ली – 110002
फोन : 011 - 30187085 - 88 फैक्स: 011 - 30187084 ईमेल: chandiwalagupta@yahoo.com

CHANDIWALA VIRMANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस
शासपत्रित लेखाकार

सेवा में
अध्यक्ष, अधिशासी परिषद
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली – 110003

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2014 की हमारी सम्परीक्षित रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न उसी तिथि के सम्परीक्षित लेखा विवरणों का संदर्भ लें। वित्त एवं लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार, एनपीआर परियोजना निधि की अतिशेष राशि और उसपर अर्जित ब्याज का उपयोग परियोजना के समाप्त होने/बन्द किए जाने तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। तदनुसार, चण्डीगढ़ केन्द्र के शाखा लेखा–परीक्षक ने लेखाओं के सम्परीक्षित विवरण को दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को संशोधित किया है।

इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2014 को समाप्त तुलन पत्र की अनुसूची 1 (समेकित/पूँजीगत निधि), अनुसूची 7 (वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान), तथा अनुसूची 12 (वर्तमान परिसम्पत्तियाँ/ऋण तथा पेशगियाँ) संशोधित की गई और हमारे द्वारा आज 7 अक्तूबर, 2014 को हस्ताक्षरित की गई।

इसे हमारी दिनांक 22 अगस्त, 2014 की मूल रिपोर्ट का एक भाग माना जाए।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 अक्तूबर, 2014

चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएटस
शासपत्रित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000082एन

(भारत भूषण)
भागीदार
सदस्यता सं. 087365

डॉ. बहल हाउस, दूसरी मंजिल, 13, दरिया गंज, नई दिल्ली – 110002
फोन : 011 - 30187085-88 फैक्स: 011 – 30187084 ईमेल: chandiwalagupta@yahoo.com

लेखाओं के सम्परीक्षित विवरण पर लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियाँ तथा उनपर प्रबंध–वर्ग के उत्तर

लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंध–वर्ग के उत्तर
8 जून, 2014 को एक भीषण अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें एससीओ 114–16 स्थित भवन पूरी तरह नष्ट हो गया है और एससीओ 117–18 स्थित भवन को असुरक्षित तथा प्रवेश के अयोग्य घोषित किया गया है। इस कारण, पूरी मूलसंरचना तथा लेखा एवं प्रशासन से संबंधित रिकार्ड पूरी तरह नष्ट हो गए/प्राप्त करना संभव नहीं है। नाइलिट, चण्डीगढ़ के वर्ष 2013–14 की अन्तिम लेखाओं को उपलब्ध टैली बैकअप के आधार पर तैयार किया गया है, जो वित्त विभाग के अधिकारियों के पास उपलब्ध पेन ड्राइव में भण्डारित किया गया बताया गया, तथा कुछ रिकार्ड बाहरी पार्टियों जैसे कि बैंकों से प्राप्त किए जा सके। चूँकि हमारी जाँच के लिए कोई लेखा बही नहीं उपलब्ध कराई जा सकी, इसलिए हमने अपनी लेखा–परीक्षा का कार्य हमें उपलब्ध कराए गए बैकअप आंकड़ों तथा जो भी रिकार्ड हमें उपलब्ध कराए जा सके उनके आधार पर किया। सभी वाउचर, बैंक बही, लेखा बहियाँ लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, क्योंकि वे अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गए हैं। नाइलिट, चण्डीगढ़ में 8 जून, 2014 को हुई अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति के कारण एएस–4 के अनुसार वित्तीय प्रभाव/हानि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, हम एएस–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह सूचना के लिए है।
दिल्ली केन्द्र (पहले चण्डीगढ़ केन्द्र का एक भाग) के मामले में संदिग्घ ऋण का प्रावधान 1,88,22,885/– रु. के कुल ऋण के विरुद्ध लेखा बहियों मे 30,45,795/– रु. मात्र किया गया है और चण्डीगढ़ केन्द्र की बहियों में 216.44 लाख रु. के कुल ऋण के विरुद्ध बहियों में 25,66,574/– रु. मात्र का प्रावधान किया गया है, जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं।	केन्द्र बकाया देनदारों से वसूली का निरन्तर प्रयास कर रहा है। संदिग्ध ऋण का प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में किया गया है जहाँ उनकी वसूली के लिए हमारे द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वसूली संदिग्घ है।
परामर्शदाताओ को नियोजित करने में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.08.2006 के जरिए जारी परामर्शदाताओं के नियोजन की नीति एवं कार्यपद्धति मैनुअल में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

तुलन–पत्र
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(धनराशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	नाइलिट	एनपीआर परियोजना	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष नाइलिट	गत वर्ष एनपीआर	गत वर्ष
देयताएँ							
समेकित / पूँजीगत निधि	1	1,22,14,10,247	1,32,48,17,714	2,54,62,27,961	81,38,96,577	69,96,65,249	1,51,35,61,826
सहायता अनुदान	2	1,53,15,24,442	-	1,53,15,24,442	1,11,83,17,349	-	1,11,83,17,349
सहायता अनुदान (ख) प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त निधि	2-A	61,93,38,233	-	61,93,38,233	76,00,45,805	-	76,00,45,805
आरक्षित एवं अतिशेष	3	4	-	4	4	-	4
इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि	4	73,60,75,067	1,04,46,64,136	1,78,07,39,203	57,77,53,413	66,53,68,137	1,24,31,21,550
सुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	2,79,906	-	2,79,906	5,45,295	-	5,45,295
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	6	-	-	-	-	-	-
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	7	87,49,99,076	3,76,04,69,593	4,63,54,68,669	64,82,16,717	4,74,23,83,823	5,39,06,00,540
योग		4,98,36,26,975	6,12,99,51,443	11,11,35,78,418	3,91,87,75,160	6,10,74,17,209	10,02,61,92,369
परिसम्पत्तियाँ							
स्थिर परिसम्पत्तियाँ – सहायता अनुदान	8	29,83,35,316	-	29,83,35,316	28,77,22,862	31,81,333	28,09,04,195
स्थिर परिसम्पत्तियाँ–प्रायोजित परियोजनाए	8-A	5,15,01,875	18,91,203	5,33,93,078	2,06,47,928	-	2,06,47,928
स्थिर परिसम्पत्तियाँ . संस्था की अतिशेष पूँजी से पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	8-B	4,34,91,607	-	4,34,91,607	2,87,58,845	-	2,87,58,845
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	9	61,67,60,879	-	61,67,60,879	32,20,45,298	-	32,20,45,298
इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि का निवेश स्थिर परिसम्पत्तियाँ . संस्था की अतिशेष पूँजी से	10	66,76,93,458	-	66,76,93,458	56,30,90,839	-	56,30,90,839
अन्य निवेश	11	36,17,78,088	-	36,17,78,088	36,93,61,560	-	36,93,61,560
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, पेशगियाँ आदि	12	2,94,40,65,752	6,12,80,60,240	9,07,21,25,992	2,32,71,47,828	6,10,42,35,876	8,43,13,83,704
योग		4,98,36,26,975	6,12,99,51,443	11,11,35,78,418	3,91,87,75,160	6,10,74,17,209	10,02,61,92,369
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ लेखाओं पर टिप्पणियाँ	24 25	-	-	-			

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएट्स
शासपत्रित लेखाकार

स्थानः **नई दिल्ली**
दिनांकः **07 अक्टूबर 2014**

हस्ता / –
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता / –
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

हस्ता / –
(भारत भूषण)
भागीदार

तुलन–पत्र
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(धनराशि रु. में)

विवरण	अनूसची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
देयताएँ			
समेकित / पूँजीगत निधि	1	2,54,62,27,961	1,51,35,61,826
सहायता अनुदान	2	1,53,15,24,442	1,11,83,17,349
सहायता अनुदान (ख) प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त निधि	2-A	61,93,38,233	76,00,45,805
आरक्षित एवं अतिशेष	3	4	4
इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि	4	1,78,07,39,203	1,24,31,21,550
सुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	2,79,906	5,45,295
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	6	-	-
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	7	4,63,54,68,669	5,39,06,00,540
योग		**11,11,35,78,418**	**10,02,61,92,369**
परिसम्पत्तियाँ			
स्थिर परिसम्पत्तिया	8	29,83,35,316	29,09,04,195
स्थिर परिसम्पत्तियाँ–प्रायोजित परियोजनाएँ	8-A	5,33,93,078	2,06,47,928
स्थिर परिसम्पत्तियाँ . संस्था की अतिशेष पूँजी से	8-B	4,34,91,607	2,87,58,845
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	9	61,67,60,879	32,20,45,298
इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि का निवेश	10	66,76,93,458	56,30,90,839
अन्य निवेश	11	36,17,78,088	36,93,61,560
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, पेशगियाँ आदि	12	9,07,21,25,992	8,43,13,83,704
योग		**11,11,35,78,418**	**10,02,61,92,369**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ लेखाओं पर टिप्पणियाँ	24 25	-	-

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएट्स
शासपत्रित लेखाकार

स्थानः **नई दिल्ली**	हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
दिनांकः **07 अक्टूबर 2014**	**(हिमानिश राय)** मुख्य वित्त अधिकारी	**(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)** प्रबंध निदेशक	**(भारत भूषण)** भागीदार

आय तथा व्यय लेखा

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष

(धनराशि रु. में)

विवरण	अनूसची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	13	64,69,28,457	18,84,59,166
अनुदान/इमदाद	14	11,81,85,500	3,62,30,800
शुल्क/अंशदान	15	72,32,14,684	47,47,61,604
परियोजनाओं से आय	16	2,13,74,96,933	2,54,74,18,016
प्रकाशनों की बिक्री से आय	17	17,15,881	14,50,436
अर्जित ब्याज	18	24,70,74,375	25,80,89,539
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	19	5,92,867	2,89,340
विविध आय	20	11,44,25,823	10,03,10,610
योग (क)		**3,98,96,34,520**	**3,60,70,09,511**
व्यय			
स्थापना व्यय	21	48,92,87,855	45,10,70,933
अन्य प्रशासनिक व्यय	22	35,91,76,594	27,64,33,878
परियोजनाओं पर व्यय	23	1,35,92,41,785	1,59,33,13,347
सेवाओं पर व्यय	23	47,69,81,925	17,92,21,200
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास . सहायता अनुदान	22	7,31,95,123	6,90,28,093
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास . अधिशेष	22	57,74,249	29,84,513
योग (ख)		**2,76,36,57,531**	**2,57,20,51,964**
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क – ख)		1,22,59,76,989	1,03,49,57,547
एण्डाउमेंट निधि को अन्तरित ब्याज		6,15,44,070	6,18,63,877
अधिशेष के रूप में शेष को समेकित निधि/पूँजीगत निधि में ले जाया गया		**1,16,44,32,919**	**97,30,93,670**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
लेखाओं पर टिप्पणी	25		

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएट्स
शासपत्रित लेखाकार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 अक्टूबर 2014

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

हस्ता/–
(भारत भूषण)
भागीदार

आय तथा व्यय लेखा
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष

(धनराशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	नाइलिट	एनपीआर परियोजना	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष नाइलिट	गत वर्ष एनपीआर	गत वर्ष
आय							
सेवाओं से आय	13	64,69,28,100	357	64,69,28,457	14,90,36,508	3,94,22,658	18,84,59,166
अनुदान/इमदाद	14	11,81,85,500	-	11,81,85,500	3,62,30,800		3,62,30,800
शुल्क/अंशदान	15	72,32,14,684	-	72,32,14,684	47,47,61,604		47,47,61,604
परियोजनाओं से आय	16	66,95,14,119	1,46,79,82,814	2,13,74,96,933	63,04,83,527	1,91,69,34,489	2,54,74,18,016
प्रकाशनों की बिक्री से आय	17	17,15,881	-	17,15,881	14,50,436		14,50,436
अर्जित ब्याज	18	19,31,26,356	5,39,48,019	24,70,74,375	22,79,78,986	3,01,10,553	25,80,89,539
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	19	5,92,867	-	5,92,867	2,89,340		2,89,340
विविध आय	20	11,30,87,540	13,38,283	11,44,25,823	9,61,74,878	41,35,732	10,03,10,610
योग (क)		2,46,63,65,047	1,52,32,69,473	3,98,96,34,520	1,61,64,06,079	1,99,06,03,432	3,60,70,09,511
व्यय							
स्थापना व्यय	21	47,42,55,679	1,50,32,176	48,92,87855	40,09,58,532	5,01,12,401	45,10,70,933
अन्य प्रशासनिक व्यय	22	35,51,02,019	40,74,575	35,91,76,594	22,80,60,063	4,83,73,815	27,64,33,878
परियोजनाओं पर व्यय	23	48,02,31,528	87,90,10,257	1,35,92,41,785	38,64,50,099	1,20,68,63,248	1,59,33,13,347
सेवाओं पर व्यय	23	47,69,81,925	-	47,69,81,925	17,92,21,200	-	17,92,21,200
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास . सहायता अनुदान	22	7,31,95,123	-	7,31,95,123	6,90,28,093	-	6,90,28,093
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास . अधिशेष	22	57,74,249	-	57,74,249	29,84,513		29,84,513
योग (ख)		1,86,55,40,523	89,81,17,008	2,76,36,57,531	1,26,67,02,500	1,30,53,49,464	2,57,20,51,964
यय से अधिक आय के रूप में शेष (क – ख)		60,08,24,524	62,51,52,465	1,22,59,76,989	34,97,03,579	68,52,53,968	1,03,49,57,547
एण्डाउमेंट निधि को अन्तरित ब्याज		6,15,44,070	-	6,15,44,070	6,18,63,877	-	8,18,63,877
अधिशेष के रूप में शेष को समेकित निधि/पूँजीगत निधि में ले जाया गया		53,92,80,454	62,51,52,465	1,16,44,32,919	28,78,39,702	68,52,53,968	97,30,83,670
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24						
लेखाओं पर टिप्पणी	25						

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते चाँदीवाला विरमानी एण्ड एसोसिएट्स
शासपत्रित लेखाकार

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 07 अक्टूबर 2014	हस्ता/– (हिमानिश राय) मुख्य वित्त अधिकारी	हस्ता/– (डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा) प्रबंध निदेशक	हस्ता/– (भारत भूषण) भागीदार

अनुसूची 1:
समेकित/पूंजीगत निधि

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
आय तथा व्यय समायोजन खाता		
वर्ष के आरम्भभ में शेष	1,36,25,63,826	46,71,36,215
जोड़िए/घटाइए : मुख्यालय के अतिशेष से केन्द्रों को अन्तरित	(65,00,000)	(26,47,240)
घटाइए : भभवन निधि को अन्तरित	(12,00,00,000)	(8,00,00,000)
घटाइए : भ अन्य पूर्व अवधि समायोजन	32,33,216	68,47,380
घटाइए : उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण निधि	(85,00,000)	(15,00,000)
जोड़िए : सहायता अनुदान से अन्तरित निधि	-	-
जोड़िएः व्यय/(आय) से अधिक आय/(व्यय)	1,16,44,32,919	97,27,27,471
योग (क)	**2,39,52,29,961**	**1,36,25,63,826**
नाइलिट योजना के अतिशेष जारी		
अर्थ शेष — योग (ख)	15,09,98,000	15,09,98,000
वर्ष के अन्त में शेष योग क+ख	**2,54,62,27,961**	**1,51,35,61,826**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 2:
सहायता अनुदान

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
मुख्य कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान–क बजटीय स्रोत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान		
अर्थ शेष	1,02,23,78,414	96,89,25,769
जोडिए: ब्याज पूँजीकृत	47,78,772	55,92,424
जोडिए : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त योजनागत अनुदान/केन्द्रों द्वारा वापसी	7,63,87,000	11,90,31,000
जोड़िए : नए केन्द्रों के लिए योजनागत अनुदान	40,26,00,000	2,15,00,000
घटाइए : मुख्यालय को लौटाई गई राशि	(5,71,41,000)	(1,91,09,430)
जोड़िए : पूर्वोत्तर परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियाँ	-	-
घटाइए : आवर्ती व्यय के लिए राजस्व को अन्तरित	(4,83,94,799)	(9,57,000)
जोड़िए/(घटाइए) : वर्ष के दौरान प्रयुक्त/पूँजीकृत/अन्य केन्द्रों को अन्तरित	5,80,337	(77,43,756)
जोड़िए/घटाइए : पूर्व अवधि समायोजन	1,83,336	(4,12,237)
घटाइए : मूल्यहृास वापस किया गया	(7,31,95,123)	(6,44,48,356)
31.03.14 को इति शेष	1,32,81,76,937	1,02,23,78,414
नाइलिट केन्द्रों के इंट्रानेट की स्थापना	2,00,00,000	-
जोड़िए : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त	4,41,92,000	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान ब्याज	9,61,644	-
31.03.14 को इति शेष	6,51,53,644	-
सहायता अनुदान (विस्तार केन्द्र)		
अर्थ शेष	2,00,31,815	-
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से योजनागत अनुदान	8,97,32,000	3,10,00,000
जोड़िए : अर्जित ब्याज	2,25,430	-
जोड़िए : एस/एसटी फीस प्रतिपूर्ति से आय	11,13,000	-
जोड़िए : मूल्यहृास वापस किया गया	17,46,894	8,57,830
घटाइए : मुख्यालय को वापसी	(41,81,000)	-
घटाइए : पूँजीगत/आवर्ती व्यय	(3,95,62,903)	(1,03,18,100)
घटाइए : मूल्यहृास वापस किया गया	(1,10,04,369)	(15,07,915)
31.03.14 को इति शेष	5,81,00,867	2,00,31,815
भवन के लिए सहायता अनुदान – अथ शेष	2,96,26,412	2,91,34,802
जोड़िए : पूँजीकृत ब्याज	2,00,000	491610
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	50,00,000	-
31.03.14 को इति शेष	3,48,26,412	2,96,26,412
रिफर्बिशमेंट निधि–अथ शेष	2,58,15,000	2,58,15,000
31.03.14 को इति शेष	2,58,15,000	2,58,15,000
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पट्टा किराया के लिए अनुदान	50,66,667	58,66,667
राज्य सरकार से सहायता अनुदान	-	-
अर्थ शेष	1,45,09,040	1,19,82,768
जोड़िए : पूँजीकृत निधियाँ/ब्याज	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	30,39,176
घटाइए : मूल्यहृास वापस किया गया	(2,14,126)	(5,12,904)
31.03.14 को इति शेष	1,42,94,914	1,45,09,040
अन्यों से सहायता अनुदान		-
अर्थ शेष	90,001	90,001
31.03.14 को इति शेष	90,001	90,001
वर्ष के अन्त में शेष	**1,53,15,24,442**	**1,11,83,17,349**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 2क:
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता
अनुदान–ख

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त सहायता अनुदान–ख		
डोनर परियोजना		
अथ शेष	29,07,508	46,98,807
वर्ष के दौरान प्राप्त	3,37,980	22,74,508
घटाइएःप्रयोग में लाई गई निधि	-	(36,88,466)
घटाइएः मूल्यह्रास वापस लाया गया	(1,59,329)	(3,77,341)
परियोजना के पूरा होने तक शेष (क)	**30,86,159**	**29,07,508**
डीआईटी एवं केन्द्र सरकार की परियोजनाएँ	-	-
अथ शेष	74,43,76,961	45,70,85,650
जोडिएःपरियोजना के लिए प्राप्त निधि	92,50,30,561	81,04,33,551
जोड़िए : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	7,11,99,158	1,28,59,801
अन्य संवर्धनः फीस/पेशगियाँ आदि	37,91,937	13,30,410
घटाइएः प्रयोग में लाई गई निधि/वितरण/वापसी	(1,12,23,49,999)	(53,15,33,515)
घटाइए : परियोजना आय को अन्तरित व्यय	(51,89,730)	(2,97,428)
घटाइएः मूल्यह्रास वापस लाया गया	(71,95,990)	(55,01,508)
परियोजना के पूरा होने तक शेष (ख)	**60,96,62,898**	**74,43,76,961**
अन्य परियोजनाएँ		
अथ शेष	31,33,764	13197,542
जोडिएः वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	35,22,486	10882,530
घटाइएः आवर्ती एवं पूँजीगत व्यय/वापसी	(45,68,390)	(20844,540)
घटाइएः मूल्यह्रास वापस लाया गया	(79,790)	(101,768)
परियोजना के पूरा होने तक शेष (घ)	**20,08,070**	**31,33,764**
(राज्य सरकार की परियोजनाएँ)		
अथ शेष	96,27,572	1,08,64,854
जोडिएः वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	92,91,805	1,42,91,345
जोडिएः वर्ष के दौरान निवेश से ब्याज/आय	59,587	60,697
घटाइएः मूल्यह्रास वापस लाया गया	-	8,68,856
घटाइएः आवर्ती व्यय/प्रयुक्त निधि	(1,43,97,858)	(1,64,58,180)
परियोजना के पूरा होने तक शेष (ङ)	**45,81,106**	**96,27,572**
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	-	-
अथ शेष	-	5,06,26,11,847
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	2,21,50,00
केन्द्रों को अन्तरित	-	-
जोड़िए : परियोजनाओं से आय	-	-
जोड़िए : अर्जित ब्याज	-	-
घटाइए : पूँजीगत/आवर्ती व्यय	-	(25,40,942)
घटाइए : एपीआर खाते को अन्तरित (अलग खाता रखे जाने के कारण)	-	(5,06,22,85,905)
31.3.14 की स्थिति के अनुसार वर्ष के अन्त में शेष	-	-
योग (क+ख+ग +घ+ङ+च)	**61,93,38,233**	**76,00,45,805**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 3:
आरक्षित निधि एवं अधिशेष

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
पूँजीगत आरक्षित निधि	4	4
सामान्य आरक्षण	-	-
आय तथा व्यय लेखा के अनुसार अतिशेष/(कमी)	-	-
योग	4	4

* निःशुल्क रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के कारण

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 4:
इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क. निधियों का अथ शेष		
भवन निधि	46,46,90,419	35,42,53,325
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	12,00,00,000	8,00,00,000
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	3,35,99,784	2,20,33,560
जोड़िए : अर्जित ब्याज	1,67,98,013	1,27,86,222
घटाइए : वर्ष के दौरान प्रयुक्त निधि	(2,67,29,896)	(43,82,688)
शेष उपलब्ध निधियाँ	60,83,58,320	46,46,90,419
पाठसामग्री विकास निधि	51,52,759	47,50,473
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	3,81,637	3,45,818
जोड़िए : अर्जित ब्याज	60,468	56,468
शेष उपलब्ध निधियाँ	55,94,864	51,52,759
अ.जा / अ.ज.जा. विकलांग एवं महिला छात्रवृत्ति निधि Fund	85,27,432	1,16,20,007
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	8,13,543	14,75,303
जोड़िए : अर्जित ब्याज	5,470	10,122
घटाइए : प्रयुक्त प्रावधान / निधियाँ / वितरण	(34,64,000)	(45,78,000)
शेष उपलब्ध निधियाँ	58,82,445	85,27,432
पुरस्कार निधि	3,77,299	3,58,384
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	19,218	16,962
जोड़िए : अर्जित ब्याज	149	1,953
घटाइए : प्रयुक्त प्रावधान / निधियाँ / वितरण	(2,45,000)	-
शेष उपलब्ध निधियाँ	1,51,666	3,77,299
मानव संसाधन विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास निधि	3,39,09,706	3,08,46,601
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	17,94,362	16,82,121
जोड़िए : अर्जित ब्याज	13,72,215	13,80,984
घटाइए : प्रयुक्त प्रावधान / निधियाँ / वितरण	-	-
शेष उपलब्ध निधियाँ	3,70,76,283	3,39,09,706
आईईसीटी के उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों के पाठ्यविषय का विकास	3,48,72,927	3,17,93,817
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	23,14,240	17,96,274
जोड़िए : अर्जित ब्याज	10,91,335	12,82,836
शेष उपलब्ध निधियाँ	3,82,78,502	3,48,72,927

जारी है...

अनुसूची 4:
इयरमार्क्ड/एनडाउमेंट निधि

नाइलिट सोसायटी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण	2,87,14,008	2,71,28,418
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	27,16,309	10,83,506
जोड़िए : अर्जित ब्याज	1,78,499	15,44,294
घटाइए : प्रयुक्त प्रावधान/निधियाँ/वितरण	(12,83,520)	(10,42,210)
शेष उपलब्ध निधियाँ	3,03,25,296	2,87,14,008
उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण निधि	15,08,863	-
जोड़िए: वर्ष के दौरान संवर्धन	85,00,000	15,00,000
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	87,217	-
जोड़िए : अर्जित ब्याज	3,11,611	8,863
शेष उपलब्ध निधियाँ	1,04,07,691	15,08,863
एनपीआर/आरजीआई निधि (ब्याज)	66,53,68,137	21,05,79,241
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,14,71,91,848	83,60,86,783
जोड़िए : अर्जित ब्याज	27,67,68,287	284070250
उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण निधि	(1,04,46,64,136)	(66,53,68,137)
शेष उपलब्ध निधियाँ	**1,04,46,64,136**	**66,53,68,137**
ख. निधियों में संवर्धन	-	-
1) अनुदान	-	-
2) अन्य संवर्धन	-	-
योग (क+ख)	**1,78,07,39,203**	**1,24,31,21,550**
ग) निधियों के उद्देश्यों पर व्यय		
योग (ग)	**-**	**-**
वर्ष के अन्त में शेष (क+ख–ग)	**1,78,07,39,203**	**1,24,31,21,550**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 5:
सुरिक्षत ऋण तथा उधारियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बैंक से सावधि ऋण (वाहन को बंधक में रखने पर सुरक्षित)	2,79,906	5,45,295
अनुसूचित बैंक से नकद उधारी	-	-
अनुसूचित बैंकों में नकद जमा पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्य	-	-
अन्य संस्थान एवं एजेंसियाँ	-	-
प्रतिधारण पर निवेश के बदले अनुसूचित बैंकों से सुरक्षित ऋण	-	-
योग	**2,79,906**	**5,45,295**

अनुसूची 6:
असुरिक्षत ऋण तथा उधारियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
भारत सरकार से ऋण	-	-
राज्य सरकार से ऋण	-	-
अन्यों से ऋण	-	-
डिमाण्ड नकद उधारी	-	-
ऋण पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्य	-	-
योग	**-**	**-**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 7:
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
(क) वर्तमान देयताएँ		
1. फुटकर लेनदार		
कम्प्यूटर तथा उपस्कर	62,07,571	52,58,133
आपूर्तिकर्ता	3,84,13,784	96,71,949
सेवाएँ	40,00,43,407	27,49,98,716
	-	-
2. प्राप्त सुरक्षा जमा राशि	-	-
	-	-
आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	5,18,55,175	3,83,66,500
बयाना राशि/प्रतिधारण राशि	27,61,12,691	19,07,56,712
जमानती राशि	82,02,330	1,14,02,055
प्रतिधारण राशि दण्ड	17,50,45,375	13,15,11,747
	-	-
3. प्राप्त पेशगियाँ	-	-
विद्यार्थियों से	8,06,86,762	2,62,55,990
अन्यों से	7,41,72,127	7,70,05,696
आरजीआई से	2,96,03,08,500	4,22,33,32,994
	-	
4. व्यय की देयताएँ	-	-
संचित ब्याज–सरकारी ऋण	-	-
संचित ब्याज–वित्तीय संस्थान	-	-
संचित ब्याज–अन्य	32,05,547	-
देयताएँ–अन्य व्यय	7,79,23,067	6,00,32,976
	-	
5. कर्मचारियों को देय वेतन, मजदूरी तथा अन्य दावे	-	-
देय वेतन तथा मजदूरी	24063865	2,31,68,104
अदत्त वेतन तथा मजदूरी	3,470	5,747
कर्मचारियों को देय अन्य दावे	23,58,379	15,90,583
अनुबंध पर कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी	20,05,883	12,89,716
	-	
6. निधियों में अंशदान	-	
कर्मचारियों का अनिवार्य अंशदान–(सीपीएफ/ईपीएफ)	52,06,793	49,61,614
कर्मचारियों का स्वैच्छिक अंशदान–सीपीएफ	8,25,883	2,99,636
अनुबंध पर कर्मचारियों का अंशदान–पीएफ	-	-
संस्था का अंशदान–सीपीएफ	1,09,20,861	1,25,71,191
ऋण की वसूली	88,885	70,402
जब्त किया गया खाता	43,569	43,569

जारी है...

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
7. जमा नहीं होने तक वेतन से वलूवियाँ		
वेतन पर आयकर	34,66,222	8,63,202
जीवन/सामूहिक बीमा प्रीमियम	1,10,299	1,71,106
रोजगार/व्यावसायिक कर	2,36,370	1,12,167
प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों से वसूली	12,307	270
वेतन से अन्य वसूलियाँ	1,04,581	90,276
सामूहिक बीमा	6,726	7,500
	-	-
8. अन्य देयताएँ	(4,42,853)	8,80,000
ठेकेदारो/पेशेवरों/किराए से काटा गया आयकर देय परीक्षा व्यय–ओ/ए/बी/सी	28,64,556	40,42,899
Examination Expenses Payable O/A/B/C	17,78,625	7,26,569
Accreditation Expenses Payable	59,532	33,106
परीक्षा व्यय देय – सीसीसी	4,67,720	5,59,793
चेक जारी/फटे–पुराने चेक	53,12,310	1,70,94,462
वापसी योग्य परीक्षा शुल्क	4,97,586	6,69,565
अन्य देय व्यय	1,42,76,053	62,11,081
लेखा–परीक्षक को देय राशि	5,96,816	4,68,667
वेतन पर टीडीएस	54,614	8,74,079
सेवा कर देय	31,87,522	(58,16,776)
केन्द्रीय बिक्री कर एवं वैट	2,760	4,246
केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों/क्षेत्रीय कार्यालयोएनपीआर परियोजना को देय राशि	18,22,56,985	1,43,85,933
अन्तर–केन्द्र पटना आरसी	16,64,307	-
चण्डीगढ़ केन्द्र दिल्ली जनशक्ति	-	4,42,78,472
विस्तार केन्द्र की देयताएँ एवं प्रावधान	12,52,910	1,52,411
9. नाइलिट योजना से पेशगियाँ	-	-
सूचना–सामग्री विकास के लिए पेशगी	4,85,000	1,85,000
योग (क)	**4,41,59,44,872**	**5,17,85,88,058**
(ख) प्रावधान		
कराधान के लिए प्रावधान	-	-
अनुग्रह राशि/बोनस के लिए प्रावधान	1,11,104	1,55,430
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य के लिए प्रावधान	-	-
व्यय तथा अन्य के लिए प्रावधान	2,88,72,372	1,62,63,380
छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	14,63,78,876	12,87,90,408
उपदान के लिए प्रावधान	12,66,48,883	134624680
घटाइए: एलआईसी सामूहिक उपदान योजना द्वारा वित्तपोषित	(8,24,87,438)	(6,78,21,416)
योग (ख)	**21,95,23,797**	**21,20,12,482**
योग (क) + (ख)	**4,63,54,68,669**	**5,39,06,00,540**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 8:
स्थिर परिसम्पत्तियों के विवरण

(राशि रु. में)

	सकल मालियत				मूल्यह्रास				शुद्ध मालियत	
Description	वर्ष के आरम्भ में लागत 01.04.13 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्य	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अन्त तक योग	वर्ष के अन्त में	गत वर्ष के अन्त में
1. भूमि										
क) फ्री होल्ड	5	-	-	5	-	-	-	-	5	21,86,781
ख) पट्टाकृत	21,000	3,000	-	24,000	-	-	-	-	24,000	21,000
2. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्री होल्ड	22,38,09,481	1,98,24,002	-	24,36,33,483	14,64,48,135	97,17,821	-	15,61,65,956	8,74,67,527	5,54,34,070
ख) पट्टाकृत	2,03,128	-	-	2,03,128	-	-	-	-	2,03,128	2,03,129
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	1	-	-	1	-	-	-	-	1	10,79,960
घ) बिना स्वत्व की भूमि पर सुपर स्ट्रक्चर	7,93,05,226	3,22,325	-	7,96,27,551	5,09,68,180	27,06,595	-	5,36,74,775	2,59,52,776	5,56,53,392
3. संयंत्र तथा मशीनरी एवं उपस्कर	7,92,62,371	17,77,528	-	8,10,39,899	5,62,05,977	36,87,308	-	5,98,93,285	2,11,46,614	2,35,24,650
4. वाहन	1,07,34,013	9,67,562	(9,60,090)	1,07,41,485	69,63,638	6,38,123	(8,44,536)	67,57,225	39,84,260	45,57,283
5.फर्नीचर तथा फिक्सचर	9,55,32,294	1,61,03,058	(36,92,603)	10,79,42,749	4,54,29,242	57,86,034	-	5,12,15,276	5,67,27,473	5,32,89,698
6. कार्यालय उपस्कर	5,50,30,773	1,72,83,437	(64,99,601)	6,58,14,609	3,22,97,389	45,58,723	(19,770)	3,68,36,342	2,89,78,267	2,26,16,670
7.कम्प्यूटर तथा पेरिफरल (सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर)	30,44,08,441	4,59,99,466	(80,98,570)	34,23,09,337	27,23,64,349	3,67,24,860	(5,45,973)	30,85,43,236	3,37,66,101	3,29,88,541
8. विद्युत प्रतिष्ठापन	3,98,73,324	41,07,302	(8,31,904)	4,31,48,722	2,41,81,386	27,50,688	(14,92,076)	2,54,39,998	1,77,08,724	1,61,89,475
9. पुस्तकालय एवं पुस्तकें	3,77,69,347	29,67,373	(22,687)	4,07,14,033	3,65,13,493	31,71,320	(20,506)	3,96,64,307	10,49,726	12,63,647
10. टयूबवेल जल आपूर्ति एवं भूमि विकास	51,91,824	3,40,888	-	55,32,712	31,35,452	2,22,682	-	33,58,134	21,74,578	25,07,615
11. इंटरनेट सम्पर्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. वातानुकूलन यत्र	90,35,232	25,33,399	(15,10,199)	1,00,58,432	54,44,218	8,58,904	-	63,03,122	37,55,310	44,64,271
13. प्रयोगशाला उपस्कर	4,29,13,816	40,81,367	-	4,69,95,183	2,95,04,904	23,30,318	-	3,18,35,222	1,51,59,961	1,46,45,401
14. अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ	7,84,490	-	-	7,84,490	5,05,879	41,747	-	5,47,626	2,36,864	2,78,611
15. यूएनडीपी उपस्कर	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
16. सडक एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. गैस सिलिंडर	72,534	-	-	72,534	72,534	-	-	72,534	-	-
				-						
योग	**98,39,47,301**	**11,63,10,707**	**(2,16,15,654)**	**1,07,86,42,354**	**71,00,34,776**	**7,31,95,123**	**(29,22,861)**	**78,03,07,038**	**29,83,35,316**	**29,09,04,195**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 8क:
स्थिर परिसम्पत्तियों के विवरण – प्रायोजित परियोजनाएं

(राशि रु. में)

	सकल मालियत				मूल्यह्रास				शुद्ध मालियत	
Description	वर्ष के आरम्भ में लागत 01.04.13 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्य	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अन्त तक योग	वर्ष के अन्त में	गत वर्ष के अन्त में
1. भूमि										-
क) फ्री होल्ड	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-
ख) पट्टाकृत	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										-
क) फ्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाकृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिना स्वत्व की भूमि पर सुपर स्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र तथा मशीनरी एवं उपस्कर	24,050	-	-	24,050	3,863	3,028	-	6,891	17,159	2,93,142
4. वाहन	12,42,254	-	-	12,42,254	5,04,604	1,10,648	-	6,15,252	6,27,002	2,53,851
5. फर्नीचर तथा फिक्सचर	51,88,753	86,73,546	-	1,38,62,299	19,73,056	10,79,606	-	30,52,662	1,08,09,637	29,38,526
6. कार्यालय उपस्कर	1,55,45,652	1,21,29,967	-	2,76,75,619	72,58,192	23,83,388	-	96,41,580	1,80,34,039	88,06,640
7. कम्प्यूटर तथा पेरिफरल (सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर)	3,53,54,997	2,11,34,090	(1,69,104)	5,63,19,983	2,89,34,561	1,43,13,596	(1,68,993)	4,30,79,164	1,32,40,819	60,91,457
8. विद्युत प्रतिष्ठापन	-	8,61,292	-	8,61,292	-	1,16,771		1,16,771	7,44,521	-
9. पुस्तकालय एवं पुस्तकें	1,81,494	33,23,613	-	35,05,107	1,81,494	16,90,066	-	18,71,560	16,33,547	21,014
10. टयूबवेल जल आपूर्ति एवं भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. इंटरनेट सम्पर्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. वातानुकूलन यत्र	-	61,400	-	61,400	-	4,605	-	4,605	56,795	-
13. प्रयोगशाला उपस्कर	24,25,188	69,76,723	-	94,01,911	1,81,889	9,90,466	-	11,72,355	82,29,556	22,43,298
14. अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. यूएनडीपी उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. सडक एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**5,99,62,388**	**5,31,60,634**	**(1,69,104)**	**11,29,53,918**	**3,90,37,659**	**2,06,92,174**	**(1,68,993)**	**5,95,60,840**	**5,33,93,078**	**2,06,47,928**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 8 ख
अतिशेष निधियों से सृजित–स्थिर परिसम्पत्तियों के विवरण

	सकल मालियत				मूल्यह्रास				शुद्ध मालियत	
	वर्ष के आरम्भ में लागत 01.04.13 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्य	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अन्त तक योग	वर्ष के अन्त में	गत वर्ष के अन्त में
1. भूमि										
क) फ्री होल्ड	21,86,777	-	(23,918)	21,62,859	-	-	-	-	21,62,859	-
ख) पट्टाकृत	1,24,02,545	-	-	1,24,02,545	-	-	-	-	1,24,02,545	1,24,02,545
2. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्री होल्ड	1,04,59,497	33,585	-	1,04,93,082	37,48,894	6,74,419	-	44,23,313	60,69,769	13,21,534
ख) पट्टाकृत	12,00,481	-	-	12,00,481	7,81,900	41,858	-	8,23,758	3,76,723	4,18,581
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	36,20,947	-	-	36,20,947	25,40,987	1,07,996	-	26,48,983	9,71,964	-
घ) बिना स्वत्व की भूमि पर सुपर स्ट्रक्चर	39,93,323	-	-	39,93,323	11,65,026	2,82,830	-	14,47,856	25,45,467	2,8,28,297
3. संयंत्र तथा मशीनरी एवं उपस्कर	28,83,207	2,33,959	-	31,17,166	15,69,514	2,14,602	-	17,84,116	13,33,050	5,36,174
4. वाहन	14,75,696	-	-	14,75,696	11,72,587	45,466	-	12,18,053	2,57,643	-
5.फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,94,06,710	1,41,718	-	1,95,48,428	1,10,52,916	8,42,666	-	118,95,582	76,52,846	53,21,368
6. कार्यालय उपस्कर	60,26,076	1,03,680	(46,165)	60,83,591	42,86,465	2,75,981	(44,556)	45,17,890	15,65,701	12,68,424
7.कम्प्यूटर तथा पेरिफरल (सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर)	7,75,64,935	25,85,925	(57,837)	8,00,93,023	7,53,43,531	21,13,650	(57,245)	7,73,99,936	26,93,087	15,04,414
8. विद्युत प्रतिष्ठापन	9,24,699	-	-	9,24,699	4,23,842	74,722	-	4,98,564	4,26,135	8,354
9. पुस्तकालय एवं पुस्तकें	42,50,848	3,63,865	(2,915)	46,11,798	41,96,042	2,64,903	-	44,60,945	1,50,853	26,000
10. टयूबवेल जल आपूर्ति एवं भूमि विकास	7,93,495	-	-	7,93,495	3,42,252	45,125	-	3,87,377	4,06,118	-
11. इंटरनेट सम्पर्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. वातानुकूलन यत्र	58,08,008	93,083	(9,05,650)	49,95,441	46,55,510	1,82,604	(8,77,432)	39,60,682	10,34,759	2,79,242
13. प्रयोगशाला उपस्कर	76,57,156	-	-	76,57,156	38,02,159	5,78,249	-	43,80,408	32,76,748	26,49,394
14. अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ	4,38,397	-	-	4,38,397	2,43,879	29,178	-	2,73,057	1,65,340	1,94,518
15. यूएनडीपी उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. सडक एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. गैस सिलिंडर		-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	16,10,92,797	35,55,815	(10,36,485)	16,36,12,127	11,53,25,504	57,74,249	(9,79,233)	12,01,20,520	4,34,91,607	2,87,58,845

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 9:
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	38,08,97,571	29,55,11,875
I) कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	12,96,25,851	60,42,795
ii) सिविल परामर्श सेवा	10,60,58,977	2,03,99,148
iii) आनुषंगिक व्यय	1,78,480	91,480
योग	61,67,60,879	32,20,45,298

अनुसूची 10:
इयरमार्क्ड/एन्डाउमेंट निधियों से निवेश

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-	-
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
शेयर	-	-
डिबेंचर तथा बॉण्ड	-	-
अन्य (बैंक ऑफ इण्डिया में सावधि जमा)	-	-
भवन निधि	54,08,50,127	45,16,66,950
पाठ्यसामग्री विकास निधि	51,17,816	46,79,711
अ.जा/अ.ज.जा, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला छात्रवृत्ति निधि	55,00,000	1,21,37,512
पुरस्कार निधि	1,50,000	2,20,345
मानव संसाधन विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास निधि	3,57,04,078	3,19,25,732
आईईसीटी के उदीयमान क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के पाठ्यविषय के विकास के लिए निधि	3,78,75,867	3,35,21,702
नाइलिट निधि के कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण निधि	3,21,99,490	2,79,38,887
उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण निधि एफडीआर	1,02,96,080	10,00,000
योग	66,76,93,458	56,30,90,839

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 11:
निवेश–अन्य

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-	-
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
शेयर	-	-
सामूहिक उपदान (भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना)	-	-
डिबेंचर तथा बॉण्ड	-	-
सहायक कम्पनियाँ तथा संयुक्त उद्यम	-	-
अन्य	-	-
एनपीआर/आरजीआई एफडीआर का सृजन	-	-
पंचायती राज एफडीआर	-	1,21,00,000
ग्रामीण भारत में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम एफडीआर	-	-
आरएण्डएम, आईटी कुशलता तथा आईटीईएस–बीपीओ एफडीआर	-	-
एनईआर में आईईसीटी का प्रशिक्षण एफडीआर	27,98,54,800	31,08,31,560
पटना केन्द्र की स्थापना एफडीआर	-	4,64,30,000
अगरतला केन्द्र की स्थापना एफडीआर	8,19,23,288	
राइलिट अजमेर की स्थापना एफडीआर	-	-
योग	**36,17,78,088**	**36,93,61,560**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 12:
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
फुटकर देनदार – आपूर्तिकर्ताओं के लिए	1,65,254	66,95,270
फुटकर देनदार – सेवाओं के लिए	24,19,88,460	18,76,52,293
फुटकर देनदार – अन्य	32,94,184	6,90,35,040
फुटकर देनदार – केन्द्र	-	-
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(1,76,60,983)	(77,20,785)
फुटकर देनदार – आरजीआई	1,33,17,65,498	1,17,61,97,867
	-	-
2. पास में स्टॉक (लेखन–सामग्री एवं प्रकाशन)	42,75,261	62,09,757
3. पास में नकद शेष		
पास में नकदी (परियोजना सहित)	1,36,446	2,22,962
पास में अग्रदाय राशि	25,500	48,107
पास में स्टाम्प	-	-
मार्गस्थ चेक/डीडी भुगतान	30,00,000	6,661
पास में चेक/ड्राफ्ट	21,088	-
4. बैंक में शेष		
चालू खाता	24,97,24,627	17,74,72,011
बचत खाता	34,51,68,854	72,82,63,296
अल्पावधि जमा	4,91,38,09,688	4,88,40,30,116
दीर्घावधि जमा	65,24,80,212	54,92,19,639
सहायता अनुदान निधि के लिए दीर्घावधि जमा	-	-
जमा राशि पर अर्जित ब्याज	25,04,24,209	21,55,67,914
दीर्घावधि जमा (ईएमडी)	10,000	10,000
इयरमार्क्ड निवेश पर अर्जित ब्याज	2,11,02,044	1,84,31,282
सहायता अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज	43,48,898	37,18,038
5. अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
बिक्री कर/वैट इनपुट क्रेडिट	4,02,79,881	1,50,57,806
नाइलिट अगरतला को पेशगी	14,11,476	-
डीआईटी से प्राप्य अ.जा/अ.ज.जा फीस कंसेशन	6,22,84,144	3,88,40,338
वसूलीयोग्य फीस/आय	34,56,07,797	3,95,40,072
योग (क)	**8,45,36,62,538**	**8,10,84,97,684**
ख. ऋण, पेशगियाँ आदि		
1. ऋण	-	-
कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण	-	21,475
कर्मचारियों को मोटर कार/स्कूटर ऋण	29,325	12,168
कर्मचारियों को अन्य ऋण	20,656	1,40,112
बाहरी संस्थानों को ऋण	-	30,88,593
ऋण पर अर्जित ब्याज	2,08,631	2,81,885
सीपीएफ निधि को अग्रिम भुगतान		

जारी है...

अनुसूची 12:
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
2. बसूली योग्य पेशगियाँ		
जमा कार्यों के लिए पेशगियाँ	3,55,74,506	4,46,11,600
अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए पेशगियाँ	84,78,584	13,44,841
आपूर्तिकर्ताओं को पेशगियाँ	4,17,31,607	1,90,490
अन्य को पेशगियाँ–बाहरी	34,36,26,772	15,59,04,422
घटाइए रू अन्यों के लिए प्रावधान	(19,58,59,883)	(6,85,19,627)
कर्मचारियों को त्यौहार पेशगी	3,06,440	2,53,590
यात्रा पेशगी	2,67,120	3,57,115
कर्मचारियों को अन्य पेशगियाँ	4,09,552	7,45,792
परीक्षा अधीक्षकों को पेशगियाँ–ओ/ए/बी/सी स्तर	72,30,774	21,186
परीक्षा अधीक्षकों को पेशगियाँ–बायो/सीसीसी	4,06,013	1,86,531
व्यय के लिए अस्थायी पेशगियाँ	17,17,176	18,92,589
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि	60,74,531	26,044
पार्टियों/केन्द्रों से वसूली योग्य राशि	75,55,149	4,07,52,860
स्रोत पर काटा गया आयकर	15,69,24,605	12,63,41,107
पूर्व प्रदत्त व्यय	32,30,489	18,67,479
सुरक्षा जमा	82,95,675	38,53,002
क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय को पेशगियाँ	17,24,58,232	1,26,458
डिजिटल लाइब्रेरी के लिए केन्द्रों को पेशगी	24,69,178	20,61,178
एसटीपीआई को प्रदत्त लीज़होल्ड किराया	50,66,667	58,66,667
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (पूर्वोत्तर परियोजना)	1,19,48,227	
3. विविध व्यय तथा हानि		
आस्थगित राजस्व व्यय	2,93,428	14,58,463
4. अन्तर केन्द्र लेखा		
क) आइजॉल	-	-
ख) औरंगाबाद	-	-
ग) कालीकल केन्द्र	-	-
घ) चण्डीगढ़ केन्द्र	-	-
ङ) चेन्नै केन्द्र	-	-
च) गोरखपुर केन्द्र	-	-
छ) गंगटोक केन्द्र	-	-
ज) इम्फाल केन्द्र	-	-
झ) श्रीनगर/जम्मू केन्द्र	-	-
ञ) कोलकाता	-	-
ट) राइलिट कोहिमा	-	-
ठ) नाइलिट केन्द्र शिलांग	-	-
ड) राइलिट अगरतला	-	-
ढ) तेजपुर केन्द्र	-	-
ण) ईटानगर केन्द्र	-	
त) नाइलिट मुख्यालय	-	-
थ) नाइलिट (मुख्यालय)–परियोजना (ओएमआर(डीजीईटी) एवं बीसीएएस)	-	-
द) नाइलिट दिल्ली	-	-
ध) नाइलिट पटना	-	-
न) एनपीआर	-	-
योग (ख)	**61,84,63,454**	**32,28,86,020**
योग (क+ख)	**9,07,21,25,992**	**8,43,13,83,704**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 13:
सेवाओं से आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सेवाओं से आय		
परामर्श सेवाएँ/व्यावसायिक शुल्क	49,99,42,991	14,68,73,877
औद्योगिक परामर्श शुल्क	-	-
डेटा संसाधन प्रभार	14,01,61,116	-
वेबसाइट प्राप्ति	90,000	4,13,030
अनुरक्षण सेवाएँ	18,74,212	14,27,286
कम्प्यूटर किराया (आईजीएनयू पाठ्यक्रम)	1,98,940	1,06,756
मूलसंरचना सुविधा	-	-
अन्य सेवाओं से आय	46,61,198	3,96,38,217
योग	**64,69,28,457**	**18,84,59,166**

अनुसूची 14:
अनुदान/इमदाद

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त योजना–भिन्न अनुदान	-	-
राज्य सरकार	1,70,00,000	1,70,00,000
सरकारी एजेंसियाँ	-	-
संस्थान/कल्याण निकाय	12,21,402	7,33,936
Institutions / Welfare Bodies	-	-
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
योजना से अन्तरण/आवर्ती व्यय के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभ्पाग से प्राप्त (विस्तार केन्द्र तथा परियोजना मोड के अन्तर्गत)	9,26,64,098	1,76,96,864
जारी मुख्यालय का अंश	65,00,000	-
पट्टाकृत किराया के कारण सहायता अनुदान का अन्तरण	8,00,000	8,00,000
योग	**11,81,85,500**	**3,62,30,800**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 15:
फीस / अंशदान

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के आयोजन से आय		
एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के दीर्घावधि पाठ्यक्रम	2,53,50,159	1,51,43,691
नाइलिट योजना के अन्तर्गत ओ/ए/बी/सी स्तर पर पाठ्यक्रमों का संचालन	5,23,43,681	5,87,89,979
जैव सूचना–विज्ञान	1,08,355	2,37,950
एम.टेक पाठ्यक्रम	1,00,63,040	1,44,82,260
एमसीए पाठ्यक्रम	1,79,99,968	1,55,76,664
बी.टेक पाठ्यक्रम	8,86,541	-
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	37,64,762	35,43,350
बीसीए तथा समस्तर पाठ्यक्रम	1,87,48,349	1,41,87,609
मैट्रिकोत्तर डिप्लोमा	82,66,991	1,04,55,236
सीएफएस योजना	68,08,657	1,11,24,315
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से विविध आय	20,61,294	11,83,181
हार्डवेयर पाठ्यक्रम	67,09,619	64,25,579
पीएचडी फीस	3,98,200	35,250
2. अल्पावधि पाठ्यक्रमों के आयोजन से आय	-	-
3 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रम	7,20,45,569	6,64,50,071
3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीने से कम अवधि के पाठ्यक्रम	87,38,174	85,73,144
6 – 9 महीने की अवधि के पाठ्यक्रम	7,29,747	9,86,840
9 – 12 महीने की अवधि के पाठ्यक्रम	-	-
कार्पोरेट पाठ्यक्रम/सीआईएससी परियोजना	1,73,11,158	75,22,113

जारी है...

अनूसची 15:
फीस / अंशदान

(राशि रु. में)

कार्पोरेट पाठ्यक्रम / सीआईएससी परियोजना	1,73,11,158	75,22,113
3. मुख्यालय द्वारा डीओईएसीसी योजना के कार्यान्वयन से आय		
प्रत्यायन शुल्क	2,39,27,938	1,27,01,244
पंजीकरण शुल्क	2,36,98,764	2,16,83,197
परीक्षा फार्म की बिक्री	1,62,046	28,09,902
परीक्षा शुल्क ओ / ए / बी / सी स्तर	8,94,56,245	10,31,87,397
परीक्षा शुल्क – सीसीसी	29,94,83,937	7,88,59,925
परीक्षा शुल्क–बीसीसी	3,16,77,387	1,70,35,948
परीक्षा शुल्क अन्य	13,76,992	20,67,666
जैव–सूचना विज्ञान पाठ्यक्रमों से आय	44,387	66,913
हार्डवेयर पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन से आय	3,04,000	5,51,508
एससीएसपी / टीएसपी योजना के अन्तर्गत एनसी / एसटी शुल्क	7,48,724	10,80,672
योग	**72,32,14,684**	**47,47,61,604**

हस्ता / –
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता / –
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 16:
परियोजनाओं से आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
डोनर परियोजनाएँ	-	-
आईटीईएस (कॉल सेंटर)/आईटीईएस–बीपीओ/बायो परियोजना	-	27,06,072
जोड़िए : ब्याज	-	-
मूल्यहृास वापस लाया गया	-	-
योग–क	**-**	**27,06,072**
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजनाएँ/केन्द्रीय परियोजनाएँ	60,00,000	1,81,29,888
सीएससी परियोजना	-	8,01,410
साइबर सुरक्षा परियोजना	1,44,32,016	34,376
क्षमता निर्माण	1,44,25,778	36,30,187
वायरलेस सेंसर परियोजना	39,26,000	-
वीटीई परियोजना	44,36,454	54,90,905
आईईसीटी में महिला अधिकारिता	1,39,67,333	1,32,93,351
अल्पसंख्यक प्रशिक्षण से आय	1,25,08,899	94,31,648
चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला	14,13,546	27,63,052
कम्प्यूटर अपराध–विज्ञान प्रयोगशाला	7,10,165	1,20,04,135
सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता	7,04,455	19,03,215
जल क्लालिटी – डल लेक की तात्कालिक निगरानी	87,28,000	-
डीजीईटी परियोजना/ऑनलाइन नागर विमानन परीक्षा	1,59,48,961	5,91,687
एससीएसपी एवं टीएसपी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना	3,35,62,531	2,74,36,552
पंचायती राज	1,08,92,730	51,13,068
ग्रामीण जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	6,71,55,600	8,26,76,614
आईपीआर कार्यशाला	27,62,000	-
कृषिजनगणना परियोजना	5,53,434	-
मूल्यहृास वापस लाया गया	1,77,29,905	74,63,819
योग–ख	**22,98,57,807**	**19,07,63,907**
औद्योगिक एजेंसी/राज्य सरकार/अन्य द्वारा प्रायोजित	2,52,04,608	63,73,200
राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित (जम्मू तथा कश्मीर शहरी विकास प्राधिकरण) तथा मिज़ोरम (आइजॉल) तथा कोलकाता	-	63,82,587
डीएसटी/एआईसीटीई/डीबीटी–बायो द्वारा प्रायोजित	-	22,79,470
अन्य	5,02,815	6,27,564
अपनी परियोजनाएँ	413948889	42,08,37,823
मूल्यहृास वापस लाया गया	-	5,12,904
योग–ग	**43,96,56,312**	**43,70,13,548**
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (घ)	1,46,79,82,814	1,91,69,34,489
योग (क+ख+ग+घ)	**2,13,74,96,933**	**2,54,74,18,016**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 17:
प्रकाशनों की बिक्री से आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
रॉयल्टी से आय	-	1,84,140
प्रकाशनों की बिक्री – मुख्यालय	5,74,281	3,33,330
प्रकाशनों की बिक्री – अन्य केन्द्र	58,905	2,83,591
विवरणिका की बिक्री (डीईपीएम, एम.टेक, बायो–ए,ओ स्तर)	10,76,070	6,48,375
प्रकाशन की बिक्री–हार्डवेयर पाठ्यक्रम	6,625	1,000
योग	17,15,881	14,50,436

अनूसची 18:
अर्जित ब्याज

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सावधि जमा पर	14,47,33,919	12,70,03,149
बचत खातों पर	1,76,60,220	93,45,585
कर्मचारी ऋण पर	16,707	67,846
अन्य निवेशों पर	2,31,19,459	6,00,49,082
ईयरमार्क्ड निधि पर	6,15,44,070	6,18,63,877
सहायता अनुदान को अन्तरण	-	(2,40,000)
योग	24,70,74,375	25,80,89,539

अनूसची 19:
टाउनशिप से प्राप्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
किराया प्राप्तियाँ	5,32,607	2,40,943
जल प्रभार की वसूली	-	-
विद्युत प्रभार की वसूली	60,260	41,300
टाउनशिप से अन्य प्राप्तियाँ	-	7,097
योग	5,92,867	2,89,340

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 20:
विविध प्राप्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
विविध आय	1,13,94,132	1,53,71,003
कार्यशाला प्राप्ति	2,88,884	10,000
प्राप्त ब्याज–बैंक	16,64,505	4,03,607
प्राप्त ब्याज–अन्य	-	10,40,869
अतिथि गृह/छात्रावास प्राप्तियाँ	38,65,204	29,49,824
अन्य फुटकर प्राप्तियाँ	31,70,019	62,66,037
योक (क)	**2,03,82,744**	**2,60,41,340**
गैर प्रचालन आय		
गत वर्षों से संबंधित आय	47,25,292	39,82,666
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभभ	2,41,510	78,784
असाधारण वस्तुओं से आय	-	-
अतिरिक्त प्रावधान वापस लाया गया	1,45,73,505	44,95,037
अनुदान की परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास	7,31,95,123	6,44,27,243
योग (ख)	**9,27,35,430**	**7,29,83,730**
अन्तिम स्टॉक		
तैयार वस्तुओं तथा निर्माणाधीन कार्य के स्टॉक में बढ़ोतरी/कमी	(3,992)	(8,035)
भण्डार, अतिरिक्त–पुर्जे, खपत योग्य वस्तुएँ तथा संघटक–पुर्जे (अन्तिम स्टॉक)	13,11,641	12,93,575
योग (ग)	**13,07,649**	**12,85,540**
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	**11,44,25,823**	**10,03,10,610**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 21:
स्थापना व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. कर्मचारियों की परिलब्धियाँ		
वेतन तथा मजदूरी	37,09,32,587	36,03,34,950
समयोपरि भत्ता	36,876	59,679
बोनस/अनुग्रह राशि	14,89,244	10,26,188
प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	68,504
अतिथि शिक्षकों को मानदेय	1,66,926	2,65,053
प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति	-	-
2. कर्मचारियों को लाभ		
चिकित्सा प्रभार – प्रतिपूर्ति	2,66,05,934	2,32,48,743
छुट्टी यात्रा रियायत	34,78,230	19,34,097
प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान	49,000	-
छुट्टी का नकदीकरण	2,33,24,621	1,66,09,056
कर्मचारियों को अन्य लाभभ	39,33,757	23,58,746
सामूहिक/उपदान बीमा प्रीमियम	6,91,053	(13,17,775)
सीपीएफ पर ब्याज	-	23,96,338
बाल शिक्षा भत्ता/ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	40,34,796	37,75,156
जीवन निर्वाह भत्ता	1,87,190	22,43,265
3. निधियों में संस्था का अंशदान		
भविष्य निधि में अंशदान	4,15,11,827	2,75,22,215
उपदान निधि में अंशदान	64,94,950	98,31,755
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान तथा अन्य	63,50,864	21,14,771
परियोजना निधि को अन्तरित व्यय	-	(13,99,808)
योग	**48,92,87,855**	**45,10,70,933**

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 22:
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. कर्मचारी कल्याण व्यय		
कैन्टीन पर व्यय	69,98,811	37,34,824
अन्य कल्याणकारी व्यय	44,56,683	24,74,861
2. मुख्यालय द्वारा नाइलिट योजना के कार्यान्वयन से व्यय	3,62,75,183	3,45,77,654
मानदेय व्यय	68,075	28,100
नाइलिट पाठ्यक्रमों पर किया गया व्यय	11,19,383	14,82,537
3. किराया दरें एवं कर		
परिसर का किराया	2,66,70,296	2,73,11,934
भवन के सेवा प्रभार	32,71,608	22,38,484
विद्युत एवं जल प्रभार	1,87,14,825	1,27,68,120
4. बीमा		
कार्यालय का बीमा	2,07,006	1,97,106
वाहन बीमा	2,02,003	2,12,122
अन्य बीमा	5,579	526
5. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
उपस्कर	51,42,018	45,47,872
कार्यालय एवं आवास भवन	83,37,420	82,46,615
डीआईटी को अंशदान	1,92,456	-
वाहन	15,92,766	16,10,416
अन्य / स्थिर परिसम्पत्तियाँ	33,29,535	20,06,830
6. यात्रा व्यय		
अन्तर्देशीय	1,25,80,591	1,91,74,781
विदेश	5,34,117	3,74,815
वाहन प्रभार प्रतिपूर्ति	5,69,505	6,24,354
यात्रा व्यय –भ भर्ती	58,581	37,180
	-	-
7. विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार		
टेंडर आमंत्रण	3,03,470	2,39,777
भर्ती	7,26,364	11,99,289
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार	1,14,36,234	1,04,26,356
प्रदर्शनी एवं मण्डप	12,64,239	15,21,412
अन्य बिक्री संवर्धन व्यय	31,23,870	11,500
कार्यशाला व्यय	28,89,210	2,248
8. कार्यालय व्यय	12,848	20,283
पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएँ	4,39,104	3,96,851
डाक एवं तार	73,05,878	72,90,412
कूरियर एवं माल भाडा	5,72,054	5,38,478

जारी है.....

अनूसची 22:
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
टेलीफोन / इंटरनेट प्रभार	87,95,897	73,51,284
खरीदी गई पाठ सामग्रियाँ एवं विकास	12,93,575	15,14,193
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	87,97,276	86,11,477
वाहन चालन व्यय	11,28,275	12,02,715
आतिथेयता व्यय	7,57,884	3,35,924
कर्मचारियों की वर्दी	29,461	12,528
विधायी / व्यावसायिक / परामर्श सेवा शुल्क व्यय	37,34,023	25,21,047
जनशक्ति व्यय	3,30,01,560	5,03,87,953
9. विविध व्यय	-	-
लेखा–परीक्षा शुल्क	8,72,510	7,49,167
अन्य हैसियत में लेखा परीक्षकों को भुगतान	2,26,480	2,64,780
अनुसंधान संस्थानों को अंशदान	42,247	1,96,043
कार्मिकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	1,14,29,021	24,59,153
सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय	3,63,243	6,88,694
सेमीनार एवं पाठ्यक्रमों के विकास पर व्यय	9,65,424	6,37,989
कम्प्यूटरों का किराया	11,08,514	3,49,881
वाहन किराया	45,22,790	42,29,642
बैंक प्रभार	2,28,976	2,86,727
अतिथि गृह व्यय	2,13,477	73,238
अन्य फुटकर व्यय	97,32,417	70,45,066
बैठकों पर व्यय	18,35,723	17,61,766
परीक्षा व्यय / फीस (सीएफएस,डीईपीएम, एम.टेक,जैव सूचना–विज्ञान)	4,85,699	31,28,020
एफिलिएशन फीस	1,44,935	3,52,599
प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति	5,94,444	10,77,483
प्रत्यायन व्यय	1,17,600	1,00,000
परियोजनाओं पर व्यय का आबंटन / परियोजनाओं से वसूल	-	(28,89,529)
पट्टा किराया का भुगतान (सहायता अनुदान)	8,00,000	6,40,000
संदिग्ध ऋण बट्टा खाता	73,880	-
हानि–बट्टे खाते डाली गई	-	25,168
आस्थगित राजस्व व्यय / विविध व्यय बट्टे खाते डाली गई	14,43,644	15,46,725
संघटक–पुर्जे तथा उपभोज्य वस्तुएँ	12,57,820	14,12,766
10. ब्याज	-	-
वित्तीय संस्थानों से ऋण पर ब्याज	20,211	67,296
नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	2,449	2,226
अन्य वस्तुओं पर ब्याज (स्पष्ट करें)	22,891	1,11,762
11. आयकर / व्यावसायिक कर	-	-
व्यावसायिक कर	2,500	-
सेवा कर	2,27,809	22,53,871
12. प्रावधान	-	-
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	68,94,403	15,03,699
13. व्यय का आबंटन	-	4,59,999

जारी है....

अनूसची 22:
अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
गत वर्ष से संबंधित व्यय (पूर्व अवधि व्यय)	37,09,954	52,43,007
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर हानि	51,305	1,937
15. पाठ्यक्रमों के संचालन पर व्यय	-	-
दीर्घावधि पाठ्यक्रम	24,33,274	3,35,504
नाइलिट पाठ्यक्रम	74,71,144	57,57,855
एम.टेक/एमसीए	10,08,731	8,35,206
सीसीसी योजना	51,28,710	91,80,531
बीसीसी योजना	69,13,289	41,21,214
अल्पावधि पाठ्यक्रम	7,13,43,192	58,63,043
हार्डवेयर पाठ्यक्रम	14,31,432	12,41,285
आईईटीएस बीपीओ योजना	-	-
डीएससीएस योजना	-	3,811
जैव सूचना–प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम	1,18,793	83,396
योग	**35,91,76,594**	**27,64,33,878**
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास – सहायता अनुदान	7,31,95,123	6,90,28,093
स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास – अतिशेष का	57,74,249	29,84,513

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 23:
परियोजनाओं पर व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
केन्द्र सरकार (सू.प्रौ.वि / वि.प्रौ.वि / एआईसीटीई / डीजीएण्डईटी की परियोजनाएँ)	12,57,96,204	11,36,15,034
	-	-
विस्तार केन्द्र पर व्यय	3,16,39,299	60,70,270
	-	-
महिला अधिकारिता परियोजना के लिए नाइलिट मुख्यालय का अंशदान	-	-
केन्द्रों की स्थापना के लिए अंशदान	-	-
आईटीईएस बीपीओ (डोनर परियोजनाएँ),डीजीईटी	-	6,76,859
	-	-
राज्य सरकार	2,36,93,439	1,54,32,467
अन्य परियोजनाएँ	1,72,740	2,24,563
अपनी परियोजनाएँ	27,95,46,933	24,15,01,996
परियोजनाओं पर सेवा कर	-	-
परियोजनाओं की स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यहृास	2,06,92,174	1,17,72,607
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	87,77,00,996	1,20,40,19,551
योग (क)	**1,35,92,41,785**	**1,59,33,13,347**
सेवाओं पर व्यय (ख)	47,69,81,925	17,92,21,200
योग (क+ख)	**1,83,62,23,710**	**1,77,25,34,547**

हस्ता / –
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता / –
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनूसची 24:
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. क) लेखांकन पद्धति

लेखाएँ भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गिए गए यथा लागू लेखांकन मानकों के संगत प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत पद्धति के अन्तर्गत तथा अर्जन के आधार पर तैयार की गई हैं ।

ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है और पूर्वानुमान लगाना होता है जो वित्तीय विवरण की तिथि के अनुसार परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की बताई गई राशि और रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व के व्यय की बताई गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच के अन्तर को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिसमें परिणामों का पता लगता है/कार्यान्वित होता है।.

2. आय की पहचान

i) आय की पहचान निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों से की गई है :

क) ओ/ए/बी/सी स्तरों पर डीओईएसीसी कम्प्यूटर पाठयक्रमों के लिए परीक्षाओं के आयोजन, सीसीसी कम्प्यूटर पाठयक्रम की परीक्षाओं का आयोजन तथा प्रत्यायित संस्थानों से प्रत्यायन शुल्क।

ख) डीओईएसीसी केन्द्रों द्वारा सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में दीर्घावधि तथा अल्पावधि पाठयक्रमों का संचालन।

ग) सेवाओं से आय – औद्योगिक/शैक्षिक परामर्श सेवा शुल्क, डेटा संसाधन प्रभार आदि से आय।

घ) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डोनर तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से आय।

ii) आय की पहचान एएस–9 के अनुसार अर्जन के आधार पर की जाती है लेकिन परीक्षा शुल्क, प्रत्यायन शुल्क, वेरिएबल प्रत्यायन शुल्क (वीएएफ) तथा जागरूकता सृजन निधि (एसीएफ) का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है।

3. मालसूची

सभी वस्तुओं, भण्डार सामग्रियों, लेखन सामग्री तथा खपत योग्य वस्तुओं जिनकी खपत नहीं होती है, को एएस–2, अर्थात लागत या शुद्ध प्राप्त मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार वर्ष के इतिशेष स्टॉक दर्शाया गया है। औरंगाबाद, कालीकट, चण्डीगढ़, तथा डीओईएसीसी योजना को छोड़कर सभी केन्द्रों ने इस नीति का पालन नहीं किया है।

4. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

i) स्थिर परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। स्थिर परिसम्पत्तियों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहित तथा पुनः वर्गीकृत किया गया है।

5. मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार लिखित मूल्य के आधार पर किया गया है। नाइलिट मुख्यालय के मामले में, वर्ष के दौरान अभिवृद्धि पर पूरे वर्ष के मूल्यहृास का प्रावधान किया गया है।

ख) पूँजीगत सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास को गैर–प्रचालन आय के रूप में माना गया है तथा "विविध प्राप्तियों" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

6. सरकारी अनुदान

क) पूँजीगत सहायता अनुदान को ऐसे अनुदान से खरीदी गई स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास के पश्चात शुद्ध मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान को भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक–12 के अनुसार लेखाओं में शामिल किया गया है।

ग) सरकारी अनुदान/इमदाद को प्राप्ति के आधार पर लेखाओं में शामिल किया गया है।

घ) विशिष्ट परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग उसी परियोजना के लिए किया गया है और अप्रयुक्त राशि को तुलन–पत्र में दर्शाया गया है।

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 25:
लेखाओं पर टिप्पणियां

1. नाइलिट (जिसका नाम 10.10.2011 से डीओईएसीसी सोसायटी से बदलकर किया गया है), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था की स्थापना नवम्बर, 1994 के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा संबद्ध कार्यकलाप करने के लिए की गई थी। यह संस्था आयकर विभाग में धारा 12क के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसका गठन विशेष रूप से सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षण तथा प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन सेवाएँ प्रदान करके अच्छी क्वालिटी की जनशक्ति तैयार करने तथा कुशल कार्मिकों का विकास करने के उद्देश्य से किया गया है। यह संस्था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षण प्रदान कर रही है तथा अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए उद्योग उन्मुखी बढ़िया क्वालिटी के शिक्षण तथा प्रशिक्षण का विकास कर रही है। इसने आईसीटी के क्षेत्र में परीक्षाओं के आयोजन तथा प्रमाणन के लिए देश के एक अग्रणी संस्थान के रूप में एक मानक स्थापित किया है। यह एक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय भी है जो विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों/संगठनों का प्रत्यायन करती है।

2. **आय की पहचान**

   क. कालीकट केन्द्र विद्यार्थी परियोजनाओं से आय को छोड़कर आय की पहचान के लिए लेखांकन की अर्जन पद्धति अपनाता है। ईटानगर केन्द्र पाठ्यक्रम शुल्क से आय को लेखांकन के नकद आधार को अपना रहा है। गोरखपुर केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में अनुदान की प्रतिपूर्ति के समय लेखांकन की नगद पद्धति को अपना रहा है।

   ख. चण्डीगढ़ केन्द्र ने डेटा संसाधन/बिलिंग, सुविधा प्रबंध तथा उनसे संबंधित व्यय को छोड़कर, जो बिलिंग चक्र पर आधारित है, अर्जन पद्धति अपनाई है।

   ग. नए केन्द्रों की स्थापना के लिए आवर्ती व्यय के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सहायता अनुदान का लेखांकन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है:–

i. आइजॉल केन्द्र की स्थापना	1,78,84,224/– रु.
ii. अजमेर केन्द्र की स्थापना	47,51,000/– रु.
iii. शिलांग केन्द्र की स्थापना	99,00,000/– रु.
iv. अगरतला केन्द्र की स्थापना	3,46,43,799/– रु.
v. पटना केन्द्र की स्थापना	27,30,000/– रु.
vi. ईटानगर केन्द्र की स्थापना	90,00,000/– रु.
vii. चुड़चाँदपुर तथा सेनापति (इम्फाल) में विस्तार केन्द्र की स्थापना	62,68,394/– रु.
viii. कोकराझार, जोरहाट तथा सिलचर (गुवाहाटी) में विस्तार केन्द्र की स्थापना	74,86,681/– रु.
योग	9,26,64,098/– रु.

   घ. नई दिल्ली केन्द्र ने शिक्षा निदेशक, झण्डेवालाँ से वसूली योग्य राशि के विरुद्ध 28,11,468/– रु. के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया है, जैसा कि मध्यस्थता के अन्तर्गत मामलों में किया जाता है। इसके अलावा, दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. से 26,95,031/– रु. की संदिग्ध वसूली का प्रावधान नहीं किया गया है। मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन है।

3. **पूँजीनिवेश**

   क) संस्था की निधियाँ अलग–अलग अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित की जाती हैं तथा उन्हें संस्था के अतिशेष राशि के कोषागार प्रबंध संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार दर्शाया जाता है।

   ख) वर्ष के दौरान प्राप्त इयरमार्क्ड/एनडाउमेंट निधि के लिए रखी गई सावधि जमा पर ब्याज को संबंधित इयरमार्क्ड/एनडाउमेंट निधि के नामे जमा किया जाता है।

4. **स्थिर परिसम्पत्तियाँ**

   क) स्थिर परिसम्पत्तियों को अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर शामिल होते हैं और मूल्यहृास घटाया जाता है।

   ख) कालीकट केन्द्र के मामले में केन्द्र को यूएनडीपी द्वारा अनुदान के रूप में दिए गए उपस्करों का सांकेतिक मूल्य 1 रु. देयता तथा परिसम्पत्ति दोनों पक्षों में दर्शाया गया है, जिसमें 137 वस्तुएँ शामिल हैं।

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

अनुसूची 25:
लेखाओं पर टिप्पणियां

ग) कोलकाता केन्द्र के मामले में, बिधाननगर के सेक्टर–I (सॉल्ट लेक, प्लॉट नं.267, ब्लॉक–बीएफ) स्थित पट्टाकृत भूमि को स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची में भवन शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

घ वर्ष 2010–11 में गंगटोक केंद्र के मामले में, 04 वर्ष के दौरान किराए पर लिए गए भवन में अभिवर्धन, परिवर्तन, नवीनीकरण पर किए गए रु.35,40,139/– को व्यय के रूप में दर्शाया गया है जिसे इस पर कब्जे की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाएगा तथा वर्तमान वर्ष 2013–14 के दौरान आय एवं व्यय लेखा में शेष धनराशि रु. 13,45,630 को प्रभारित किया गया है।

ङ) अगरतला केन्द्र के मामले में, स्थायी परिसर का निर्माण करने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा 15 एकड़ की जमीन निःशुल्क रूप में आबंटित की गई है जिसे 1/– रु. के सांकेतिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

च) अगरतला केन्द्र के मामले में, केन्द्र की आरम्भिक प्रशिक्षण सुविधा के लिए भवन का आबंटन त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया है। सिविल मरम्मत, वैद्युत कार्यों मैं बदलाव तथा उनसे संबंधित अन्य विविध व्ययों को आस्थगित व्यय के रूप में दर्शाया गया है जिसे कब्जे की अवधि के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा तथा वित्त वर्ष 2011–12 से 20% की दर से ऋण चुकाया जाएगा।

छ) शिलांग केन्द्र के मामले में, केन्द्र की आरम्भिक प्रशिक्षण सुविधा के लिए भवन मेघालय सरकार की आवास एवं वित्त निगम सोसायटी लि. (एमसएचएफसीएस) द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए आबंटित किया गया है। सिविल मरम्मत कार्य, वैद्युत परिवर्तन कार्य से संबंधित सभी व्यय तथा उससे संबद्ध विविध व्यय को आस्थगित व्यय के रूप में दर्शाया गया गया है जिसे इस पर कब्जे की अवधि में बट्टे खाते डाला जाएगा।

ज) चण्डीगढ़ केन्द्र के मामले में, 8 जून 2014 को एक गम्भीर दुर्घटना हुई जिसमें एससीओ–114.116 स्थित भवन पूरी तरह नष्ट हो गया और एससीओ–117–18 को असुरक्षित घोषित किया गया और प्रवेश के अयोग्य बताया गया। इस कारण, मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा लेखा एवं प्रशासन से संबंधित सभी रिकार्ड पूरी तरह नष्ट हो गए/प्राप्त नहीं किए जा सके। नाइलिट चण्डीगढ़ की वार्षिक लेखाओं को टैली बैकअप के आधार पर तैयार कया गया जिसे लेखा एक अधिकारी के पास पेन ड्राइव भण्डारित बताया गया तथा कुछ रिकार्ड बैंक जैसे बाहरी एजेंसियों से प्राप्त किए गए।

झ) इम्फाल केन्द्र के मामले में, सरकार ने सेनापति तथा चुड़चाँदपुर में दो विस्तार केन्द्रों की स्थापना को अनुमोदित किया है। मणिपुर राज्य सरकार प्रत्येक विस्तार केन्द्र के लिए 5 एकड़ जमीन/तरजीही रूप में 8000 वर्ग फुट का निर्मित स्थान उपलब्ध कराएगी। ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इसे अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लिया गया है जिसके लिए प्रतिवर्ष 12.00 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

चुड़चाँदपुर विस्तार केन्द्र के मामले में, राज्य सरकार ने चुड़ाचाँदपुर हाई स्कूल में निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया है। इसे कक्षाओं को चलाने के उपयुक्त बनाने के लिए मरम्मत तथा नवीनीकरण पर 2.93 लाख रु. की राशि व्यय की गई है। यह व्यय गत वर्ष 50.00 लाख रु. की अनुमोदित तथा जारी सहायता अनुदान की शेष बची राशि से किया गया है। सेनापति केन्द्र के लिए, भवन के किराए पर 1.58 लाख रु. व्यय किया गया है।

ञ) गुवाहाटी केन्द्र के मामले में, असम सरकार द्वारा गुवाहाटी मुख्य (3 एकड़), कोकराझार विस्तार केन्द्र (6 एकड़) तथा जोरहाट विस्तार केन्द्र (3 एकड़) में निःशुल्क रूप में आबंटित भूमि को स्थायी परिसर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्येक के मामले में 1 रु. के सांकेतिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

ट) राजस्थान सरकार ने अजमेर के केकड़ी जिला के पास खोडा गाँव में 16.33 हेक्टेयर भूमि का आबंटन निःशुल्क रूप में 99 वर्षों के पट्टे पर किया है, जिसे 1 रु. के सांकेतिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

ठ) गत वर्ष सरकारी प्रयोग के लिए वाहन औरंगाबाद केन्द्र से नाइलिट मुख्यालय को स्थानान्तरित किया गया है। लेकिन, इसका मूल्य औरंगाबाद की लेखा बहियों में दर्शाया गया है।

ड) आइजॉल केन्द्र ने परियोजनाओं के लिए प्राप्त सहायता अनुदान में से 59,96,872/– रु. के पूँजीगत व्यय की कटौती की है। स्थिर परिसम्पतियों की अलग अनुसूची नहीं बनाई गई है।

5. मूल्यह्रास

क) 'अनुदान संबंधी परिसम्पत्तियों' पर वर्तमान वर्ष के 7,31,95,123/– रु. के मूल्यह्रास को आय तथा व्यय लेखा के नामे किया गया है और आय तथा व्यय लेखा में जमा भी किया गया है तथा वर्ष के दौरान 'पूँजीगत सहायता अनुदान' से घटाया गया है।

6. सरकारी अनुदान

क) वर्ष 2013–14 के लिए 763.87 लाख रु. के सहायता अनुदान (योजनागत) को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखा मे शामिल किया गया है। पूँजीगत अनुदान को संबंधित केन्द्र की पूँजीगत निधि में जमा किया गया है।

अनुसूची 25:
लेखाओं पर टिप्पणियां

ख) नए केन्द्रों की स्थापना से संबंधित व्यय (पूँजीगत/आवर्ती) को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सहायता अनुदानों का लेखांकन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है :

1)	कोहिमा केन्द्र की स्थापना	8,30,00,000/– रु.
2)	अगरतला केन्द्र की स्थापना	9,58,15,201/– रु.
3)	अजमेर केन्द्र की स्थापना	6,65,49,000/– रु.
4)	पटना केन्द्र की स्थापना	4,37,00,000/– रु.
5)	गंगटोक केन्द्र की स्थापना	80,00,000/– रु.
	योग	29,70,64,201/– रु.

ग) वर्ष 2013–14 के लिए 170 लाख रु. के सहायता अनुदान (योजना–भिन्न) को संबंधित केन्द्र की लेखाओं के आय तथा व्यय लेखा में जमा किया गया है।

घ) कुछ केन्द्रों में, अनुप्रयुक्त सहायता अनुदान, जिसे पूँजीनिवेश के रूप में रखा गया है, पर अर्जित ब्याज को राजस्व माना गया है।

ङ) पूँजीगत सहायता अनुदान को इस अनुदान से खरीदी गई स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यहृास के पश्चात शुद्ध रूप में दर्शाया जाता है।

7. कर्मचारी लाभ

क) उपदान के प्रावधान का लेखांकन इम्फाल केन्द्र को छोड़कर, एएस–15 के अनुसार अर्जन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। कालीकट, चण्डीगढ़, कोलकाता तथा डीओईएसीसी योजना के मामले में उपदान की देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक उपदान नकद संचयन योजना के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी न्यासी के पक्ष में प्राप्त पालिसी द्वारा पूरा किया गया है। डीओईएसीसी योजना के कर्मचारी 14.12.2002 की स्थिति के अनुसार वर्तमान उपदान योजना अर्थात एक माह की परिलब्धियाँ (वेतन + ग्रेड वेतन) प्रति कर्मचारी, प्रत्येक पूरे किए गए सेवा के वर्ष में शामिल हैं।

ख) छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान एएस–15 के अनुसार अर्जन मूल्यांकन के आधार पर लेखाओं में शामिल किया जाता है।

ग) नाइलिट मुख्यालय तथा केन्द्रों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 01.01.2003 से ईपीएफ के अन्तर्गत शामिल किया गया है। अप्रैल, 2013 से ईपीएफ अंशदान को जमा किया गया है तथा ईपीएफ कार्यालय को इसका भुगतान किया गया है। 01.01.2003 से 31.03.2013 तक ईपीएफ की बकाया राशि ईपीएफ कार्यालय में जमा करने के लिए कार्रवाई/गणना की जा रही है। डीओईएसीसी सीपीएफ में रखी शेष राशि को 01.01.2003 से 31.03.2013 तक ईपीएफ के बकाया भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

8. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ

क) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण तथा पेशगियों की प्राप्ति पर एक मूल्य होता है, जो तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

ख) पार्टियों से नामे तथा जमा शेष की पुष्टि नहीं हुई है।

ग) वसूली योग्य पेशगियों में 15ए69ए24ए605/– रु. की राशि शामिल है जिसे आयकर विभास से वापस प्राप्त होना है।

घ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नाइलिट में इंट्रानेट स्थापित करने तथा दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अच्छी क्वालिटी का प्रशिक्षण देने के लिए नाइलिट केन्द्रों में नाइलिट केन्द्रों तथा अर्नेट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आभासी क्लासरूम स्थापित करने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए नाइलिट को 6,41,92,000/– रु. का सहायता अनुदान जारी किया है और उसपर 31.03.2013 तक 9,61,644/– रु. का ब्याज अर्जित हुआ है। नाइलिट ने भी 6,44,00,000/– रु. की राशि परियोजना को पूरा करने के लिए अर्नेट को पेशगी के रूप में जारी की है।

9. किसी भी विक्रेता ने 'माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमकर्ता विकास अधिनियम 2006' के अन्तर्गत अपनी स्थिति के बारे हमें सूचना नहीं दी है। इस कारण, इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में अप्रदत्त राशि के संबंध में प्रकटन तथा देय ब्याज, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया गया है।

10. चण्डीगढ़ केन्द्र ने केन्द्र को आबंटित भूमि को वापस करने के कारण नगर निगम, चण्डीगढ़ को पहले जमा की गई 43,24,045/– रु. की राशि की वापसी के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में पर्याप्त वित्तीय लाभ के लिए आवेदन दर्ज किया है, जो अभी तक लम्बित है।

11. मुख्यालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित 99,3019/–रु. की पेशगी का समायोजन करने की कार्रवाई कर रहा है।

अनुसूची 25:
लेखाओं पर टिप्पणियां

12. औरंगाबाद को छोड़कर, एएस–28 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई परिसम्पत्ति कम नहीं की गई है।

13. गंगटोक केन्द्र के मामले में, कोलकाता केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा गंगटोक परियोजना के लिए किए गए कार्य के लिए केन्द्र द्वारा उन्हें 8,39,272/– रु. के वेतन तथा 82,074/– रु. के जनशक्ति व्यय का वहन किया गया। अतः वेतन तथा जनशक्ति व्यय पर इतनी ही राशि गंगटोक केन्द्र के नामे की जाएगी तथा कोलकाता केन्द्र को जमा की जाएगी।

14. वर्ष 2013–14 के दौरान, पटना केन्द्र को निगमित किया गया है तथा गोरखपुर केन्द्र से अलग किया गया है।

15. आकस्मिक देयताएँ

क) औरंगाबाद केन्द्र

मेसर्स डीवीआईआईटी, औरंगाबाद ने केन्द्र के खिलाफ 72.00 लाख रु. का दावा किया है। माननीय सीजेएसडी, औरंगाबाद ने मामले को खारिज करते हुए आदेश जारी किया है। लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कि मेसर्स डीवीआईआईटी न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है।

ख) दिल्ली केन्द्र

i) जारी की गई बैंक गारंटी के मामले में :–

राशि (रु)	पार्टी	परिपक्वता की तिथि
6,50,000.00	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जयपुर	31.08.2014

ii) 41,62,000/– रु. की वसूली के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कुरुक्षेत्र के सिविल न्यायालय में माध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दाखिल किया गया दावा।

iii) स्कूल परियोजना के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र (पूर्वतन आरसीसी) को किए गए विवादित अधिक भुगतान के संबंध में के वीएस द्वारा दावा की गई 2,68,650/– रु. की राशि।

iv) केन्द्र ने कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं मल्टीमीडिया डीटीपी में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली (एनसीपीयूएल) के साथ जुलाई, 2003 में एक सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2006–07 के लिए 32.14 लाख रु. की राशि प्राप्य है जिसमें 17.14 लाख रु. का सेवा कर शामिल है। चूँकि मामला माध्यस्थ के पास लम्बित है, केन्द्र की देयता 17.14 लाख रु. के सेवा कर तक सीमित है। एजेंसियों को देय कुल राशि 125.00 लाख रु. है। 2006 की ओएमपी सं. 404 तथा 2006 की 396 के जरिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत इस राशि का भुगतान एनसीपीयूएल द्वारा एजेंसी को सीधे किया गया है। इस मामले पर एनसीपीयूएल के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

v) ईएसआई योजना के लिए ईएसआई ने 11,22,702/– रु. तथा 3,03,947/– रु. का माँग नोटिस जारी किया है जिसपर रोक प्राप्त कर लिया गया है। सिविल जज (प्रवर खण्ड), ईएसआई न्यायालय चण्डीगढ़ ने दिनांक 07.12.2010 के आदेश के जरिए वसूली के संबंध में ईएसआई के आदेश को खारिज कर दिया है। लेकिन उप निदेशक, ईएसआई ने अपने दिनांक 21.07.2011 के आदेश सं. पीबी 17000399790001013/245 के जरिए राशि का भुगतान करने के लिए केन्द्र को पुनः निर्देश दिया है। मामले पर आगे कारवाई करने के लिए कानूनी राय प्राप्त की जा रही है।

ग) गुवाहाटी

नाइलिट गुवाहाटी के संबंध में कैट गुवाहाटी पीठ में लम्बित मामलों के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :

क्र.सं.	प्रकरण सं.	आवेदक का नाम	शामिल मुद्दे
1.	ओ.ए. सं. 381/20	सज्जाद ज़ाहिर बनामा यूओएल एण्ड ब्रदर्स	नाइलिट गुवाहाटी में अनुबंध पर आधारित सेवा से कार्यमुक्त किए जाने के खिलाफ सज्जाद ज़ाहिर द्वारा अपील
2.	ओ.ए. सं. 319/20	राणा शर्मा बनाम यूओएल ब्रदर्स	नाइलिट गुवाहाटी में अनुबंध पर आधारित सेवा से कार्यमुक्त किए जाने के खिलाफ सज्जाद ज़ाहिर द्वारा अपील
3.	ओ.ए. सं. 365/20	घ्रूबज्योति डेका बनाम यूओएल ब्रदर्स	आवेदक को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाना तथा नियमित कर्मचारियों के मामले में लागू सभी लाभ जारी करना

अनुसूची 25:
लेखाओं पर टिप्पणियां

घ) **कोलकाता केन्द्र**

आयकर की स्वीकृति के साथ आरसीसी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास डीओईएससीसी में 1.1.2004 से पहले कार्यग्रहण किए कर्मचारियों की भविष्य निधि का रखरखाव किया जा रहा है। लेकिन 1.1.2004 या उसके बाद कार्यग्रहण किए कर्मचारियों की भविष्य निधि का रखरखाव सीपीएफ अधिनियम, 1925 के तहत डीओईएससीसी मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र को क्षेत्रीय ईपीएफ प्राधिकारी से 11.07.2006 को एक नोटिस तथा धारा 7क के अन्तर्गत 9 जुलाई, 2008 और धारा 7ख के अन्तर्गत 30.1.2009 का आदेश यह सूचित करते हुए प्राप्त हुआ है कि डीओईएससीसी अगस्त 1982 से ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत शामिल होगी। उपर्युक्त आदेश के खिलाफ केन्द्र ने ईपीएफ अपील न्यायाधिकरण, दिल्ली (समुचित प्राधिकारी) के समक्ष एक अपील दायर की है कि हमारा मुख्यालय भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26.07.1997 के अनुसार सीपीएफ अधिनियम, 1925 के अधीन शामिल है। लेकिन ईपीएफ अपील न्यायाधिकरण, दिल्ली ने दिनांक 03 अगस्त, 2011 के आदेश के जरिए अपील को खारिज कर दिया है। तत्पश्चात केन्द्र ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में अपील 21 मार्च, 2012 को दायर की है। उक्त अपील अभी तक लम्बित है।

नाइलिट कोलकाता ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम पश्चिम बंगाल क्षेत्र से 627413/– रु. की माँग के विरुद्ध 1,56,854/– रु. की राशि का भुगतान विरोध प्रदर्शन के अधीन किया है। केन्द्र द्वारा माँग का विरोध किया गया है।

सेवाकर अपर आयुक्त से प्राप्त दिनांक 21.10.2013 की कारण दर्शाओ नोटिस के अनुसार 19,67,385/– रु. की सेवा कर से संबंधित आकस्मिक देयता है जिसका केन्द्र ने अपने दिनांक 21.04.2014 के जरिए विरोध किया है।

16. गत वर्ष के ऑकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित एवं पुनःव्यवस्थित किया गया है।

17. ऑकड़ों के निकटतम रुपए में रखा गया है।

18. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने दिनांक 05.04.2011 के पत्र सं. एफ सं. 7(2)/2011–ईजी –1 के जरिए 3024 करोड़ रु. मूल्य से 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए जनसांख्यिकीय डेटा अंकीयकरण एवं बायो–मेट्रिक डेटा संग्रहण का कार्य सौंपा है। लेकिन भारत के महापंजीयक ने अपने दिनांक 27.06.2012 के अर्धशासकीय पत्र सं. 9/83/2010–सीआरडी (एनपीआर) के जरिए बायो–मेट्रिक डेटा अंकीयकरण का कार्य वापस ले लिया हे। भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने नाइलिट को 522.24 करोड़ रुण की पेशगी का भुगतान किया है।

(2) भारत के महा पंजीयक के कार्यालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 522.24 करोड़ रु. की राशि जारी की थी। डेटा अंकीयकरण (एनपीआर परियोजना) पर कुल देयता लगभाग 571.00 करोड़. रु. है। आरएफक्यू की भुगातन शर्तों के अनुसार, एमएसपी के शेष 30: का भुगतान एलआरयूआर संशोधन का कार्य पूरा करने के पश्चात किया जाएगा जिसमें 2.3 वर्षों का समय लग सकता है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, 220.36 करोड़ रु. की राशि का उपयोग पहले ही कर लिया गया है। 428.74 करोड़ रु. की शेष राशि बैंक खाताओं (बचत/चालू) तथा जमा राशि के रूप में उपलब्ध है (मुख्यालय में प्राप्त/अर्जित 104.47 करोड़ रु. के ब्याज सहित)।

(3) डेटा अंकीयकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अंतिम डिजिटल डेटा अक्तूबर, 2013 में आरजीआई को हस्तान्तरित कर दिया गया।

(4) एनपीआर में नाइलिट के सभी प्रतिभागी केन्द्रों ने एनपीआर परियोजना के मामले में 01.04.2012 से अलग लेखा बहियों का रखरखाव कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2012–13 के लिए अलग वार्षिक लेखा तैयार किया है।

(5) मेसर्स सीएससी–एसपीवी द्वारा औरंगाबाद केन्द्र के ग्रामीण ज़ोन के मामले में एमएसपी के बीजकों के विरुद्ध 29,98,19,281/– रु. की राशि के दण्ड का आकलन किया गया है। औरंगाबाद केन्द्र की लेखाओं में दण्ड के रूप में 1,49,86,724/– रु. की राशि का लेखांकन किया गया है, क्योंकि दण्ड की राशि का विरोध किया गया है।

(6) एनपीआर के प्रतिभागी नाइलिट केन्द्रों द्वारा एमएसपी के बीजकों में से दण्ड के रूप में चालू वर्ष के दौरान 4,35,33,628/– रु. की राशि की कटौती की गई है जिसे अनुसूची 7 में प्रतिधारण राशि – दण्ड शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि आय से कम हुई है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 17,50,45,375/– रु. है।

19. वित्त एवं लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय विवरणों को इस आशय से संशोधित किया गया है कि एनपीआर परियोजना के अतिशेष तथा इससे अर्जित ब्याज का उपयोग इनके

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रु. में)

क्र. सं	प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	क्र. सं	भुगतान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
I	**अथ शेष**			I	व्यय		
	क) पास में नकदी / अग्रदाय / स्टाम्प	2,62,462	2,88,591		क) स्थापना व्यय	45,01,81,024	43,14,64,877
	ख) बैंक शेष		-		ख) प्रशासनिक व्यय	27,64,95,463	29,20,23,368
	i) चालू खाताओं में	16,93,34,418	12,34,60,731				
	ii) बचत खाताओं मे	74,00,35,807	22,46,35,627				
	iii) अल्पावधि जमा में	4,88,41,97,820	6,08,25,35,149				
	iv) दीर्घावधि जमा में	54,92,19,639	46,51,77,280				
	v) दीर्घावधि जमा मे–इयरमार्क्ड निधियाँ	-	44,85,23,329				
	vi) दीर्घावधि जमा में–सहायता अनुदान निधि	-	5,21,91,13,087				
	vii) पास में चेक / ड्राफ्ट	-	-				
II	**प्राप्त अनुदान**	-	-	II	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों से किए गए भुगतान (परियोजनाओं पर व्यय)**	-	
	क) भारत सरकार से	-	-				
	i) योजनागत	7,64,83,000	67,2,31,000		i) डोनर (आईटीईएस)	6,84,677	31,99,808
	ii) योजना भिन्न	1,70,00,000	1,70,00,000		ii) परियोजना व्यय के लिए पेशगियाँ	1,44,37,770	-
	iii) रिफर्बिशमंट निधि	-	-		iii) सूचना सुरक्षा कर्मियों का प्रमाणन	-	-
	iv) अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	-	88,50,000		iv) सू.प्रौ.वि / वि.प्रौ.वि तथा अन्य परियोजनाएँ (अपनी परियोजनाओं सहित)	1,81,22,251	3,76,88,133
	v) केन्द्रों से अन्तरित निधि	-	5,21,23,198		v) एम.टेक (एआईसीटीई परियोजनाएँ)	-	-
	एनपीआर परियोजना	12,30,70,000	54,88,69,043		vi) राज्य सरकार की परियोजनाएँ	-	-
	योजनागत निधि पर ब्याज	1,39,37,992	1,05,52,345				
	ख) राज्य सरकार से	-	30,39,176		पटना आरसी की स्थापना	10,96,985	15,11,516
	ग) प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त	51,97,94,162	17,23,79,742		केन्द्रों को जारी निधियाँ	2,57,68,03,870	2,85,43,14,699
	i) डोनर (आईटीईएस)	-	-		विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रों को जारी निधियाँ	-	-
	ii) डोनर (सूचना विज्ञान एवं कालेज के प्रमाणन के लिए)	-	6,76,859		परियोजनाओं पर व्यय	93,75,85,137	51,72,36,421
	iii) डीआईटी (सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता के लिए)	-	44,84,000		एनपीआर परियोजनाओं पर व्यय	49,66,90,597	4,94,48,00,902
	iv) डीआईटी (महिला अधिकारिता)	1,49,47,923	2,86,96,998				
	v) एआईसीटीई, नई दिल्ली	43,87,206	7,33,936				
	vi) अन्यों से प्राप्त निधियाँ (राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियाँ)	-	1,83,925				
	vii) केन्द्रों को वितरण के लिए (योजनागत तथा योजना भिन्न)	96,95,07,835	79,36,34,758				
	ix) विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रों को वितरण के लिए	-	-				
	x) ई–अधिगम	-	-				
	xi) आभासी परीक्षण परिवेश (वीटीई) सहित सूचना सुरक्षा कुशलता विकास के लिए परीक्षण स्थल का विकास	-	-				
	xii) डीआईटी (पटना आरसी की स्थापना)	3,46,20,000	40,20,000				
	xiii) डीआईटी (अनु.जा / ज.जा अनुदान) / एससीएसपी एवं टीएसपी	2,51,29,186	2,95,66,351				
	xiv) अन्य परियोजनाएँ	11,37,58,133	5,90,61,378				
III	**निम्नलिखित पर निवेश से आय**	-	-	III	**किए गए पूँजीनिवेश तथा जमा**		
	क) इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि	66,07,22,524	44,89,95,933		क) इयरमार्क्ड / एनडाउमेंट निधि से	69,25,52,663	39,33,61,560
	ख) अपनी निधियाँ (अन्य निवेश)	8,43,70,235	4,48,31,193		ख) अपनी निधियों से (निवेश–अन्य)	9,49,75,937	2,70,82,598
	ग) सहायता अनुदान	4,85,05,63,941	-		ग) सहायता अनुदान	4,13,82,32,942	-
	घ) अल्पावधि जमा	-	-		घ) अल्पावधि जमा	-	-

जारी है....

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

जारी है...

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	क्र. सं	भुगतान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
प्राप्त ब्याज	-	-		**स्थिर परिसम्पत्तियों पर व्यय तथा**		
क) बैंक जमा राशि पर – सावधि जमा	10,10,77,271	10,24,06,216	IV	**निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य**		
ख) बचत खाता पर	2,08,80,753	1,13,90,678		क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	11,54,58,132	11,27,37,727
ग) ऋण तथा अग्रिम आदि	31,80,48,448	9,02,88,252		ख) पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य पर व्यय	18,22,56,751	55,46,319
घ) बचत खाता–एनपीआर परियोजना	-	-				
आय (निर्दिष्ट करें)			V	**अतिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
फीस/अंशदान	47,49,92,564	44,18,83,977		क) भारत सरकार को	5,74,32,134	92,63,403
सेवाओं से आय	60,19,51,535	46,93,16,114		ख) राज्य सरकार को	-	-
परियोजनाओं से आय	1,42,50,48,340	1,19,29,68,850		ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	28,20,080	21,44,314
प्रकाशनों की बिक्री से आय	16,42,016	13,06,536				
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	3,79,370	1,89,247				
विविध आय	1,33,19,643	1,31,26,954				
जैव–सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन	-	87,734				
	-					
उधार में ली गई राशि			VI	**वित्त प्रभार (ब्याज)**	500	-
नाइलिट योजना से पेशगी	84,00,000	10,00,000				
कोई अन्य प्राप्ति	-	-	VII	**अन्य भुगतान**	-	-
क) पास में चेक/ड्राफ्ट	6,661	16,974		क) सुरक्षा जमा, काशन मनी, ईएमडी आदि	4,70,21,631	46,84,72,694
ख) जमा प्राप्ति (एसडी,ईएमडी,सीएमडी आदि)	12,44,76,420	30,72,36,002		ख) ऋण तथा पेशगियाँ (आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी)	56,35,63,811	16,56,85,905
ग) वसूलियाँ/पेशगियों की वापसी	5,40,55,806	1,95,75,423		ग) विविध व्यय	1,18,41,874	2,19,33,605
घ) सावधि जमा का नकदीकरण तथा पूँजीनिवेश से आहरण	4,46,30,166	2,00,00,000		घ) जारी लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए चेक	55,477	18,625
ङ) विविध प्राप्तियाँ/प्रावधान	15,31,95,573	2,60,39,542		ङ) वेतन में कटौतियों का भुगतान	2,23,35,141	2,63,25,502
च) फुटकर लेनदारों में वृद्धि/वर्तमान देयताएँ	33,73,05,267	12,90,15,870		च) फुटकर देनदारों/वर्तमान परिसम्पत्तियों में वृद्धि	21,90,71,873	33,88,87,181
छ) फुटकर देनदारों में कमी	11,60,69,388	7,51,84,928		छ) फुटकर लेनदारों में कमी	29,57,70,198	4,31,39,717
ज) अन्तर केन्द्र खाता	14,07,92,733	29,48,02,070		ज) अन्य देयताओं का भुगतान	11,51,46,528	2,46,02,068
झ) जारी लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए चेक	7,67,588	4,34,421		झ) पंजीकरण फीस	5,00,000	3,01,841
ञ) वर्ष में निगमित नकद तथा बैंक शेष	1,51,93,888	-				
च) सेवा कर/आयकर/वैट/अन्य कर	6,51,96,362	3,88,25,515		ञ) गैर–प्रचालन व्यय	74,071	19,840
छ) ईपीएफ/सीपीएफ	2,46,13,204	37,72,842		ट) प्रत्यायन व्यय	-	-
				ठ) अन्तर केन्द्र खाता	27,36,01,823	19,77,32,286
				ड) केन्द्रों को जारी अतिशेष राशि	65,00,000	-
				ढ) प्रदत्त सेवा कर	9,30,37,798	26,74,96,527
				ण) सीपीएफ न्यास को देय	2,76,71,725	43,99,353
			VIII	**इतिशेष**	-	-
				क) पास में नकदी/अग्रदाय/स्टाम्प	1,83,034	2,62,462
				ख) बैंक शेष	-	-
				i) चालू खाताओं में	24,97,24,627	16,93,34,418
				ii) बचत खाताओं में	34,51,68,855	74,00,35,807
				iii) अल्पावधि जमा में	49,138,09,688	4,88,41,97,820
				iv) दीर्घावधि जमा में	65,24,80,212	54,92,19,639
				v) दीर्घावधि जमा में–इयरमार्क्ड निधियाँ	-	56,30,90,839
				vi) सहायता अनुदान निधि के लिए दीर्घावधि जमा	-	-
				घ) एनपीआर खाता –पास में नकदी	-	-
				ङ) एनपीआर खाता –बैंक शेष	-	-
योग	**17,893,385,279**	**18,097,531,774**		**योग**	**17,893,385,279**	**18,097,531,774**

हमारी इसी तारीख की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
भारत भूषण (भागीदार)

हस्ता/–
(हिमानिश राय)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक

स्नैपशॉट

NIELIT
INDO - EUROPEAN CONFERENCE
PATENTS FOR COMPUTER
IMPLEMENTED INVENTIONS
22nd November 2013
Inaugurated by

INDO - EUROPEAN CONFERENCE ON
PATENTS FOR COMPUTER
IMPLEMENTED INVENTIONS
22ND NOVEMBER 2013

[स्नैपशॉट]

NIELIT
EUROPEAN CONFERENCE ON
ATENTS FOR COMPUTER
PLEMENTED INVENTIONS
22nd November 2011
Inaugurated by

Inauguration of
"Smart Virtual Classroom"
by
Dr. (Smt.) Killi Kruparani
Government of India
On Wednesday, the 18th September 2013
in the august presence of
Shri J. Satyanarayana, IAS
Secretary, DeitY
Dr. Ashwini Kumar Sharma
Managing Director, NIELIT

NIELIT

स्नैपशॉट

ment of Information Technology, Biotechnology and
ience & Technology, Government of Karnataka
SS CONFERENCE
NIELIT

NIELIT
CAIT
The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
jointly with the Confederation of All India Traders (CAIT),
on behalf of the Department of Electronics and Information Technology (DeitY)
Welcomes
Shri Kapil Sibal
Orientation Workshop for Traders to encourage Digital Literacy
and enabling of ICT Services

elets
CSDMS
Microsoft
NIC
5th Annual
Secure IT
2014
New Delhi

City Centre"
Shri Rajib Lochan Pegu
Shri J. Satyanarayana

Powered By
4th Annual

CSCs: Transforming India into
a Knowledge Society

5th April 2013 (Friday)
India Habitat Centre, New Delhi
Inauguration by
DEEPA SENGAR
DR. ASHWINI KR. SHARMA

Ministry of Communications & IT
Government of India
NATIONAL LEVEL NIELIT WORKSHOP
FOR

संक्षिप्ताक्षर

एआईसीटीई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद । **बीसीए** कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातक । **बीआई–ए** जैव–सूचना विज्ञान–ए स्तर । **बीआई–ओ** जैव–सूचना विज्ञान–ओ स्तर । **बीपीओ** व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग । **बीसीसी** मूलभूत कम्प्यूटर पाठयक्रम । **सीएसएसपी** प्रमाणित प्रणाली सुरक्षा कार्मिक । **सीसीएफपी** प्रमाणित कम्प्यूटर फोरेन्सिक कार्मिक । **सीआईएसएसए** प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिटर । **सीएसएसएसडी** प्रमाणित प्रणाली सुरक्षा समाधान डिजाइनर । **सीवीओ** मुख्य सतर्कता अधिकारी । **सीसीसीए** कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में सर्टिफिकेट पाठयक्रम। **सीएचएम–ओ स्तर** कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण–ओ स्तर । **सीएचएम–ए स्तर** कम्प्यूटर हार्डवपेयर अनुरक्षण–ए स्तर । **सीसीसी** कम्प्यूटर अवधारणा पाठयक्रम । **ईसीसी** विषेशज्ञ कम्प्यूटर पाठ्यक्रम । **सीईडीटीआई** भभारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र । **डीपीआर** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट । **डीईपीएम** इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन एवं प्रबंध में डिप्लोमा । **डोनर** पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग। **डीईआईटीवाई** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । **डीआईटी** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । **ईएसडीएम** इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण । **एचटीसीएस** हार्डवेयर तकनीकी परामर्ष योजना । **आईटीसी** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी । **आईईसीटी** सूचना इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी । **आईईटीएस** सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ । **आईटी** सूचना प्रौद्योगिकी । **जेएण्डके** जम्मू तथा कश्मीर । **एमसीए** कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निशणात । **नाइलिट** राश्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान । **एनसीपीयूएल** राष्ट्रीय उर्दू भाशा संवर्धन परिशद । **एनपीआर** राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर । **पीजीडीसीए** कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । **पीएसयू** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम । **पीएमसी** परियोजना प्रबंध परामर्शदाता । **आरजीआई** भभारत के महापंजीयक । **आरएण्डडी** अनुसंधान एवं विकास । **एससी** अनुसूचित जाति । **एसटी** अनुसूचित जनजाति । **वीएलसी** आभासी अधिगम केन्द्र

डिजिटल
साक्षरता
सबके लिए

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन,
6, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110 003
दूरभाष : 91–11–2436 3330 / 1 / 91–11–24366577 / 79 / 80 फैक्स : 91–11–2436 3335